खण्ड-513, अंक-02
शुक्रवार, 30 माघ, शक संवत् 1942
(19 फरवरी, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2021)

(खण्ड-513 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून के विरोध में आन्दोलनरत किसानों पर पुलिस के दुर्व्यवहार से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी)	7-8
प्रश्नोत्तर	9-115
किसान आन्दोलन के प्रकरण को निधन के निर्देश से पूर्व सुने जाने की मांग	115-117
उ0प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार	117-118
भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा के निधन पर शोकोद्गार	118-124
दिवंगत कोरोना वॉरियर्स एवं उत्तराखंड त्रासदी में मारे गये लोगों के प्रति सदन की ओर से शोकोद्गार	124-130
केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून के विरोध में आन्दोलनरत किसानों पर पुलिस के दुर्व्यवहार से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	131-133
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	133-135
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनौली को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135-136
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अन्तर्गत ग्राम उमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत बहराइच से गोण्डा के ग्राम सोहरियावां तक टूटी सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां अन्तर्गत प्राइवेट बसों पर रोक लगा कर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136-137
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत सरकारी आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से दातागंज मार्ग पर बिलपुर रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान अन्तर्गत वोझी घाट पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल में कार्यरत श्रमिकों को बकाया वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद सहारनपुर अन्तर्गत बादशाहीबाग नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद पीलीभीत में कतिपय तहसील एवं विकास खण्डों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रूपये दो करोड़ की लागत का डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139-140
जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील प्रशासन टाण्डा अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को आवास मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सैदाबाद अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़वा बसागित से ग्राम घूरेपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
जनपद आज़मगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद मेरठ के ब्लाक खरखौदा के अन्तर्गत खरखौदा कौल नंगलामल मार्ग से नवनिर्मित राजकीय स्कूल मुण्डाली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141-142

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती में चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142-143
जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में 33/11 के0वी0 क्षमता के विद्युत केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143-144
जनपद सहारनपुर अन्तर्गत युवा सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाने पर भी बीमा राशि का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144-145
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	145-160
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुनर्विचार हेतु वापसी की सूचना)	160
श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 11 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	161-162
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 6 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	162-163
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 22 याचिकाएं (व्यपगत)	163-165
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 25 याचिकाएं, जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 2 याचिकाएं तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 1 याचिका (उपस्थित की गयी)	165-168
श्री मूलचन्द्र निरंजन, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 14 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	168-169
श्री त्रिवेणी राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 25 याचिकाएं व जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 1 याचिका (उपस्थित की गयी)	169-173
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 35 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	173-177

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित 2 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	177
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 18 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	177-179
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 25 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	179-182
श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ 'बब्बू भईया', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित 5 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	182
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 23 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	183-185
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 3 याचिकाएं (व्यपगत)	186
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	186
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	186
'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 13 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	186-188
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 5 याचिकाएं व जनपद झांसी से सम्बन्धित 6 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	188-189
श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 4 याचिकाएं (व्यपगत)	189-190
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	190
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 5 याचिकाएं (व्यपगत)	190-191
डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 20 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	191-193

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	193
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 4 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	193-194
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	194
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	194
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	195
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	195
राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	195-196
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	196
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	196-205
भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	205-206
जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्टियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	206-208
जनपद-कुशीनगर के सेवरही दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	209-210
जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	210

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	211
जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	211
जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	211-212
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2018 को श्री संजय गर्ग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	212
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2018 को श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	213
जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2018 को श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	213
औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिए पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	213

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-झांसी के गुरूसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	213
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप-मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08 फरवरी, 2019 को 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	213
प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबंध के किसानों की जमीनों से हाईटेंशन लाइनें बिछाकर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	214
जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिठौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	214
जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी की तहसील पैलानी के ग्राम जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री बृजेश कुमार प्रजापति द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	214
जनपद-वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गायों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	214
खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	215

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	215
जनपद-फिरोजाबाद में यमुना नदी से सटे दर्रों/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके 'झील का निर्माण' कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	215
वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलेक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह द्वार प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	215
जनपद-महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	216
जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री लाल बहादुर द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	216
जनपद-झांसी में बेतवा नदी के किनारे बसे श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच, जहाँ भगवान विष्णु के तीन अवतार, बाराह, नृसिंह एवं बामन अवतार हुए है, को पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	216
उद्योग विहीन जनपद कौशाम्बी में बढ़ती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र 253-चायल (कौशाम्बी) में UPSIDC औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार गुप्ता द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	216-217

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-कौशाम्बी की नवसृजित नगर पालिका मंझनपुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों को शहरी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	217
पिछले तीन दशकों में बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत लखनऊ के शहरी क्षेत्र में निजी प्लानिंग के तहत बसी आवासीय कालोनियों को वैध कालोनी का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	217
जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की भौगोलिक परिस्थितियों के संरक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये महमूदाबाद को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी)	217-218
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	218-220
जनपद-महराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2020 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	220
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	220
नत्थियां	221-233

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-357

1-अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	25-अर्चना पाण्डेय, श्रीमती	कन्नौज
2-अजय कुमार, डॉ0	इलाहाबाद	26-अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
3-अजय कुमार लल्लू, श्री	कुशीनगर	27-अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0)	वाराणसी
4-अजय कुमार सिंह		28-अविनाश त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
''अजय सिंह'', श्री	बस्ती	29-असलम अली, श्री	हापुड़
5-अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	30-आजाद अरिमर्दन, श्री	आजमगढ़
6-अजीत पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	31-आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री	बलिया
7-अतुल गर्ग, श्री	गाजियाबाद	32-आनन्द शुक्ला, श्री	चित्रकूट
8-अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	33-आर0के0 वर्मा, डॉ0	प्रतापगढ़
9-अनिल कुमार मौर्य, डा0	सोनभद्र	34-आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़
10-अनिल पाराशर, श्री	अलीगढ़	35-आलमबदी, श्री	आजमगढ़
11-अनिल राजभर, श्री	वाराणसी	36-आशीष सिंह पटेल ''आशू'',श्री	हरदोई
12-अनीता, श्रीमती	अम्बेडकरनगर	37-आशुतोष उपाध्याय, श्री	देवरिया
13-अनीता लोधी राजपूत, डा0	बुलन्दशहर	38-आशुतोष टण्डन	
14-अनुपमा जायसवाल, श्रीमती	बहराइच	''गोपाल जी'', श्री	लखनऊ
15-अनूप प्रधान, श्री	अलीगढ़	39-इकबाल महमूद, श्री	सम्भल
16-अभय कुमार उर्फ		40-इकराम कुरैशी, हाजी	मुरादाबाद
धीरज ओझा, श्री	प्रतापगढ़	41-इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
17-अभिजीत सिंह सांगा, श्री	कानपुर नगर	42-उदयभान सिंह, चौ0	आगरा
18-अमन मणि त्रिपाठी, श्री	महाराजगंज	43-उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
19-अमर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	44-उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री	कानपुर नगर
20-अमर सिंह चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर	45-उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
21-अमिताभ बाजपेई, श्री	कानपुर नगर	46-उमेश मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
22-अम्बरीश सिंह पुष्कर		47-उषा सिरोही, श्रीमती	बुलन्दशहर
एडवोकेट, श्री	लखनऊ	48-ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
23-अरुण कुमार, डॉ0	बरेली	49-ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर
24-अरुण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़	50-कपिल देव अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर

51-कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
52-कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
53-कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
54-करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55-कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56-कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
57-काली प्रसाद, श्री देवरिया
58-किरत सिंह, श्री सहारनपुर
59-किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
60-कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
61-कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
62-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63-केसर सिंह, श्री बरेली
64-कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
65-कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
66-कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
67-गंगा, श्री कुशीनगर
68-गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
69-गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
70-गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
71-गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
72-गौरी शंकर, श्री जालौन
73-चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
74-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
75-छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
76-जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
77-जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
78-जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
79-जय देवी, श्रीमती लखनऊ
80-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
81-जयमंगल, श्री महाराजगंज
82-जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
83-जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
84-ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
85-ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
86-डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
87-डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
88-तजीन फातमा, डॉ0 रामपुर
89-तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
90-तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
91-तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
92-त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
93-दल बहादुर, श्री रायबरेली
94-दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
95-दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
96-दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
97-दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
98-दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
99-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
100-देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
101-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
102-देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
103-देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
104-धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
105-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
106-धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
107-धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
108-धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
109-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
110-धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
111-नईम उल हसन, श्री बिजनौर
112-नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद

113-नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
114-नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
115-नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
116-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
117-नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
118-नवाब जान, श्री मुरादाबाद
119-नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
120-नाहिद हसन, श्री शामली
121-नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
122-निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
123-नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
124-नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
125-नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
126-नील रतन सिंह पटेल नीलू, श्री वाराणसी
127-नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
128-पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
129-पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
130-पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
131-पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
132-पल्टूराम, श्री बलरामपुर
133-पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
134-पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
135-पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136-प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
137-प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
138-प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
139-प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
140-प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
141-प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
142-प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
143-प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
144-प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
145-प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
146-फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
147-बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
148-बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
149-बम्बा लाल, श्री उन्नाव
150-बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
151-बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
152-बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
153-बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
154-बावन सिंह, श्री गोण्डा
155-बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
156-बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
157-बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
158-बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
159-बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160-बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161-बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
163-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
164-भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
165-मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
166-मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167-मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
168-मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169-मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170-मनोहर लाल, श्री ललितपुर
171-ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
172-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
173-मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर

174-महबूब अली, श्री अमरोहा
175-महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
176-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
177-महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
178-महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
179-महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
180-माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
181-माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
182-मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
183-मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
184-मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
185-मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
186-मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
187-मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
188-मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
189-युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
190-योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
191-रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
192-रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
193-रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194-रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
195-रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
196-रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
197-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
198-रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
199-रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
200-रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
201-रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
202-रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
203-रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
204-रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
205-राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
206-राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
207-राकेश राठौर, श्री सीतापुर
208-राकेश सिंह, श्री रायबरेली
209-राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
210-राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
211-राज करन कबीर, श्री बांदा
212-राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
213-राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
214-राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
215-राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
216-राजबाला, श्रीमती रामपुर
217-राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
218-राजीव तरारा, श्री अमरोहा
219-राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
220-राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
221-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
222-राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
223-राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
224-राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
225-राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
226-राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
227-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
228-राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
229-रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
230-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
231-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232-राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी

233-राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
234-रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
235-राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
236-राम प्रताप उर्फ
शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
237-राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
238-रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
239-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
240-रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
241-रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242-लकी यादव, श्री जौनपुर
243-लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
244-लाखन सिंह, श्री औरैया
245-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
246-लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
247-लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
248-लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
249-विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
250-विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
251-विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
252-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
253-विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
254-विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
255-विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
256-विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
257-विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
258-विनय शाक्य, श्री औरैया
259-विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
260-विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
261-विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
262-विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
263-विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
264-विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
265-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
266-वीरेन्द्र, श्री एटा
267-वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
268-शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
269-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
270-शशांक वर्मा, श्री खीरी
271-शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
272-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौलही
273-शाह आलम उर्फ
गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
274-शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
275-शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
276-शीतला प्रसाद
''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
277-शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
278-शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
279-शैलेश कुमार सिंह
''शैलू'', श्री बलरामपुर
280-शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
281-श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
282-श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
283-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
284-श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
285-श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
286-श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
287-संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
288-संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
289-संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
290-संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
291-संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
292-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
293-संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
294-संजय यादव, श्री बलिया
295-संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
296-संजीव कुमार, श्री सोनभद्र

297-संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
298-संजीव राजा, श्री अलीगढ़
299-संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
300-संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
301-सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
302-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
303-सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
304-सत्य प्रकाश अग्रवाल
''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
305-सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी
उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 देवरिया
306-सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
307-सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
308-सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
309-सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
310-सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
311-साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
312-साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
313-सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
314-सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
315-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
316-सुचि, श्रीमती बिजनौर
317-सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
318-सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
319-सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
320-सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
321-सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
322-सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
323-सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
324-सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
325-सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
326-सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
327-सुरेश कुमार, श्री शामली
328-सुरेश कुमार, श्री अमेठी
329-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
330-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
331-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
332-सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
333-सुरेश राही, श्री सीतापुर
334-सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
335-सुशान्त सिंह, कुं0 बिजनौर
336-सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
337-सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
338-सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
339-सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
340-सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
341-सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
342-सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
343-सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
344-सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
345-सौरभ सिंह, श्री खीरी
346-स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
347-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
348-हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
349-हरविन्दर कुमार साहनी
उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
350-हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
351-हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
352-हरीराम, श्री सोनभद्र
353-हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
354-हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
355-हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
356-हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
357-हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह) तथा परिवहन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून के विरोध में आन्दोलनरत किसानों पर पुलिस के दुर्व्यवहार से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

मान्यवर, प्रदेश का किसान तीन महीने से केन्द्र सरकार द्वारा तीन कानूनों को पास करने के खिलाफ नोएडा के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहा है। इससे महत्वपूर्ण मामला इस प्रदेश में और कुछ नहीं है। किसान तीनों कानूनों को वापस करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए और कानून बनाने के लिए तम्बू डालकर बैठा हुआ है। इस देश में अन्नदाता ही सबका पेट पालने का काम करता है और उसी का बेटा पुलिस में कानून की व्यवस्था की रक्षा करता है और सीमा पर देश की रक्षा करता है। किसानों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है कि उनके ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस दी जा रही है, उन पर लाठियां चलाई जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा किया जा रहा है। पूरा देश और प्रदेश किसानों के आंदोलन के साथ है। पूरी दुनिया इस किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दे रही है। किसान कोई जाति नहीं होती, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी किसानी करता है, वही अन्न पैदा करता है और उसी से सबका पेट पलता है। ऐसे अन्नदाता के खिलाफ इस तरह के कानून बनाना किस नियम में आता है ? मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सदन को स्थगित करें और 311 में किसान आंदोलन के विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्रम, सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले लोग आज किसानों के हमदर्द बने हुए हैं।

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के लगातार नारे लगाते रहे)

(विरोधी दलों के कतिपय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में खड़े रहकर एक साथ सरकार विरोधी नारे लगाते रहने से सदन में शोर तथा घोर व्यवधान की स्थिति)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, ये लोग किसानों के दुश्मन हैं, इन्होंने ही किसानों को बरगलाया है, किसानों को भ्रम में डाला है। महेन्द्र सिंह टिकैत को सबसे पहले इन्होंने ही जेल भेजा, उन्हें फतेहाबाद जेल में बन्द किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आज हमारे कई किसान शहीद हो चुके हैं।

मा0 अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी)

(11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12:00 बजे तक बढ़ा दिया है।)

(12:00 बजे मार्शल, विधान सभा ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

(आज की कार्यसूची के सभी प्रश्न उत्तरित माने गये)

नोट :-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमवली, 1958 के नियम-38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में स्थित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार नौजवानों हेतु 50 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में सेवायोजन विभाग द्वारा कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत एसडीजी-7 में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कार्य योजना बनाने व प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को सोलर सिस्टम उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

***1-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत ऊर्जा से सम्बन्धित एसडीजी-7 में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में क्या कार्य योजना बनाई गयी है ? क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के लिए आफ ग्रिड छोटे रूफ टॉप सोलर सिस्टम उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत ऊर्जा से सम्बन्धित एसडीजी-7 में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पृथक-पृथक जनपदवार कार्य योजना न बनाकर सम्पूर्ण राज्य हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रतिपादित की गयी है। नीति का क्रियान्वयन करते हुए वर्ष 2022 तक एसडीजी-7 के अन्तर्गत निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :-

यूटीलिटी स्केल परियोजनाओं के माध्यम से 6400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का प्रावधान किया गया है।

सोलर रूफ टॉप के माध्यम से 4300 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेन्ट-ए) के माध्यम से वर्ष 2022 तक 275 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का प्रावधान किया गया है।

ऐसे घरों को जिन्हें पारम्परिक विद्युत लाईन से विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता है, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत आफग्रिड सोलर पावर पैक के माध्यम से ऊर्जीकृत किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 46776 संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। जिनका विवरण एवं लिंक एचटीटीपीः//डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीनेडा.ओआरजी.इन/मीडियागैलरी/लिस्ट आफपावर पैक्स उत्तरप्रदेश.पीडीएफ पर उपलब्ध है।

इनके अतिरिक्त प्रदेश में कुल रूफटॉप सोलर क्षमता (ग्रिड कनेक्टेड) 235 मेगावाट की स्थापना की जा चुकी है, जिसका विवरण लिंक एचटीटीपीः//डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीनेडा.ओआरजी.इन/मीडियागैलरी/सोलररूफटाप एफवाई 2017.पीडीएफ पर उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी दरों को बाजार दरों के समान करने के सम्बन्ध में

***2-हाजी इरफान सोलंकी**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी दरों में बाजार दरों के समान वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के मजदूरों हेतु कुल मासिक मजदूरी मूल वेतन एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित देय है। न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार यथा 01 अप्रैल से 30 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक देय रहता है। कार्यालय श्रमायुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-573-98 दिनांक 03-04-2020 द्वारा दिनांक 01-04-2020 से 30-09-2020 तक व कार्यालय ज्ञाप संख्या-1362-89 दिनांक 08-10-2020 द्वारा दिनांक 01-10-2020 से 31-03-2021 तक देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जारी किया गया है जिसमें निम्नलिखित श्रेणीवार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया :-

क्र0	श्रेणी	दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 30-09-2020 तक कुल मजदूरी (रुपये में)	दिनांक 01-10-2020 से दिनांक 31-03-2021 तक कुल मजदूरी (रुपये में)
1	अकुशल	8625.00	8758.00
2	अर्द्धकुशल	9487.50	9634.00
3	कुशल	10627.50	10791.00

प्रश्न नहीं उठता।

कोरोना के कारण वापस आये श्रमिकों हेतु रोजगार सृजन की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

***3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास कर रहे कितने प्रवासी उत्तर प्रदेश वापस आये हैं एवं उनके रोजगार सृजन की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या तथा कुल कितनों को दिनांक 26-10-2020 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कोविड-19 कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में प्रदेश में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य किया गया है। प्रदेश में स्किल मैपिंग कराये गये श्रमिकों की सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अद्यतन संख्या-3784255 है।

शासनादेश संख्या-434/36-5-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

दिनांक 19-01-2021 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार प्राप्त कुल 891447 श्रमिकों का अंकन सेवायोजन पोर्टल पर हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लाकडाउन के कारण बेरोजगार हुए प्रदेशवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने व जनपद शामली में वंचित समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***40-श्री नाहिद हसन-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाकडाउन के कारण बेरोजगार हुए प्रदेश के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा अन्य राहत के उपाय करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में अब तक कितना रोजगार ऐसे वंचित समूह को उपलब्ध कराया जा चुका है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

शासनादेश संख्या-434/36-5-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

कोविड-19 कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में प्रदेश में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य किया गया है। जनपद शामली में स्किल मैपिंग कराये गये श्रमिकों की सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अद्यतन संख्या-2672 है।

दिनांक 19-01-2021 तक जनपद शामली में विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार प्राप्त 714 श्रमिकों का अंकन सेवायोजन पोर्टल पर हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत जिलेवार खाताधारकों व दावा करने वालों की संख्या व भुगतान के सम्बन्ध में

***5-श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितने खाताधारकों ने 01 जून 2017 से 31 मई 2018 तक बीमा के लिए कुल कितने प्रीमियम राशि की अदायगी

की तथा इनमें से कितने खाताधारकों ने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए दुर्घटना होने पर बीमा राशि के लिए दावा किया है एवं इनमें से कितने बीमा धारकों को दो लाख तथा एक लाख रुपये की धनराशि का बीमा भुगतान हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत कितने खाताधारकों की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारियों ने दावा दाखिल किया और उनमें से कितने उत्तराधिकारियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-6903/भ0नि0बो0 (1500)-18, दिनांक 14-03-2018 द्वारा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के प्राविधानों को बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में लागू किया गया है।

बोर्ड की उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक अंशदान की राशि रु0 12 तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के वार्षिक अंशदान की राशि रु0 330 अर्थात् कुल धनराशि रु0 342 के 50 प्रतिशत का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाना है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रु0 171 का वहन उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाना है। बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार की प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं करना है।

दिनांक 01 जून, 2017 से दिनांक 31 मई, 2018 तक की अवधि में बोर्ड के स्तर से प्रीमियम के रूप में किसी भी धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी को नहीं किया गया है।

चूंकि बोर्ड द्वारा बीमा कम्पनी को कोई भी धनराशि प्रीमियम के रूप में अदा नहीं की गयी है, अतएव, किसी भी पंजीकृत श्रमिक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत न तो बीमा राशि के भुगतान हेतु आवेदन किया गया है और न ही कोई धनराशि किसी श्रमिक को उक्त योजना के अन्तर्गत अदा की गयी है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी पंजीकृत श्रमिक के उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन/दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रदेश के सभी जनपदों में बालू, मोरंग, गिट्टी के दामों में बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने हेतु उपाय किये जाने के सन्दर्भ में

***6-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में बालू, मोरंग, गिट्टी के दामों में अधिक बढ़ोत्तरी होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत तारों को भूमिगत करने की नीति के सम्बन्ध में

***7-श्री संजय गर्ग-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत तारों को भूमिगत करने की कोई नीति सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विद्युत चोरी एवं विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से तकनीकी आवश्यकतानुसार ओवरहेड तारों को भूमिगत किये जाने का कार्य धन की उपलब्धतानुसार कराया जाता है।

प्रदेश के किसानों को निजी ट्यूबवेल हेतु दी जाने वाली सब्सिडी पुनः दिये जाने पर विचार विषयक

***8-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को निजी ट्यूबवेल के लिए दी जाने वाली 68 हजार की सब्सिडी बन्द कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार किसानों के हित में उक्त सब्सिडी पुनः देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्राविधानित, निजी नलकूप हेतु दी जाने वाली अनुदान धनराशि आदेश संख्या-06/2021/42/24-1-21-49पी/2014, दिनांक 12-01-2021 द्वारा निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोरोना के कारण संगठित/असंगठित क्षेत्रों में कामगार श्रमिकों/मजदूरों/शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

***9-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कितने कामगार श्रमिकों/मजदूरों/शिक्षित युवाओं की नौकरी छूट गई है ? क्या सरकार ने सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कोविड-19 कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में प्रदेश में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य किया गया है। प्रदेश में स्किल मैपिंग कराये गये श्रमिकों की सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अद्यतन संख्या-3784255 है।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

शासनादेश संख्या-434/36-5-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लॉकडाउन के कारण बन्द छोटे उद्योगों एवं दुकानदारों तथा पावर लूम का विद्युत बिल माफ करने के सम्बन्ध में

***10-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण बन्द छोटे उद्योगों एवं छोटे दुकानदारों तथा पावर लूम का विद्युत बिल माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ,

लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 से मई 2020 के मध्य समस्त उपभोक्ताओं के बिलों की देय तिथि 31-05-2020 कर दी गयी थी, जिसके कारण लॉकडाउन में उपभोक्ताओं द्वारा बिल न जमा करने पर बिल पर लगने वाले सरचार्ज की छूट दी गयी थी। कोविड-19 महामारी के कारण हुये लॉकडाउन की अवधि में ऐसे समस्त वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, जिसमें पावरलूम बुनकर उपभोक्ता भी सम्मिलित है, जिनके द्वारा माह जुलाई 2020 में निर्गत विद्युत बिलों की धनराशि 31 जुलाई, 2020 तक जमा कर दी गयी है, तो उन्हें उपभोग माह अप्रैल, 2020 (बिलिंग माह मई, 2020) की स्थगित फिक्स/ डिमाण्ड चार्ज की धनराशि की सीमा तक छूट माह अगस्त, 2020 के बिल में दी गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 में स्थित एल0एम0वी0-2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक श्रेणी) के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार में 100% छूट हेतु 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गई है। यह योजना दिनांक 15-12-2020 से 31-01-2021 तक लागू थी, जिसमें उक्त श्रेणी के बकायेदारों का उनके दिनांक 30-11-2020 तक के विद्युत बकाया पर सरचार्ज के रूप में लगाई गयी धनराशि में 100% छूट का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल श्रम से मुक्ति प्राप्त बच्चों को सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा दिलाने तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

***11-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर 2020 के मध्य बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाने हेतु कौन-कौन से प्रयास सरकार ने किये हैं ? क्या सरकार बाल श्रम से मुक्ति प्राप्त बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा दिलाने तथा पुनर्वास की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत नियमित निरीक्षण के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 2962, वर्ष 2018-19 में 1662, वर्ष 2019-20 में 3041 एवं वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक कुल 1744 बाल श्रमिक चिन्हित/मुक्त कराये गये हैं।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत नियमित रूप से एवं समय-समय पर विशेष अभियान चला कर बाल श्रमिकों को चिन्हित/मुक्त कराये जाने की कार्रवाई की जाती है। प्रश्नगत अवधि में निम्नानुसार विशेष अभियान संचालित किये गये हैं :-

अभियान अवधि	चिन्हित/अवमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या
01-04-2017 से 30-04-2017	1860
05-09-2017 से 20-09-2017	749
20-06-2018 से 05-07-2018	906
10-06-2019 से 25-06-2019	1659
11-12-2019 20-12-2019	984
01-09-2020 से 30-09-2020	1731

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष के चिन्हित बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेशित न कराये जाने की स्थिति में उन्हें स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु योजना की जानकारी

***12-श्रीमती सरोज सोनकर-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया)-

जी हां।

पोत परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 का निर्माण व विकास किया जा रहा है। यह जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 कि0मी0 लम्बा है। इसमें जनपद गाजीपुर से प्रयागराज तक 370 कि0मी0 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है। प्रदेश में अन्तर्देशीय जलमार्ग विकसित करने हेतु जनपद प्रयागराज एवं वाराणसी में उप कार्यालय स्थापित किये गये हैं, जहां से जलमार्ग के विकास कार्यों का अनुश्रवण किया जा रहा है।

जनपद वाराणसी में 34.755 हे0 भूमि पर मल्टीमॉडल टर्मिनल, जनपद चंदौली (ग्राम मिल्कीपुर एवं ताहिरपुर) एवं मिर्जापुर (ग्राम रसूलगंज) में 41.578 हे0 भूमि पर फ्रेट विलेज एवं जनपद गाजीपुर में 8.917 हे0 भूमि पर इण्टरमॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके लिए इन जनपदों में भूमि अधिग्रहण/परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त किये जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है/करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोविड महामारी के समय का विद्युत बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध में

***13-इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी में किसान, व्यापारी एवं मजदूरो की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनकी आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत महामारी काल के समय का विद्युत बिल माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उ0प्र0 में कोविड महामारी के कारण किसान, व्यापारी तथा मजदूरों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।

लॉकडाउन की अवधि में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 में निर्गत विद्युत बिलों की सम्पूर्ण धनराशि 31 जुलाई, 2020 तक जमा कर दी गयी है, तो उन्हें उपभोग माह अप्रैल, 2020 (बिलिंग माह मई, 2020) की स्थगित फिक्स/डिमाण्ड चार्ज की धनराशि की सीमा तक छूट माह अगस्त, 2020 के बिल में दे दी गयी है।

लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 से मई, 2020 के मध्य समस्त उपभोक्ताओं के बिलों की देय तिथि 31-05-2020 कर दी गयी थी, जिसके कारण लॉकडाउन में उपभोक्ताओं द्वारा बिल न जमा करने पर बिल पर लगने वाले सरचार्ज की छूट दी गयी थी।

किसानों के लिये पूर्व से लागू किसान आसान किश्त योजना में जो किसान 01-02-2020 से 31-07-2020 के मध्य पंजीकरण कराये थे, उनको मार्च, 2020 से जून, 2020 के मध्य पड़ने वाले किश्तों को माह जुलाई, 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। इसी प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू आसान किश्त योजना में जिन बकायेदार उपभोक्ताओं ने 11 नवम्बर 2019 से 31 मार्च, 2020 तक पंजीकरण करा लिया था, उनकी मार्च, 2020 से जून, 2020 तक की देय किश्तों को स्थगित कर दिया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 में स्थित एल0एम0वी0-2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक श्रेणी) के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार में 100% छूट हेतु 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गयी थी। यह योजना दिनांक 15-12-2020 से 31-01-2021 तक लागू थी, जिसमें उक्त श्रेणी के बकायेदारों का उनके दिनांक 30-11-2020 तक के विद्युत बकाया पर सरचार्ज के रूप में लगाई गयी धनराशि में 100% छूट का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 कार्ड की भांति पात्र गृहस्थी कार्ड पर दवा आदि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

***14-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर पात्र गृहस्थी योजना का कार्ड दिये गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बी0पी0एल0 कार्ड की भांति पात्र गृहस्थी कार्ड पर भी दवा आदि सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दवा आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है, लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर एस.ई.सी.सी. (सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेन्सस) डाटा बेस में पात्र लाभार्थी परिवारों को सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भर्ती होने की दशा में रुपये पाँच लाख तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

***15-श्री विनय शंकर तिवारी-**

[08-मंगलवार के तारांकित प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में भारी वाहनों के पीछे नम्बर प्लेटों में पठनीय नंबर लिखवाये जाने विषयक

***16-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के वाहन की नम्बर प्लेट पर वाहन पंजीकरण संख्या अंकित करने के क्या नियम है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय भारी वाहनों (ट्रक) के पीछे लिखे नम्बर प्लेटों में नम्बर या तो अपठनीय होता हैं या मिटा होता हैं या लिखा ही नहीं होता ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

मोटर अधिनियम, 1988 की धारा-41(6) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विधि के अनुसार प्रत्येक वाहन को पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जाता है तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 के अनुसार वाहनों के आगे एवं पीछे नम्बर प्लेट पर वाहन पंजीकरण संख्या अंकित किये जाने के प्राविधान हैं।

प्रत्येक वाहन के पंजीयन चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी के होंगे और अंक अरबी (Arabic) संख्या में होंगे तथा उन्हें निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जायेगा :-

परिवहन यानों की दशा में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग में अंकित किया जायेगा। रेन्ट ए कैब स्कीम के अधीन संचालित मोटर कैब या रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम के अधीन संचालित मोटर साइकिल पर पंजीयन चिन्ह काले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में अंकित किया जायेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, परिवहन यानों पर हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग से और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अंकित किया जायेगा।

पंजीयन चिन्ह दो लाइनों में दिखाया जायेगा, पहली लाइन में राज्य कोड संख्या, पंजीकरण अधिकारी का कोड नम्बर लिखा जायेगा और बाकी विषयवस्तु उसके नीचे दूसरी लाइन में दिखाया जायेगा। विभिन्न श्रेणी के वाहनों हेतु पंजीकरण चिन्ह के अक्षरों और अंकों का आकार निर्धारित है।

जी हां।

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बिना नम्बर प्लेट/अपठनीय नम्बर प्लेट या मिटी हुई नम्बर प्लेट लगे वाहनों की सघन चेकिंग की जाती है, अनियमितता पाये जाने पर चालान की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाये जाने की व्यवस्था समस्त प्रदेश में की गयी है, जिससे उक्त अनियमितता को समाप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लॉकडाउन के समय का उपभोक्ताओं का बिजली का बिल माफ करने के सम्बन्ध में

***17-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि का सभी उपभोक्ताओं का बिजली का बिल माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

लॉकडाउन की अवधि में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 में निर्गत विद्युत बिलों की सम्पूर्ण धनराशि 31 जुलाई, 2020 तक जमा कर दी गयी है, तो उन्हें उपभोग माह अप्रैल, 2020 (बिलिंग माह मई 2020) की स्थगित फिक्स/ डिमाण्ड चार्ज की धनराशि की सीमा तक छूट माह अगस्त, 2020 के बिल में दे दी गयी है।

लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 से मई, 2020 के मध्य समस्त उपभोक्ताओं के बिलों की देय तिथि 31-05-2020 कर दी गयी थी, जिसके कारण लॉकडाउन में उपभोक्ताओं द्वारा बिल न जमा करने पर बिल पर लगने वाले सरचार्ज की छूट दी गयी थी।

उ0प्र0 में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में उ0प्र0 के किसानों को 'किसान आसान किश्त योजना' के अन्तर्गत उनके दिनांक 31-01-2020 तक के बकाये में सरचार्ज धनराशि के छूट की व्यवस्था की गयी है, जिसकी पंजीकरण अवधि दिनांक 01-02-2020 से दिनांक 31-07-2020 तक थी। जो उपभोक्ता इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराये थे, उनको माह मार्च, 2020 से माह जून, 2020 के मध्य पहले वाले किश्तों को स्थगित किया गया था। उसी प्रकार मजदूर घरेलू उपभोक्ताओं को 'आसान किश्त योजना' के अन्तर्गत सरचार्ज में माफी की व्यवस्था की गयी है, जिसमें पंजीकरण की अवधि 11-11-2019 से 31-03-2020 तक थी। जो उपभोक्ता इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत थे, उनकी माह मार्च, 2020 से माह जून, 2020 के मध्य पड़ने वाले किश्तों को स्थगित कर दिया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 में स्थित एल0एम0वी0-2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक श्रेणी) के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार में 100% छूट हेतु 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गई है। यह योजना दिनांक 15-12-2020 से 31-01-2021 तक लागू थी, जिसमें उक्त श्रेणी के बकायेदारों का उनके दिनांक 30-11-2020 तक के विद्युत बकाया पर सरचार्ज के रूप में लगाई गयी धनराशि में 100% छूट का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को 22 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने की जानकारी

***18-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को 22 घण्टे निर्बाध बिजली की आपूर्ति का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किसानों को वर्ष 2017 से वर्तमान तक कितने घण्टे बिजली प्रदान की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

वर्तमान में ग्रामीण पोषकों पर 18 घण्टे तथा पृथक कृषि पोषकों पर 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र (झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा) में ग्रामीण पोषकों पर 20 घण्टे आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। उपरोक्त रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2020-2021 में जनपदवार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)†

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र केराकत ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में श्री गामा यादव के घर के पास जंक्शन बाक्स लगवाये जाने विषयक

1-श्री दिनेश चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में श्री गामा यादव व अन्य के घर से उक्त क्षेत्र में स्थापित ट्रान्सफार्मर की दूरी अधिक होने के कारण बार-बार तार टूट जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जंक्शन बाक्स लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र-केराकत ब्लाक-मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में श्री गामा यादव के घर से परिवर्तक की दूरी 200 मीटर है। परिवर्तक से एल0टी0 ए0बी0 केबिल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है। उक्त परिवर्तक अतिभारित नहीं है। श्री गामा यादव के घर के आस-पास अन्य उपभोक्ताओं के परिसर के समीप पहले से ही एल0टी0 जंक्शन बॉक्स लगा है। श्री गामा यादव के घर के पास स्थित खम्भे पर जंक्शन बॉक्स नहीं लगा था, जिसे दिनांक 25-11-2020 को श्री गामा यादव के घर के पास स्थित खम्भे पर भी एल.टी. जंक्शन बॉक्स लगाकर इनका सर्विस केबल जोड़ दिया गया है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ग्राम कटैया पोस्ट रामकोट ब्लाक खैराबाद में श्री आकाश कुमार वर्मा व अन्य के आवासों के पास सोलर लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम कटैया पोस्ट रामकोट ब्लाक खैराबाद, तहसील सीतापुर में श्री आकाश कुमार वर्मा व आस-पास के आवासों के सामने सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था हेतु उक्त स्थान पर सोलर लाइट सरकार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या .... पर।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु जिला योजनान्तर्गत राज्यानुदान एवं लाभार्थी संस्था अंशदान से सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य यूपीनेडा द्वारा कराया जाता है। इस हेतु प्रति संयंत्र राज्यानुदान रु0 7100/-अनुमन्य है। राज्यानुदान के अतिरिक्त संयंत्र मूल्य की अवशेष धनराशि मा0 जन-प्रतिनिधियों की क्षेत्र विकास निधि/ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि से लाभार्थी संस्था का अंशदान यूपीनेडा को उपलब्ध कराये जाने पर सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में जेम पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित बिड में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु प्रति संयंत्र रु0 17557/-दर प्राप्त हुई है। राज्यानुदान रु0 7100/- को घटाते हुए अवशेष धनराशि रु0 10457/-प्रति संयंत्र की दर से आवश्यकतानुसार संयंत्रों की स्थापना हेतु अंशदान की वाँछित धनराशि यूपीनेडा को उपलब्ध होने पर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के फरीदपुर नगर में जन समस्याओं के निस्तारण हेतु रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

13-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर नगर, जनपद बरेली में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हाँ।

बस स्टेशन के निर्माण हेतु यू0पी0 सिडको को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये धनराशि रु0 183.78 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किश्त के रूप में रु0 91.89 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में रबी फसलों की भांति खरीफ फसलों की सिंचाई हेतु किसानों को 4 माह के लिए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने विषयक

14-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में रबी फसलों की भांति खरीफ की फसलों की सिंचाई हेतु 4 माह के लिए किसानों को निजी ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ 2020-21 के अनुसार केवल रबी की फसल हेतु माह-नवम्बर से फरवरी तक एक वित्तीय वर्ष में केवल 04 माह के लिए ही कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के गेहूँ क्रय केन्द्र सीयर पर बिचौलियों के माध्यम से खरीद करने की जांच व दोषियों पर कार्रवाई किये जाने विषयक

15-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं क्रय केन्द्र सीयर जनपद बलिया पर वर्ष 2020 में कितना गेहूँ किसानों से क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र पर तैनात तत्कालीन एम0आई0 द्वारा बिचौलियों से खरीद कर किसानों का नाम फर्जी दर्शाकर बड़ा घोटाला किया गया है ? क्या सरकार उक्त तौल केन्द्र पर की गई खरीद की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया में गेंहू खरीद केन्द्र सीयर बेल्थरा रोड पर 10685.00 कुं0 गेहूं की खरीद 196 किसानों से की गयी है।

उक्त केन्द्र पर तैनात तत्कालीन एम0आई0 द्वारा बिचौलियों से फर्जी खरीद कर फर्जी नाम से भुगतान किये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में बन रहे 220 के0वी0ए0 के पावर हाउस का कार्य न्यूनतम दर पर मानकारूप कार्य कराये जाने विषयक

16-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में बनाये जा रहे 220 के.वी.ए. के पावर हाउस का टेण्डर 56 प्रतिशत की निम्न दर पर किया गया है ? क्या 56 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर मानकारूप कार्य कराये जाने का आंकलन सरकार ने किया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो कार्य कैसे आवंटित किया गया है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

उपकेन्द्र निर्माण का कार्य ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित कर टर्न की आधार पर कार्यदायी संस्था को आवंटित है। निविदादाताओं द्वारा उपकेन्द्र निर्माण की निविदा में जनपदीय कार्यों हेतु दरों को दर सूची (एस0 ओ0 आर0) के अनुसार उद्धृत किया जाता है व निविदादाता द्वारा उक्त से धनात्मक/ऋणात्मक प्रतिशत दरें उद्धृत की जाती हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा इस ई-निविदा में उपकेन्द्र के मात्र जानपदीय कार्यों हेतु (56) प्रतिशत की दर उद्धृत की है।

जी हाँ।

कार्यदायी संस्था को कार्य का आवंटन उपकरणों की आपूर्ति, इरेक्शन एवं जनपदीय कार्यों का मूल्यांकन समग्र रूप से एक ही निविदा के अन्तर्गत किया गया है। इस निविदा में कुल 07 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समस्त कार्यों/आपूर्ति की दरों का तुलनात्मक विवरण के अनुसार सक्षम क्रय/कार्य समिति के अनुमोदनोपरान्त न्यूनतम निविदादाता को कार्य आवंटित किया गया है। जो विभागीय दर सूची (एस0 ओ0 आर0) से 5.06 प्रतिशत कम है।

जनपदीय कार्यों की गुणवत्ता जाँच एन0ए0बी0एल0 (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) अनुमोदित टेस्टिंग लैब से करायी गयी है, जाँचोपरान्त कार्य मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

उपकेन्द्र निर्माण के दौरान क्षेत्रीय अभियन्ताओं एवं मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं कार्यों की गुणवत्ता देखी जाती है। उपकेन्द्र निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य मानकों के अनुसार सम्पादित कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के छपिया व बभनजोत विकास खण्ड में पुराने जर्जर तारों को बदलकर नई विद्युत लाईन लगवाये जाने विषयक

7-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया व बभनजोत विकास खण्ड में पुराने जर्जर बिजली तारों को सरकार बदलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड-छपिया में सौभाग्य योजना में मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स प्रा0लि0 द्वारा पुराने जर्जर बिजली के तारों को ए0बी0 केबिल में बदलने का कार्य दिनांक 31-12-2020 को पूर्ण कर दिया गया है। विकास खण्ड बभनजोत के 18 अदद् मजरों के जर्जर विद्युत तारों के बदलने का कार्य एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित उ0प्र0 पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मैसर्स एन0सी0सी0 द्वारा दिनांक 30-06-2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

दिनांक 30-06-2021 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा विकास खण्ड जसपुरा, तिंदवारी व बड़ोखरखुर्द के गांवों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिंदवारी व बड़ोखरखुर्द के विभिन्न गांवों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कितने मुफ्त विद्युत कनेक्शन बांटे गए हैं और उनमें से कितने संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त की उपकेन्द्रवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के विभिन्न गांवों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 4407 नं0 विद्युत संयोजन, विकास खण्ड तिन्दवारी में 4353 नं0 विद्युत संयोजन एवं विकास खण्ड बड़ोखरखुर्द में 3924 नं0 विद्युत संयोजन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत मुफ्त बांटे गये है एवं उपरोक्त निर्गत समस्त संयोजन को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

जी हाँ।

उपरोक्त विकास खण्ड अन्तर्गत सौभाग्य योजना में निर्गत किये गये संयोजनों की उपकेन्द्रवार सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा में बालू/मौरंग खदान संचालकों के द्वारा राजस्व चोरी के सम्बन्ध में

9-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा में बालू/मौरंग के आवंटित खण्डों (ग्राम-भरेड़ी की सोना खदान, ग्राम-जौहरपुर की खदान) के संचालकों के द्वारा बिना रवन्ना के ओवरलोड वाहन निकाले जाने तथा पोकलैण्ड मशीनों से निर्धारित स्थान के बाहर

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या .... पर।

नदी की जलधारा के बीच से खनन किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी पोकलैण्ड मशीनों पर रोक लगा कर खदान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की जिला जेल में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध रहने तथा मिलाई घर का विस्तार एवं छत को ऊँचा उठाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 क-6 नं0 247282, दिनांक 30/12/2019 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

10-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की जिला जेल की क्षमता 720 बंदियों के सापेक्ष सदैव 1300-1400 से अधिक बंदी निरुद्ध रहते हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि क्षमता वाले मिलाई घर की छते बहुत नीची होने के कारण मिलाई हेतु आने वाले परिजनों को घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु जिला जेल में मिलाई घर का विस्तार एवं छत को ऊँचा उठाने हेतु प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नं0 247282 दिनांक 30/12/2019 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिला कारागार, फिरोजाबाद की बन्दी क्षमता 855 के सापेक्ष दिनांक 31-12-2020 की स्थिति के अनुसार 1702 बन्दी निरुद्ध हैं।

जी हां।

जी हां।

उक्त जेल में निरुद्ध बन्दियों की मिलाई हेतु आने वाले परिजनों हेतु मिलाई घर के विस्तारीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था चयनित किया गया है। कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त हो गया है तथा धनराशि स्वीकृति की कार्रवाई प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली विकास क्षेत्र रामनगर अन्तर्गत असनहरा में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में

11-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 309 रूधौली जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र रामनगर अन्तर्गत असनहरा में स्वीकृत 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है परन्तु 3 वर्ष व्यतीत होने पर भी सब-स्टेशन बन कर तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र 309 रुधौली जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र रामनगर अन्तर्गत असनहरा में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य डीडीयूजीजेवाई-(नवीन) योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने की लक्षित तिथि 31-03-2021 है।

जी हाँ।

31 मार्च, 2021 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 परिवहन निगम में मृतक परिचालक की पत्नी को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री अनिल पाराशर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 परिवहन निगम में परिचालक के पद पर कार्यरत रिंकू उपाध्याय जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 08-11-2018 को हो गयी थी, की पत्नी श्रीमती राधा शर्मा निवासी मडराकर नगर पंचायत जनपद अलीगढ़ को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध उनके प्रार्थना पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4250/ पीआरओ/2020 दिनांक 14-09-2020 प्रबन्धक निदेशक परिवहन निगम उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हां।।

शासनादेश संख्या-03 वी0आई0पी0/44-2-2003-2/च0स0/88 दिनांक 11-07-2003 द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं हैं अर्थात् जिनमें संचित हानि है अथवा जिनमें सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/

निगमों में उनके सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिए जाने की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम से प्राप्त होने पर पत्र में किये गये अनुरोधानुसार मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र कोल अन्तर्गत अतिभारित 33/11 उपकेन्द्र गडराना, गोकुलपुर, सौनोढ़, कोछोड़, मडराक व सिधारपुर की क्षमता वृद्धि विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 क-6/71207001, दिनांक 30/09/2020 पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में

13-श्री अनिल पाराशर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल अन्तर्गत अतिभारित 33/11 उपकेन्द्र गडराना, गोकुलपुर, सौनोढ़, कोछोड़, मडराक तथा सिधारपुर की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6/71207001 दिनांक 30-09-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत 33/11 उपकेन्द्र गडराना, कोछोड़, मडराक तकनीकी रूप से अतिभारित नहीं है। 33/11 उपकेन्द्र गोकुलपुर, सौनोढ़ की क्षमतावृद्धि 1 X 5 एम0वी0ए0 से 2 X 5 एम0वी0ए0 करने के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा यह कार्य बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 33/11 उपकेन्द्र सिधारपुर की क्षमता वर्तमान से 1 X 10 + 1 X 5 एम0वी0ए0 है। सिधारपुर की अतिभारिता दूर करने हेतु पूर्व में ही नवीन 33/11 के0वी0 पडियावली उपकेन्द्र 2 x 5 एम0वी0ए0 का निर्माण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में सिधारपुर उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उपभोक्ताओं को निर्धारित शेड्यूल से कम बिजली मिलने और खराब ट्रांसफार्मर देर से बदले जाने के दोषियों पर जुर्माना लगाने के सम्बन्ध में

14-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को निर्धारित शेड्यूल से कम बिजली मिलने एवं फुंका ट्रांसफार्मर निर्धारित समय सीमा में न बदले जाने के दोषियों के विरुद्ध जुर्माना सरकार लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

निर्धारित शेड्यूल से कम बिजली मिलने एवं फुंका ट्रांसफार्मर निर्धारित समय सीमा में न बदलने की शिकायतों पर जांच कर कार्य में शिथिलता बरतने वाले दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभागीय दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन कर्मियों के भविष्य निधि की धनराशि वापसी हेतु दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर की गई कार्रवाई के विवरण की जानकारी

15-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कर्मियों के भविष्य निधि की धनराशि की वापसी हेतु दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में निवेदित प्रकरण में विद्युत कर्मियों के हितार्थ की गई अद्यतन कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1891/पी-2-2019सा0(89)/2019 दिनांक 23-11-2019 द्वारा धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेश पारित किये गये है :-

i. उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सी0पी0एफ0 ट्रस्ट के स्तर से दिवान हाउसिंग फाइनेन्स लि0 कं0 में निवेशित धनराशि की समय से वापसी के लिये समस्त विधिक कदम उठाये जायेंगे तथा धनराशि वापिस प्राप्त होने पर उसका नियमानुसार निवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये यदि दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लि0 कम्पनी में निवेशित धनराशि की वापसी में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसके कारण आच्छादित कार्मिकों के देयकों के निर्वहन में ट्रस्ट अपने आप को अक्षम पाता है तो देयको के सामयिक भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु प्रथमतः उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने स्रोतों से प्रदान की जायेगी, यदि किन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 भी वांछित धनराशि ट्रस्ट को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो राज्य सरकार से आवश्यकतानुसार धनराशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान की जायेंगी, जिससे देयको के भुगतान में कोई कठिनाई उत्पन्न न हों।

2. दिनांक 14-01-2000 तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में नियुक्त समस्त कार्मिकों पर उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज सामान्य भविष्य निधि नियम, 2000 के प्राविधान लागू हैं। दिनांक 14-01-2000 के पश्चात् उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में नियुक्त समस्त कार्मिकों पर उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के प्राविधान लागू हैं। उक्त कार्मिकों की भविष्य निधि धनराशियों का प्रबन्धन क्रमशः उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट एवं उ0प्र0 पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

3. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 का प्रकरण एन0सी0एल0टी0 में भेजे जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में निवेशित धनराशि रु0 822.20 करोड़ एवं उस पर अर्जित ब्याज की वसूली हेतु दिवाला एवं शोधन अक्षमता अधिनियम, 2016 के अधिनियम 8ए के अन्तर्गत फार्म सी0ए0 के माध्यम से कुल धनराशि रु0 869,21,28,672.00 का दावा दिनांक 16-12-2019 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी प्रकार उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में अवशेष निवेशित धनराशि रु0 1445.70 करोड़ एवं उस पर अर्जित ब्याज की वसूली हेतु दिवाला एवं शोधन अक्षमता अधिनियम, 2016 के अधिनियम 8ए के अन्तर्गत फार्म सी0ए0 के माध्यम से कुल धनराशि रु0 1535,56,68,260.00 का दावा दिनांक 16-12-2019 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में ट्रस्ट की संचित निधि को निवेशित करने के मामले में विभागीय कार्यवाही के पश्चात् आरोपित किये गये दो अधिकारियों यथा-श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, तत्कालीन सचिव (ट्रस्ट) (वर्तमान में निलम्बित) एवं श्री सुधांशु द्विवेदी, तत्कालीन निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 एवं ट्रस्टी (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को कारपोरेशन द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है। साथ ही अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त उक्त दो अधिकारियों के विरुद्ध हजरतगंज कोतवाली में दिनांक 02-11-2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा की जा रही थी।

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा सम्पादित की गई विवेचना में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, तत्कालीन सचिव (ट्रस्ट), श्री सुधांशु द्विवेदी, तत्कालीन निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी एवं श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 एवं ट्रस्टी (सी0पी0एफ0) के विरुद्ध मा0 न्यायालय में अभियोजन चलाने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी। वर्तमान में तीनों आरोपी हिरासत में हैं।

उक्त प्रकरण में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लखनऊ द्वारा दिनांक 05-03-2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। वर्तमान में उक्त प्रकरण की विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,

लखनऊ द्वारा की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई द्वारा भी उक्त प्रकरण में अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जाँच की जा रही है।

5. दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में निवेशित कुल धनराशि रु0 2404.78 करोड़ की वसूली हेतु मेसर्स जे0 सागर एसोसिएट्स को नियुक्त किया गया है।

मेसर्स जे0 सागर एसोसिएट्स के माध्यम से उक्त धनराशि की वसूली हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं :-

i. उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में निवेशित धनराशि की वसूली हेतु दिनांक 18-11-2019 को मुम्बई हाईकोर्ट में अन्तरिम याचिका संख्या 13-14 of 2019 दायर की गई थी। मा0 मुम्बई हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 02-12-2019 को पारित आदेश में सभी सम्बन्धित निवेशकों को एन0सी0एल0टी0 में याचिका दायर करने हेतु निर्देशित किया गया।

ii. उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा दीवान हाऊसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में निवेशित धनराशि की वसूली हेतु सं0-1211/यू0पी0एस0पी0 एस0ई0टी0/ डी0एच0एफ0एल0/एफ0डी0आर0 दिनांक 16-12-2019 एवं पत्र सं0 959/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/डी0एच0एफ0एल0/एफ0डी0 आर0 दिनांक 16-12-2019 के माध्यम से श्री आर0 सुब्रमण्यकुमार, प्रशासक दीवान हाऊसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री आर0 सुब्रमण्यकुमार, प्रशासक दीवान हाऊसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 द्वारा सूचित किया गया कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रारूप में समस्त प्रमाणों सहित दावा प्रस्तुत करने पर उक्त अधिनियम में निहित प्रक्रिया के तहत ही दावा मान्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रारूप में समस्त प्रमाणों सहित दावा दिनांक 16-12-2019 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

iii. उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा दीवान हाऊसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में निवेशित धनराशि की वसूली हेतु दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा-60 (5) के अन्तर्गत मा0 एन0सी0एल0टी0 में दिनांक 16-01-2020 को क्रमशः विविध याचिका सं0 416 एवं विविध याचिका सं0-415 दायर की गई।

iv. उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा दीवान हाऊसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 की सावधि जमा में निवेशित धनराशि की वसूली हेतु दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा-7 के अन्तर्गत मा0 एन0सी0एल0टी0 में दिनांक-14-01-2021 को पुनः अन्तरिम याचिकायें दायर की गयी।

v. मा0 एन0सी0एल0टी0 द्वारा उक्त याचिकाओं की दिनांक 01-02-2021 को सुनवाई की गई तथा दिनांक-12-02-2021 को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी।

6. मा0 एन0 सी0 एल0टी0 द्वारा सावधि जमा धारकों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सुश्री चारू देसाई को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा लेनदारों की समिति की बैठकों में सावधि जमा धारकों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

लेनदारों की समिति की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष वोटिंग आइटम्स (01 से 09) पर 'हाँ' अथवा 'नहीं' के माध्यम से दिनांक 15-01-2021 को सायं 03:00 बजे तक ई वोटिंग की गयी। उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज़ ट्रस्ट एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की दिनांक 13-01-2021 को सम्पन्न संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में लेनदारों की समिति की 18वीं बैठक में प्रतिभाग कर निर्धारित समस्त वोटिंग आइटम्स (01 से 09) पर 'नहीं' अंकित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2020 के मध्य विद्युत विभाग में गलत बिल जारी करने वालों के विरुद्ध कृत कार्रवाई की जानकारी

16-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर 2020 के मध्य गलत विद्युत बिल जारी करने के मामले में कितनी कंपनियों और जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश के 5 वितरण निगमों यथा-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को-कानपुर के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2020 के मध्य गलत विद्युत बिल जारी करने के मामलों में निम्नानुसार कार्रवाई की गयी :-

(क) अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार बिलिंग एजेंसियों के बीजकों से रु0 9.49 करोड़ की धनराशि की कटौती की कार्रवाई की गयी।

(ख) 1228 मीटर रीडरों को सेवा से निष्कासित किया गया।

(ग) 49 मीटर रीडरों सहित 01 सुपरवाइजर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

(घ) 6 जिलों में बिलिंग एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

(ङ) 3 विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर के कदम रसूल व अयोध्यादास प्रथम वार्ड में कटिया द्वारा विद्युत क्षति व राजस्व हानि रोके जाने विषयक

17-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के कदम रसूल व अयोध्यादास-प्रथम वार्ड में कटिया द्वारा विद्युत चोरी कर राजस्व हानि की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विद्युत चोरी/क्षति व राजस्व हानि रोकने हेतु विशेष अभियान सरकार चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

लखनऊ नगर के कदम रसूल फीडर पर ए0टी0 एण्ड सी0 हानियाँ अधिक आने पर कदम रसूल व अयोध्या प्रसाद प्रथम वार्ड में विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु सघन मास रेड अभियान के अन्तर्गत पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग की गयी, जिसमें स्थानीय निवासियों द्वारा भारी विरोध के विरुद्ध दिनांक 09-10-2018 को 9 अदद, दिनांक 09-11-2020 को 3 अदद, दिनांक 10-11-2020 को 7 अदद, दिनांक 18-11-2020 को 11 अदद तथा दिनांक 20-11-2020 को 11 अदद एवं 07-12-2020 को 23 अदद एवं दिनांक 25-01-2020 को 10 अदद प्राथिमिकी दर्ज करायी गई है। इस प्रकार कुल 74 प्राथमिकी विद्युत चोरी के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है

कारपोरेशन द्वारा विद्युत चोरी क्षति व राजस्व हानि रोकने हेतु समय-समय पर रेड अभियान चलाया गया है तथा विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत खुले एल0टी0 तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 केबिल डालने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त उदय योजना के अन्तर्गत भी विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में ए0बी0सी0 केबिल डालने का कार्य किया गया है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में आशातीत सुधार हुआ है, साथ ही पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से परिवर्तित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्युत चोरी की सम्भावना कम होने के साथ राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मकान नं0 284 डूडा कालोनी, नरपत खेड़ा, निकट जे. पी. माडल स्कूल के पास आवास के ठीक सामने क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलवाने विषयक

18-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में मकान नं0 284 डूडा कालोनी, नरपत खेड़ा, निकट जे. पी. माडल स्कूल के पास आवास के ठीक सामने क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलवाने विषयक कालोनीवासियों का पत्र दिनांक 22-07-2020 सहायक अभियन्ता, सेस-2, इन्द्रलोक कालोनी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

क्षतिग्रस्त विद्युत पोल माह नवम्बर, 2020 में बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में गाजीपुर जौनपुर सीमा के नजदीक बस डिपो की स्थापना करने विषयक

19-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा है के दृष्टिगत गाजीपुर-जौनपुर सीमा के नजदीक बस संचालन हेतु एक डिपो की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज से बसें संचालित हैं। लालगंज से आजमगढ़ की दूरी 40 किमी0 है, जहाँ दो डिपो स्थापित हैं। आजमगढ़ डिपो में 80 बसें एवं डॉ0 अम्बेडकर डिपो में 73 बसों का संचालन है। आजमगढ़ क्षेत्र के अतिरिक्त लालगंज से होकर वाराणसी क्षेत्र एवं गोरखपुर क्षेत्र की बसों का भी संचालन होता है। इसलिये बस डिपो स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मैनपुरी के जिला मुख्यालय पर निर्मित जिलापूर्ति कार्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

20-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के जिला मुख्यालय पर बना जिलापूर्ति कार्यालय जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन का नव निर्माण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मैनपुरी में जिलापूर्ति कार्यालय का भवन पूर्व में जर्जर था। माह फरवरी, 2019 में उक्त भवन का जीर्णोद्धार करा दिया गया है, जिसमें जिलापूर्ति कार्यालय संचालित है। वर्तमान में उक्त भवन अच्छी स्थिति में है।

उक्त भवन का जीर्णोद्धार हो जाने तथा अच्छी स्थिति में होने के कारण नव निर्माण का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

राम कुबेर किसान सेवा केन्द्र, हाफिजपुर जिला अम्बेडकरनगर को स्थाई एन0ओ0सी0 दिलाये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम कुबेर किसान सेवा केन्द्र हाफिजपुर जिला अम्बेडकरनगर द्वारा स्थाई एन0ओ0सी0 हेतु जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा न दिये जाने के कारण पेट्रोल पम्प (किसान सेवा केन्द्र) बन्द हो गया है ? क्या सरकार उक्त किसान सेवा केन्द्र को स्थाई एन0ओ0सी0 दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1882/23-12-19-1365/17 टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 के अन्तर्गत जारी गाइड लाइन के आलोक में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-1177/1सी दिनांक 16-09-2020 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार मे0 राम कुबेर किसान सेवा केन्द्र हाफिजपुर की भूमि मानक के अनुरूप उपलब्ध न होने के कारण उक्त पम्प का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-1177/1सी दिनांक 16-09- 2020 के अनुसार मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त पम्प का स्थाई अनापत्ति दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 22-07-2020 व पत्र संख्या-259/ई0आर0के0/पेट्रोल पम्प/2018 दिनांक 11-10-2018 द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर कार्यालय के आदेश संख्या-216/ई0आर0के0/पेट्रोल पम्प/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आदेश/हाफिजपुर/2020 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत ब्लाक धनीपुर एवं लोधा ब्लाक के कतिपय ग्रामों में विद्युत अधिभार तथा जर्जर तारों को बदले जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 4252/पी0 आर0 ओ0/2020 दिनांक 14-09-2020 पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में

22-श्री अनिल पाराशर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत ब्लाक धनीपुर के ग्राम गडराना, गोकुलपुर, सौनोठ, कौछोड़ और लोधा ब्लॉक के मंडराग, सिंघारपुर, पडियावली गांवों में विद्युत अधिभार की क्षमता तथा जर्जर तारों को बदले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4252/पी0आर0ओ0/2020 दिनांक 14-09-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र गडराना, कौछोड़ एवं मडराक तकनीकी रूप से अतिभारित नहीं है। 33/11 केवी उपकेन्द्र गोकुलपुर, सौनोठ की क्षमतावृद्धि 1 X 5 एम0वी0ए0 से 2 X 5 एम0वी0ए0 करने के लिये कार्यवाही प्रक्रिया में है तथा यह कार्य बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है। 33/11 उपकेन्द्र सिंघारपुर की क्षमता वर्तमान में 1 X 10 + 1 X 5 एम0वी0ए0 है, सिंघारपुर की अतिभारिता दूर करने हेतु पूर्व में ही नवीन 33/11 के0वी0 पडियावली उपकेन्द्र 2 X 5 एम0वी0ए0 का निर्माण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में सिंघारपुर उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है तथा जर्जर तारों को बदलने की कार्रवाई नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना के अन्तर्गत की जा रही है तथा यह कार्य योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

23-हाजी इरफान सोलंकी-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री संतोष कुमार चौधरी को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के सम्बन्ध में

24-श्री संजय प्रताप जायसवाल

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संतोष कुमार चौधरी पुत्र स्वव कृपा शंकर चौधरी को मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28/02/2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हां।

शासनादेश संख्या-05वी0आई0पी0/44-2-2003-2/च0स0/88 दिनांक 11-07-2003 द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं हैं अर्थात जिनमें संचित हानि है अथवा जिनमें सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिए जाने की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम से प्राप्त होने पर पत्र में किये गये अनुरोधानुसार मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

किये गये अनुरोधानुसार स्व0 कृपा शंकर चौधरी के परिजनों को रुपया पांच लाख की आर्थिक सहायता एवं समस्त विभागीय देयकों का भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस कस्बा सादाबाद के चावड़ वाला मोहल्ला में जर्जर केबिल तथा पोल को बदले जाने के सम्बन्ध में

25-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद बनसज के अन्तर्गत चावड़ वाला मौहल्ला में विद्युत पोल तथा केबिल होने के कारण विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हाँ, तो उक्त जर्जर केबिल एवं पोल को सरकार बदलवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

इस कार्य हेतु प्राक्कलन बिजनेस प्लान के अन्तर्गत रु0 115729.00 का बना लिया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उक्त कार्य दिनांक 30-06-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में दि0 12-05-2019 को बस चालक द्वारा कुचले गये मृतक के आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में

26-श्री अनिल पाराशर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में दिनांक 12-05-2019 को श्री लक्ष्मीकान्त पंडित पुत्र स्वव देवकी नन्दन शर्मा की बस से कुचल कर मृत्यु में आश्रित को मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम

अलीगढ़ ने समस्त तथ्यों को दर्शाते हुए अपने पत्रांक क्षेत्र/अली/स्था-IIमृ0आर0/2019-2268 दिनांक 20-07-2019 द्वारा अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-05वी0आई0पी0/44-2-2003-2/च0स0/88 दिनांक 11-07-2003 द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं हैं अर्थात जिनमें संचित हानि है अथवा जिनमें सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिए जाने की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम से प्राप्त होने पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज व जानकीपुरम क्षेत्र में बांस-बल्ली हटाकर विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के खंभे लगवाये जाने के सम्बन्ध में

27-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज और जानकीपुरम के जिन क्षेत्रों में बांस-बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति हो रही है को हटाकर बिजली के पोल सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद-लखनऊ के लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज में लगभग 100 पोल व 5 किलो मीटर लाइन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसे कारपोरेशन के आदेशानुसार ''नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना'' के अन्तर्गत कराया जायेगा। वर्तमान में मण्डल को आवंटित धनराशि के सापेक्ष फैजुल्लागंज क्षेत्र, सीतापुर रोड खण्ड स्तर से रुपये 3.96 लाख का प्राक्कलन एवं जानकीपुरम क्षेत्र में रहीमनगर खण्ड स्तर से रुपये 3.97 लाख (जिसके अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों में लगभग 20 नग पोल एवं 800 मीटर लाइन का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।), के प्राक्कलन 'नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना' में लेसा ट्रांस गोमती क्षेत्र के नोडल अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता (दशम्) लेसा लखनऊ को स्वीकृति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गयी है। उक्त कार्य आगामी 02 माह में करा दिया जायेगा।

साथ ही उक्त योजनान्तर्गत भविष्य में अतिरिक्त निधि उपलब्ध होते ही पोल व लाइन निर्माण कार्य स्वीकृति उपरान्त कराया जाता रहेगा।

आगामी 02 माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में हाई टेंशन लाईन हटाये जाने के सम्बन्ध में

28-डॉ0 नीरज बोरा

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज क्षेत्र में जो सघन बस्ती के ऊपर से गई हाई टेंशन लाइन को सरकार हटायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद-लखनऊ के (नवीकोट नंदना) फैजुल्लागंज क्षेत्र में जो सघन बस्ती है, के ऊपर से गई हाई टेंशन लाइन 33/11 के0वी0 लाइन 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र नवीकोट नन्दना से अहिबरनपुर के लिए 33 के0वी0 विभव पर लगभग 40 वर्ष पूर्व बनी थी। आवासीय बस्तियां बाद में बनी हैं, जिससे डालीगंज हेतु सीतापुर रोड खदरा, त्रिवेणी नगर इत्यादि लखनऊ के महत्वपूर्ण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जाती है। उपरोक्त 33 के0वी0 लाइन को शिफ्ट कराने का कार्य उपभोक्ता के अनुरोध पर जमा योजना के अन्तर्गत प्राक्कलित धनराशि जमा होने पर कार्य कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित दाऊदनगर में बिजलीघर निर्माण विषयक

29-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज स्थित दाऊदनगर में बिजली घर निर्माण हेतु जनवरी, 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शिलान्यास किया गया था तथा दीर्घावधि के उपरान्त भी दिनांक 24-7-2020 तक बिजली घर नहीं बन पाया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि फरवरी 2020 में मैसर्स सिंह इण्टरप्राइजेज द्वारा नये स्थान पर निर्माण आरम्भ किया गया किन्तु कार्यारम्भ होते ही रोक दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बिजली घर का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

उक्त विद्युत उपकेन्द्र के जनपदीय कार्य भूमि विवाद सुलझाने के पश्चात प्रारम्भ किये जा चुके है, जनपदीय कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। कार्य प्रगति पर है। मैसर्स सिंह इण्टरप्राइजेज द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जी हाँ।

उक्त विद्युत उपकेन्द्र को दिनांक 31-03-2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली, मोतीचक, हाटा व नगर पालिका परिषद हाटा में जर्जर विद्युत पोल व तारों को बदले जाने विषयक

30-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली, मोतीचक, हाटा व नगर पालिका परिषद हाटा में विद्युत जर्जर पोल व तारों को सरकार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

डिस्कॉम स्तर से जनपद कुशीनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से अधिक आबादी के चयनित मजरों में जर्जर तारों को ए0बी0सी0 केबिल बदलने हेतु मेसर्स स्तम्भ पावर सिस्टम प्रा0लि0 को कार्य आवंटित किया गया है, जिसमें जनपद कुशीनगर के वि0खं0 सुकरौली के 70 मजरों में, वि0खं0 मोतीचक के 83 मजरों एवं वि0खं0 हाटा के 57 मजरों में जर्जर विद्युत पोल एवं जर्जर तारों को बदला जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य चल रहा है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 28-02-2022 तक पूर्ण किया जाना है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

नगर पालिका परिषद हाटा में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत 94 नग 8.5 मीटर पी0सी0सी0 पोल तथा 0.91 किमी एल0टी0 ए0बी0सी0 लगाने का कार्य जून, 2020 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के नगर पालिका हाटा में मिनी बस स्टेशन के निर्माण में विलम्ब का कारण सहित विवरण पटल पर रखे जाने विषयक

31-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के नगर पालिका हाटा में मिनी बस स्टेशन के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में 0.1010 हेक्टेयर भूमि चयनित कर आवश्यक औचारिकतायें पूरी कर दी गई है तथा क्षेत्रीय प्रबन्धन उ0प्र0 राज्य सड़क

परिवहन निगम ने पत्र सं0 जीआर/-जी0-1/हाटा बस स्टे0/028/1/19, दिनांक 3 जुलाई, 2019 द्वारा अपनी संस्तुति निगम मुख्यालय भेजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस स्टेशन निर्माण में हो रहे विलम्ब का कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जनपद कुशीनगर की नगर पालिका हाटा में मिनी बस स्टेशन निर्माण हेतु अभी औपचारिकताएं पूर्ण की जानी अपेक्षित है। निःशुल्क भूमि प्राप्त होने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-जीआर/जी-1/हाटा बस स्टे0/028/1/19, दिनांक 3 जुलाई, 2019 द्वारा संस्तुति निगम मुख्यालय को प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत बस स्टेशन निर्माण हेतु चयनित भूमि परिवहन निगम को निःशुल्क नामान्तरण की कार्यवाही में प्रक्रियागत विलम्ब है।

जनपद कुशीनगर स्थित छोटी गण्डक में अथरहां-सिकटियां, डुमरी, सवांगी पट्टी, हेतिमपुर आदि के पास खनन कार्यों को मानक के अनुरूप करने व अवैध खनन का संज्ञान लिये जाने विषयक

32-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर स्थित छोटी गण्डक में अथरहां-सिकटियां, डुमरी सवांगी पट्टी, हेतिमपुर आदि के पास खनन कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में खनन के मानकों के अनुरूप होने तथा खनन हेतु जारी आदेशों का विवरण क्या है ? क्या सरकार को कुशीनगर जनपद में अवैध खनन कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई है यदि हां, तो उक्त का की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कुशीनगर में स्थित छोटी गण्डक के ग्राम अथरहां-सिकटियां, डुमरी, सवांगी पट्टी, हेतिमपुर आदि में उप खनिज साधारण बालू का वर्तमान में कोई परिहार स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच व नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 32 प्रकरणों में माननीय सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया तथा 226 मामलों में धनराशि रु0-78.80 लाख राजकीय कोष में जमा करायी गयी है। खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 07 सदस्यीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के वर्ष 2019 के द्वितीय सत्र के द्वितीय शुक्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के क्रम में ग्राम सिकटियां, डुमरी, सवांगी पट्टी, हेतिमपुर व अथरहां आदि में खनन हेतु आदेश दिये जाने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

33-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के द्वितीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिरवट कोन्ह वालिया के अतिरिक्त ग्राम सिकटिया, डुमरी सवांगी पट्टी, हेतिमपुर व अथरहां आदि में खनन हेतु पट्टा आवंटित है ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्रों में खनन किसके आदेश से हो रहा है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कुशीनगर में वर्तमान में उपखनिज बालू का कोई परिहार स्वीकृत नहीं है।

संदर्भित क्षेत्रों में खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा-ककरवई लाइन पर जर्जर व लाइनों को बदलने व पेड़ों से दूर ले जाने विषयक

34-श्री जवाहर लाल राजपूत

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गरौठा-ककरवई लाइन पर दुरूखुरू, हीरानगर, डुमरई, कचीर, धमनौड व धनौरा से गोकुल पारा, खंभा घटियारी, देवरी ढर्रे बरमाइन प्रतापपुरा आदि लाइनें जर्जर एवं बहुत नीची होने के कारण पेड़ों से टकराकर टुटने से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर लाइनों को बदलने एवं पेड़ों से दूर लाइन ले जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ककरवई लाइन में दुरूखुरू, हीरानगर, डुमरई, कचीर, धमनौड व धनौरा से गोकुलपारा, खम्भा घटियारी, देवरी ढर्रो बरमाइन

प्रतापपुरा लाइन में जहां-जहां पर विद्युत लाइन ढीली थी, वहां पर पोल पर कण्डक्टर की वाइडिंग खोलकर दिनांक 11-07-2020 को लाईनों की रीसैगिंग कराकर विद्युत लाइनों को ऊँचा कर दिया गया है। बरसात में जो पेड़ों की डालिया लाइनों पर आ गयी थीं उनकी छटाई कराकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उक्त विद्युत लाइनों के निरीक्षणोंपरान्त कोई भी विद्युत लाईन एवं तार जर्जर स्थिति में नहीं पायी गयी है। कभी कभार तेज आंधी तूफान आने के कारण लाईनों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिनकी मरम्मत एवं अनुरक्षण कराकर विद्युत आपूर्ति सामान्य करा दी जाती है। वर्तमान में उक्त फीडर पर औसत 17.52 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी के ग्राम कुम्हौल में तथा विकास खण्ड जागीर के ग्राम पुडरी मछना में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने विषयक

35-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी के ग्राम कुम्हौल में तथा विकास खण्ड जागीर के ग्राम पुडरी मछना में गांवों के अन्दर विद्युत की लाईन जर्जर है तथा विद्युत तार घरों की छतों और दरवाजो पर झूल रहे है ? यदि हो तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में जर्जर विद्युत तारो को हटाकर नए तार खिंचवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी के विकास खण्ड-किशनी के ग्राम कुम्हौल एवं विकास खण्ड जागीर के ग्राम पुडरी मछना में कुछ स्थानों पर जर्जर तार थे, उन स्थानों को चिन्हित कर जर्जर तारों को दिनांक 05-08-2020 को बदलवाया जा चुका है।

जनपद लखनऊ के अलीगंज में स्थित भवन संख्या-ईडी 484, सेक्टर-क्यू के कोने पर लगे जर्जर बिजली के खम्भे को बदलवाने विषयक

36-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज में स्थित भवन संख्या-ईडी 484, सेक्टर-क्यू के कोने पर लगा बिजली का खम्भा जर्जर होने से तार लटक गये है, जिससे क्षेत्र में हादसा होने की सम्भावना बनी रहती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर खम्भे को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-लखनऊ के अलीगंज में स्थित भवन संख्या-ईडी 484, सेक्टर क्यू के कोने पर लगे पोल एवं विद्युत तारों का निरीक्षण किया गया है। दिनांक 08-12-2020 को तीन स्पेन तार को खींच कर टाईट कर दिया गया है एवं पोल की ग्राउटिंग करा दी गयी है।

दिनांक 08-12-2020 को तीन स्पेन तार को खींचकर टाईट कर दिया गया है एवं पोल की ग्राउटिंग करा दी गयी है।

विद्युत तार खींच कर टाईट कर पोल की ग्राउटिंग करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद अन्तर्गत मोहल्ला आनन्द नगर एवं कृष्णा नगर में जर्जर विद्युत तारों व पोल को बदलने के सम्बन्ध में

37-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद अन्तर्गत मोहल्ला आनन्द नगर एवं मोहल्ला कृष्णा नगर में विद्युत पोल तथा केबिल जर्जर होने के कारण विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के लिये उक्त जर्जर केबिल एवं पोल को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

इस कार्य हेतु प्राक्कलन बिजनेस प्लान के अन्तर्गत रु0 117765 का बना लिया गया है, जो स्वीकृति की प्रकिया में है।

उक्त कार्य दिनांक 30-06-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में जर्जर विद्युत केबिल व पोल को बदलवाने के सम्बन्ध में

38-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद अन्तर्गत मोहल्ला बजरिया मोहल्ला काहरान धोबियान तथा गली पण्डितान में विद्युत पोल तथा केबिल जर्जर होने से उक्त क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के लिये उक्त क्षेत्रों में जर्जर केबिल एवं पोल को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

इस कार्य हेतु प्राक्कलन बिजनेस प्लान के अन्तर्गत रु0 502401.00 का बना लिया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उक्त कार्य दिनांक 30-06-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिसूचना दि0 23-06-2020 द्वारा प्रदेश में विनिर्मित, रजिस्ट्रीकृत, विक्रित ई-रिक्शा में छूट विषयक

39-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2/2020/576/ तीस-4-2020-8 (19)/2018 टी सी, दिनांक 23-जून-2020 के द्वारा प्रदेश में विनिर्मित, रजिस्ट्रीक्रत, विक्रित ई-रिक्शाओं को कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों सहित उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय शामली में उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत प्रदान की गई छूट जनता को नहीं मिल पा रही है तथा उपरोक्त श्रेणी के वाहनों के रजिस्ट्रीकरण में कर वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अधिसूचना के विपरीत कार्य करने वाले अफसरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

उ0प्र0 में विनिर्मित, रजिस्ट्रीकृत, विक्रीत ई-रिक्शाओं को अधिसूचना संख्या-06/2020/576/तीस-4-2020-8(19)/2018 टीसी, दिनांक 23-06-2020 द्वारा कर के संदाय से छूट प्रदान की गयी है।

उक्त अधिसूचना संख्या-06/2020/576/तीस-4-2020-8 (19)/2018 टी सी, दिनांक 23-06-2020 के अन्तर्गत छूट प्रदान करने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा आवश्यक प्राविधान करने में समय लगने, विक्रय प्रपत्र में निर्माता का स्पष्ट उल्लेख न होने एवं पंजीयन के समय विकल्प का सही चयन न करने के कारण कतिपय वाहनों को उक्त छूट प्रदान नहीं की जा सकी परन्तु अब इस श्रेणी के समस्त वाहनों को छूट प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उक्त श्रेणी के कतिपय वाहनों को कर के संदाय से छूट न दिये जाने के प्रकरण की प्रारम्भिक जांच उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), मेरठ द्वारा की गयी जिसमें उक्त तकनीकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री नाहिद हसन-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला जैसबाल में विद्युत पोल एवं जर्जर केबिल को बदलने विषयक

41-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद के अन्तर्गत बस स्टैण्ड सादाबाद एवं मोहल्ला जैसबाल में विद्युत पोल एवं केबिल जर्जर है ? यदि हां, तो कस्बा सादाबाद में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के लिये जर्जर केबिल एवं पोल को सरकार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

इस कार्य हेतु प्राक्कलन बिजनेस प्लान के अन्तर्गत रु0 236359.00 का बना लिया गया है, जो स्वीकृति की प्रकिया में है।

उक्त कार्य दिनांक 30-06-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के अन्तर्गत विनोद विहार कालोनी में आवासों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को हटाकर अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में

42-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के अन्तर्गत विनोद विहार कालोनी में आवासों के ऊपर से गुजर रही 33 हजार किलोवॉट विद्युत लाइन गुजरने से दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं ? यदि हाँ, तो उक्त विद्युत लाइन को सरकार अन्यत्र स्थापित करायेगीं ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हाथरस के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र हाथरस से 33 के0वी0 उपकेन्द्र सलेमपुर को लाइन जा रही है। उक्त लाइन पूर्व से बनी हुई है। उपरोक्त विद्युत लाइन के नीचे विनोद विहार कालोनी के लोगों द्वारा बाद में आवास बना लिये हैं। अभी तक कोई विद्युत दुर्घटना घटित नहीं हुई है।

वर्तमान में उक्त लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कालोनी वासियों द्वारा आवेदन करने पर निगम नियमानुसार जमा योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करने पर उक्त लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकता है।

शोभा सिंह का पुरवा, फारेस्ट वैरियर के पास, प्रयागराज रोड, जनपद कर्वी-चित्रकूट में प्रयागराज मुख्य मार्ग क्षेत्र में बांस-बल्लियों के स्थान पर विद्युत पोल व बंच केबल लगवाने विषयक

43-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोभा सिंह का पुरवा, फारेस्ट वैरियर के पास, प्रयागराज रोड, जनपद कर्वी चित्रकूट में प्रयागराज मुख्य मार्ग के दूसरी तरफ से बांस-बल्लियों के सहारे विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र मैं विद्युत पोल से घरों की दूरी अत्यधिक होने के कारण सर्विस केबल टूटकर मुख्यमार्ग पर गिरे रहने से दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बांस-बल्लियों के स्थान पर विद्युत पोल एवं बंच केबल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हां।

जी हाँ।

शोभा सिंह का पुरवा कर्वी जनपद चित्रकूट में बांस-बल्लियों के सहारे सर्विस केबल के स्थान पर विद्युत पोल लगाकर ए0बी0सी0 केबिल लगाने हेतु 'नवीन जिला विकास निधि' योजनान्तर्गत धनराशि रु0 1,68,172.00 का प्राक्कलन/पैकेज जिलाधिकारी चित्रकूट से स्वीकृत हो गया है।

माह मार्च, 2021 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत मिहींपुरवा में रोडवेज बस स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में

45-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत मिहींपुरवा में रोडवेज बस स्टेशन की स्थापना सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मिहींपुरवा स्टापेज बहराइच से 62 किमी0 की दूरी पर बहराइच नानपारा-लखीमपुर मार्ग पर स्थित है। मिहींपुरवा स्टापेज से होकर निगम बसों का संचालन हो रहा है, यात्रियों को परिवहन सुविधा का लाभ परिवहन निगम से पर्याप्त रूप से दिया जा रहा है। परिवहन निगम का रूपैडिहा बस स्टेशन वर्तमान में संचालित है, रूपैडिहा से मिहींपुरवा मात्र 42 किमी0 की दूरी पर स्थित है, उपरोक्त के दृष्टिगत मिहींपुरवा में बस स्टेशन का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों हेतु विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु योजना के अतिरिक्त और छूट दिये जाने विषयक

46-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों के लिए विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन में अतिरिक्त छूट दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के सभी किसानों को सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप संयोजन हेतु रु0 68,000/-प्रति नलकूप का अनुदान दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त छूट दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा चरखारी विधान सभा क्षेत्र में मजरों के विद्युतीकरण किये जाने की जानकारी

47-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में कितने मजरो का विद्युतीकरण पूर्ण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष मजरों का विद्युतीकरण कराएगी ? यदि हां तो कब ? तक यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में 10 परिवार या इससे अधिक आबादी वाले मजरों का सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें 378 मजरें अविद्युतीकृत पाये गये थे, जिसमें सभी का विद्युतीकरण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्र में सुचारु विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक

48-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति कितने घंटे की जा रही है तथा सरकार द्वारा कितने घंटे आपूर्ति का प्रावधान है ? क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र चरखारी में किसानों को 12 घंटे की ही विद्युत आपूर्ति मिल रही है तथा आए दिन जगह-जगह फाल्ट होते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए कोई ठोस योजना बनायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में 20.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। कभी कभी फाल्ट इत्यादि हो जाने के कारण माह फरवरी, 2021 के प्रथम पक्ष में औसतन 18.13 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है।

जी नहीं।

जनपद-महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र के किसानों के संयोजन ग्रामीण पोषकों से जुड़े हैं। ग्रामीण पोषकों पर 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। लाईन के ब्रेकडाउन होने के कारण औसत विद्युत आपूर्ति माह फरवरी, 2021 के प्रथम पक्ष में 18:13 घण्टे की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जैतपुर विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के0वी0 लभौरा फीडर की ओवर लोडिंग दूर करने के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास महोबा निधि के अन्तर्गत रु0 5,87,515 का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। यह कार्य दिनांक 30-05-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है।

49-श्री श्याम सुन्दर वर्मा-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में कोविड 19 में मंदिर बंद होने के कारण पुजारी, फूल वाले, प्रसाद सामग्री आदि व्यक्तियों के जीवनयापन हेतु योजना संचालित किये जाने विषयक

50-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति में मंदिरों के कपाट बन्द होने से मंदिर परिसर के पुजारी, फूलवाले, प्रसाद सामग्री वाले, सजावट वाले लोगों की जीवनयापन क्षमता निम्न आय की हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोगों के जीवनयापन हेतु कोई योजना संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।।

शासन के पत्र संख्या-705/36-3-2017-01 (यू0एस0एस0)/13 टी0सी0 दिनांक 21-06-2017 द्वारा असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु 45 प्रकार की श्रेणियाँ निर्धारित की गयी हैं, जिसमें माली, फूल विक्रेता सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा-2 (के), (एल), (एम) एवं (एन) में परिभाषित कर्मकार भी असंगठित कर्मकार के अन्तर्गत सम्मिलित होंगे। पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को ''उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड'' द्वारा संचालित/घोषित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा।

वर्तमान में मंदिर परिसर के पुजारी, प्रसाद सामग्री वाले लोगों के जीवनयापन हेतु कोई भी योजना श्रम विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

असंगठित कर्मकार अधिनियम, 2008 की धारा-2 के अन्तर्गत माली, फूल विक्रेता इत्यादि का पंजीयन असंगठित कर्मकारों के रूप में किया जायेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-150/2012 में दिनांक 21-08-2018 को पारित आदेश द्वारा भारत सरकार को पूरे देश के लिये एक पंजीयन माड्यूल तैयार करने एवं राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जा चुके है, जो कि अभी अप्राप्त है।

उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के निर्देशों के क्रम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराने एवं पंजीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-03/2021/131/36-3-2021-01 (सा0)/2013 टी0सी0 दिनांक 20-01-2021 द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रदेश में असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण की कार्यवाही करते हुए उन्हें बोर्ड द्वारा घोषित की जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना, सहारनपुर के कर्मियों को समायोजित करने विषयक

51-श्री संजय गर्ग-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नं0 152435 दिनांक 10-02-2020 जो राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना, सहारनपुर के कर्मचारियों को समायोजित करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु त्रिपक्षीय समिति द्वारा कार्रवाई का विवरण दिये जाने विषयक

52-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन द्वारा फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में चूड़ी जुड़ाई के कार्य करने वाले श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु उपश्रमायुक्त आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 14 सितम्बर 2020 को त्रिपक्षीय कमेटी का गठन कर उक्त श्रमिकों को देय मात्रानुपाती दरों का अध्ययन एवं संस्तुति देना चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में नियोजित श्रमिकों को देय वार्षिक राहत का अध्ययन एवं संस्तुति देने हेतु समिति को तीन माह का समय प्रदान किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई का समयबद्ध विवरण देने एवं त्रिपक्षीय समिति के गठन के उद्देश्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ,

त्रिपक्षीय कमेटी का गठन किया जा चुका है, कमेटी के अध्यक्ष उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, आगरा हैं। उप श्रमायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में श्रमिक संगठन एवं सेवायोजक संगठनों के मध्य श्रमिकों को देय मात्रानुपाती दरों का अध्ययन से सम्बन्धित दिनांक 28-10-2020, 07-11-2020, 25-11-2020, 08-12-2020 एवं 23-12-2020 को वार्ता करायी जा चुकी है। वार्ता के दौरान उभय पक्षों के द्वारा मौखिक तथ्य रखे गये एवं लिखित पत्र भी प्रस्तुत किया

गया। दिनांक 23-12-2020 को उभय पक्षों के मध्य वार्ता हुई। इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट उपश्रमायुक्त, आगरा के पत्र दिनांक 03-02-2021 द्वारा शासन को प्राप्त हुई है, जो प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा, भवन श्रमिक सन्निर्माण योजना आदि की तरह बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के नागरिकों को अनिवार्य रूप से जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा देने सम्बन्धी किसी योजना को संचालित कराये जाने विषयक

53-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायाजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिकों के परिवार के सदस्य की आकस्मिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल स्थायी दिव्यांगता अथवा मृत्यु हो जाने की दशा में किसी भी सरकारी योजना में पंजीकृत न होने के कारण परेशानी होती है ? क्या सरकार किसान दुर्घटना बीमा भवन श्रमिक सन्निर्माण योजना आदि की तरह बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के नागरिकों को अनिवार्य रूप से जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा देने सम्बन्धी किसी योजना को संचालित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के नागरिकों को अनिवार्य रूप से जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा देने सम्बन्धी योजना का संचालन उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत हितलाभ प्रदान किये जाने हेतु सर्वप्रथम असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण किया जाना है। तदोपरान्त उन्हें योजना से आच्छादित किया जायेगा।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-150/2012 में दिनांक 21-08-2018 को पारित आदेश द्वारा भारत सरकार को पूरे देश के लिये एक पंजीयन माड्यूल तैयार करने एवं राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जो कि अभी तक अप्राप्त हैं।

उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के निर्देशों के क्रम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराने एवं पंजीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-03/2021/131/36-3-2021-01 (सा0)/2013 टी0सी0 दिनांक 20-01-2021 द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर को निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रदेश में असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण की कार्रवाई करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं से आच्छादित किये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

54-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस कस्बा सादाबाद में कृष्णा नगर व व्यापारियान मौहल्ला में जर्जर विद्युत पोल एवं केबिल को बदलने विषयक

55-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद के अन्तर्गत कृष्णा नगर एवं व्यापारियान मौहल्ला में विद्युत पोल एवं केबिल जर्जर होने से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नही, हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर केबिल एवं पोल को सरकार बदलेगी, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों,

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

इस कार्य हेतु प्राक्कलन बिजनेस प्लान के अन्तर्गत रु0 262316.00 का बना लिया गया है, जो स्वीकृति की प्रकिया में है।

उक्त कार्य दिनांक 30-06-2021 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में किसानों को मुफ्त विद्युत दिये जाने विषयक पत्र सं0 ख-581820 पर कार्रवाई विषयक

56-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में किसानों को बिजली फ्री कराने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-02-2020 का पत्र संख्या ख-581820 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विद्युत दरों का निर्धारण मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। साथ ही भारत सरकार की टैरिफ पालिसी-2016 के बिन्दु संख्या-8.4 के अनुसार किसी उपभोक्ता वर्ग को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने को अवांछनीय माना गया है।

जनपद गोण्डा में III फेज का विद्युतीकरण कार्य कराने के सम्बन्ध में

57-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में III फेज का विद्युतीकरण का कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-गोण्डा में सौभाग्य योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत चयनित 1701 मजरों में अतिरिक्त इन्फ्रा बनाने का कार्य प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में बस डिपो की स्थापना सरकार कराने विषयक

58-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में काँच चूडी एवं काँच के अन्य उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात के लिये देश एवं विदेश से व्यापारियों एवं सम्बन्धित लोगों का आवागमन के दृष्टिगत नगर फिरोजाबाद में बस डिपो की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

वर्तमान में फिरोजाबाद बस स्टेशन है जहां से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं राजस्थान के शहरों के लिये बसें चलती हैं। अतः वर्तमान में यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है तथा बस डिपो न होने पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

फिरोजाबाद जनपद से 24 कि0मी0 की दूरी पर शिकोहाबाद डिपो स्थित है, जो कि फिरोजाबाद जनपद के अन्तर्गत ही है, जहाँ से यात्रियों को फिरोजाबाद जनपद के बस स्टेशन से बस संचालित कराकर परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में राशन कार्ड से वंचित प्रदेश के समस्त पात्र व्यक्तियों को निश्चित समय सीमा तक राशन कार्ड जारी करने विषयक

59-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पात्र व्यक्तियों को 01 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 के मध्य नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं ? क्या

सरकार राशन कार्ड से वंचित समस्त पात्र व्यक्तियों को किसी निश्चित समय सीमा तक राशन कार्ड जारी करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 के मध्य पात्र व्यक्तियों को कुल 15,85,774 नये राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा समय-समय पर कार्डधारकों की पात्रता/अपात्रता का सत्यापन कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त कर नये लाभार्थी का चयन कर उन्हें राशन कार्ड जारी किया जाता है, चूँकि राशन कार्ड जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए राशन कार्ड जारी करने हेतु किसी समय-सीमा का निश्चय नहीं किया जा सकता है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा बनकट उसर मोहल्ले से राजेन्द्र माली के घर के आगे तक जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने विषयक

60-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा बनकट उसर मोहल्ले से राजेन्द्र माली के घर के आगे तक विद्युत तार जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त जर्जर विधुत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-बिलरियागंज के ग्राम सभा बनकट उसर मोहल्ले से राजेन्द्र माली के घर तक का निरीक्षण किया गया, जिसमें दो व तीन स्पैन के तार जर्जर हैं।

उपरोक्त जर्जर तार दिनांक 21-01-2021 को बदल दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज में सत्र 2019 सितम्बर 2020 तक क्षमता वृद्धि किये गये ट्रांसफार्मरों के विवरण की जानकारी

61-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज में सत्र 2019 से सितम्बर 2020 तक कितने ट्रांसफार्मरों की क्षमता

वृद्धि हुई है ? क्या सरकार उक्त की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-बिलरियागंज में सत्र 2019 से सितम्बर 2020 तक कुल 14 अदद परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की गयी है।

विकास खण्ड-महराजगंज में सत्र 2019 से सितम्बर 2020 तक 8 अदद परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की गयी है। जिनका विवरण अनुपूरक 'क' संलग्न है।

जी हाँ।

अनुपूरक 'क' संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा खैरुद्दीनपुर में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने विषयक

62-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा खैरुद्दीनपुर में विगत 40 वर्ष पुराने हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तारों का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-बिलरियागंज के ग्राम सभा खैरुद्दीनपुर में विगत कई वर्षों से लगे कुछ विद्युत तार जर्जर थे, उन्हें चिन्हित कर 400 मीटर पुराने विद्युत तार जर्जर तथा तीन अदद् लकड़ी के लगे पोल को माह मई, 2020 में बदलकर नवीनीकरण कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त दिहाड़ी श्रमिकों का उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकरण कराये जाने हेतु श्रम विभाग, फिरोजाबाद को निर्देशित कराये जाने विषयक

63-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विभिन्न राजकीय योजनाओं एवं निजी क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या .... पर।

दिहाडी श्रमिकों का उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकरण कराये जाने हेतु श्रम विभाग, फिरोजाबाद को निर्देशित कराये जाने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में कार्यरत दिहाड़ी श्रमिकों के उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकरण हेतु सम्बधित विभाग के विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी को उक्त कार्य शत-प्रतिशत कराये जाने तथा अनदेखी किये जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई कराने सम्बन्धी निर्देश जारी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत ऐसे निर्माण श्रमिक, जो विगत 12 माह में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कार्य करते हैं, उन्हें बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने एवं उनकी पात्रता के आधार पर बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित कराये जाने के निर्देश उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों को पूर्व से ही दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

श्रमिक द्वारा अपना पंजीयन कराना पूर्णतः स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में शतप्रतिशत पंजीयन कराये जाने हेतु किसी अधिकारी को बाध्य नहीं किया जा सकता है तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने का प्राविधान नहीं है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे जाने की शिकायतें प्राप्त एवं निस्तारित करवाने व सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये आवश्यक कार्रवाई करने विषयक

64-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजे जाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी होने की जानकारी सरकार को है क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2020-21 में दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक कुल कितनी संख्या में उपभोक्ताओं विद्युत को गलत विद्युत बिल भेजे जाने की शिकायतें प्राप्त हुयी एवं कितनों का निस्तारण किया गया है ? क्या सरकार गलत बिल भिजवाने के कार्य में सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये आवश्यक कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में (दिनांक 01-04-2020 से 25-10-2020 तक) कुल 767 (ऑनलाइन 190 ऑफ लाइन 577) उपभोक्ताओं के गलत विद्युत बिल की शिकायत प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों का निस्तारण ससमय कर दिया गया है।

बिलिंग एजेन्सी के साथ हुए अनुबन्ध में गलत बिल पर पेनॉल्टी एवं विधिक कार्यवाही के प्रावधान हैं। बिलिंग एजेन्सी द्वारा 04 सुपरवाइजर तथा 09 मीटर रीडर हटाये गये हैं तथा बिलिंग एजेन्सी पर रु0 6,67,421.00 की पेनॉल्टी के रूप में कटौती आरोपित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक लगे स्मार्ट मीटर के कनेक्शन लोड जम्प होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बढ़े हुये बिल मिलने की शिकायतों को दूर करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने विषयक

65-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है, कि कनेक्शन लोड़ कई गुना जम्प होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बढे हये बिल मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक नगरीय क्षेत्र फिरोजाबाद में कुल कितनी शिकायतें दर्ज करी गयी एवं कितनी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन स्मार्ट मीटरों की बड़े पैमाने पर मिलने वाली शिकायतों को दूर करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 तक कुल 20,775 नग स्मार्ट मीटर लगाए गये हैं।

जी हां।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 तक नगरीय क्षेत्र में कुल 46 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

उपभोक्ता के शिकायत निवारण हेतु हेल्प लाइन नंबर 1912 कार्यरत है इसके अतिरिक्त दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं हेतु समर्पित हेल्प

लाइन नंबर 9511113104, 9119930007 कार्यरत हैं, जिन पर किसी भी शिकायत के प्राप्त होने के उपरान्त उनका त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2015-16 में अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल फिरोजाबाद द्वारा मृतक आश्रित कोटे में कार्यालय सहायक, तृतीय के पद पर नियुक्ति अपात्रता श्रेणी में संज्ञानित होने के बावजूद उक्त प्रकरण में अपेक्षित संलिप्त जिम्मेवार अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने विषयक

66-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015-16 में अधोक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल फिरोजाबाद द्वारा मृतक आश्रित कोटे में श्री रोहित सिंह भदौरिया को (कार्यालय सहायक, तृतीय) के पद पर नियुक्ति की गयी थी, जो कि अपात्रता की श्रेणी में पायी गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त प्रकरण में नियुक्ति अपात्रता श्रेणी में संज्ञानित होने के बावजूद समयानुसार कार्रवाई न किये जाने के कारण नियुक्तिकर्ता तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल फिरोजाबाद को पदोन्नति के साथ-साथ समस्त लाभ प्राप्त कर सेवा निवृत्त लाभ प्राप्त हो गये है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई को देरी से करते हुये आरोपी को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया में संलिप्त जिम्मेवार अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराते हुये, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता विद्युत वितरण मंडल फिरोजाबाद के विरुद्ध सुसंगत नियमों में कार्रवाई कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

श्री रोहित सिंह भदौरिया को मृतक आश्रित कोटे में गलत सेवायोजन दिये जाने हेतु श्री कुलभूषण गुप्ता (88102), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई लखनऊ मुख्यालय स्तर से किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम आगरा का पत्र संख्या-7164-प्र0नि0/आ0/अनु0का0, दिनांक 19-05-2018 कारपोरेशन में प्राप्त हुआ था जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण में संलिप्त रहे तीनों अधिकारियों यथा श्री कुलभूषण गुप्ता (88102), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (से0नि0 तिथि : 31-05-2018), श्री यतेन्द्र पाल सिंह (86053), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (से0नि0 तिथि : 30-04-2018) एवं श्री सत्यवीर सिंह राठौर (81113), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (से0नि0 तिथि : 31-01-2017) के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए के तहत जांच समिति के माध्यम से सम्पादित अनुशासनिक जांच/कार्रवाई के उपरान्त उपरोक्त तीनों अधिकारियों को उनकी देय पेंशन से 5% (पांच प्रतिशत) कटौती के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस कस्बा सादाबाद में राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों/दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

67-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में दिनांक 24 जून, 2020 को कस्बा सादाबाद में राशन की कालाबाजारी पर छापेमारी में अधिकारियों द्वारा कतिपय आरोपी एवं मुख्य आरोपी के नाम उक्त घटना से हटा दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर कालाबाजारी करने वाले आरोपियों एवं मुख्य आरोपी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद हाथरस में दिनांक 24-06-2020 को प्राप्त अवैध चावल की कालाबाजारी की सूचना के आधार पर मैसर्स श्री बालाजी इण्टरप्राइजेज फर्म पर छापेमारी की गयी थी, जहां पर अवैध रूप से संग्रहित 170 कट्टा चावल पकड़ा गया था। पकड़े गये चावल के सम्बन्ध में फर्म स्वामी श्री रिंकू पुत्र श्री विजय कुमार द्वारा चावल खरीद के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यवाही करते हुए फर्म स्वामी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना सादाबाद में मु0अ0सं0-0241/2020 दिनांक 25-06-2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उक्त प्रकरण में से किसी आरोपी का नाम नहीं निकाला गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में फर्म स्वामी श्री रिंकू पुत्र श्री विजय कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना सादाबाद में मु0अ0सं0-0241/2020 दिनांक 25-06-2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है, जिसकी विवेचना सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। अतः पृथक से जांच का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में खस्ताहाल बस स्टेशन का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में

68-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना के जर्जर बस स्टेशन का पुनः निर्माण नगीना बाई पास पर कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

नगीना बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, इससे जनसामान्य एवं यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा रहती है। माह सितम्बर, 2020 में नगीना बस स्टेशन की क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी, शौचालय/भवन की मरम्मत रंगाई-पुताई, पेयजल व्यवस्था तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प रेलिंग का कार्य पूर्ण कराया गया है।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर ग्राम नकठर ग्राम महुआर में विद्युत तार खिंचवाकर विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में

69-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर के ग्राम नकठर तथा ग्राम महुआर में बिजली के लगे पोलों पर बिजली का तार नहीं खींचा गया हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों गांवों में विद्युत पोलों पर विद्युत तार खिचवाकर विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-रूधौली के ब्लॉक रामनगर के ग्राम नकठर में बिजली के लगे पोलों पर डी0डी0यू0जी0जे0वाई0-12वीं योजना के अन्तर्गत ए0बी0 केबिल लगाकर दिनांक 30-9-2019 को कार्य पूर्ण करा दिया गया है रूधौली ब्लॉक के ग्राम महुआर से सम्बन्धित मजरा लोधपुरवा में बिजली के लगे पोलों पर ए0बी0 केबिल लगाने का कार्य सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 21-03-2020 को पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या व उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये जाने विषयक

70-श्री नफीस अहमद-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्तमान में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

किसी विशिष्ट सर्वेक्षण के अभाव में भूमिहीन कृषि मजदूरों की यथार्थ संख्या एवं विवरण बताया जाना सम्भव नहीं है तथापि अवगत कराना है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 (SECC-2011) के अनुसार प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास भूमि नहीं है 1,64,567 है, जो कुल परिवारों का 26.75 प्रतिशत है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को असंगठित कर्मकार अधिनियम 2008 की धारा-2 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित/घोषित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा। वर्तमान में उक्त कर्मकारों को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

असंगठित कर्मकार अधिनियम 2008 की धारा-2 के अन्तर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन असंगठित कर्मकारों के रूप में किया जायेगा। असंगठित कर्मकारों के पंजीयन के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या-150/2012 में दिनांक 21-08-2018 को आदेश किया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन हेतु माड्यूल तैयार कर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को माह दिसम्बर, 2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा माह जनवरी, 2019 से प्रतिमाह अनुमानित कर्मकारों के 10 प्रतिशत कर्मकारों का पंजीयन किया जायेगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त पंजीयन माड्यूल अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की बैठक में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराने के बाद पंजीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-03/2021/131/36-3-2021/01 (सा0)/2013 टी0सी0 दिनांक 20-01-2021 द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर को निर्देशित किया गया है।

उक्त आदेशों के क्रम में प्रदेश में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन करते हुए उन्हें बोर्ड द्वारा घोषित की जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा। वर्तमान में उक्त कर्मकारों को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना से आच्छादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा में थाना धौलाना में खनन अधिकारी की मिलीभगत से खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

71-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा में थाना धौलाना में खनन अधिकारी की मिलीभगत से खनन माफिया द्वारा जेसीबी वह डंपर आदि से अवैध खनन करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जारी त्रुटि पूर्ण बिल व बकाया बिलों के समाधान विषयक

72-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जारी त्रुटि पूर्ण बिलों के संशोधन प्रक्रिया को आसान बनाने तथा बकाया बिजली बिलों के समाधान और छूट की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शामली में विद्युत उपभोक्ताओं को किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जारी त्रुटिपूर्ण बिलों को स्वतः संज्ञान में आने पर अथवा सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा संज्ञानित कराये जाने पर यथा आवश्यक जांच कराकर अविलम्ब संशोधित करा दिया जाता है, जिसके लिए समय-समय पर विद्युत उपकेन्द्रों एवं ग्रामों/कस्बों में विद्युत शिकायत समाधान शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

जनपद शामली में दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 31-12-2020 तक त्रुटिपूर्ण कुल 65395 विद्युत बिलों में से 65050 बिलों का संशोधन किया जा चुका है।

वर्तमान में एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4 बी0 (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक क्षेत्र) श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' दिनांक 15-12-2020 से 31-01-2021 तक लागू की गयी थी, जिसमें दिनांक 28-01-2021 तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के अन्तर्गत

जनपद शामली का लक्ष्य 2912 उपभोक्ताओं के सापेक्ष 2051 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है एवं रु0 194 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष रु0 148 लाख की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के चिलकाना-दुमझेड़ा-शाहजहांपुर मार्ग को अति भारित खनन वाहनों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने विषयक

73-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के चिलकाना-दुमझेड़ा-शाहजहांपुर मार्ग हरियाणा प्रांत के ओवरलोडेड खनन वाहनों से क्षतिग्रस्त हो रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्या सरकार ओवरलोडेड खनन वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

प्रदेश में ओवरलोड वाहनों का संचालन पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। ओवरलोड वाहनों के संचालन की सूचना प्राप्त होने पर विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम-1998 के संगत नियमों के अन्तर्गत ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

सहारनपुर के चिलकाना-दुमझेडा-शाहजहांपुर मार्ग पर खनन परिवहन करने वाली वाहनों के विरुद्ध पुलिस, परिवहन व खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 01-08-2020 से 31-12-2020 तक थाना सरसावां में 39 व थाना चिलकाना में 10 वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मार्ग पर पड़ने वाले थाना कुतुबशेर के नगर निगम पार्किंग में 77, थाना सरसावां व चौकी शाहजहांपुर में 34, थाना चिलकाना में 10 वाहनों को ओवरलोड पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा निरुद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली ग्राम मामोर तहसील कैराना में खनन स्थल की ज्योफेनसिंग कराने व अवैध खनन की निगरानी करने विषयक

74-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम मामोर तहसील कैराना में एन.एम. ट्रेडर्स द्वारा खनन कार्य सस्टेनेबल सेंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016 व एमएमडीआर एक्ट 1957 व इंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सेंड माइनिंग-2020 में

खनन कार्य के लिए ग्रामीणों के मार्ग को अवरुद्ध न करने और वैकल्पिक मार्ग बनाने की व्यवस्था के वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कंपनी को आवंटित स्थल की ज्योफेनसिंग कराने एवं अवैध खनन की निगरानी के लिए लिए सैटेलाइट निगरानी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में किसानों द्वारा सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप हेतु धन जमा करने के बाद भी विद्युत कनेक्शन न दिये जाने पर प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-अ-4/667 दिनांक 01-11-2020 पर कृत कार्रवाई विषयक

75-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के लिए धन जमा किए जाने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने तथा किसानों का धन और सब्सिडी फंस जाने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या अ-4/667 दिनांक 01-11-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद झांसी, ललितपुर एवं उरई में सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लक्ष्य 2705 के अनुरूप शत-प्रतिशत संयोजन निर्गत किये गये। बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद-बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा में सामान्य योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लक्ष्य 2945 के अनुरूप शत-प्रतिशत संयोजन निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में वर्ष 2020-21 में प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल अन्त्योदय कार्डों के विवरण व राशन कार्डों के बदले जाने की जांच विषयक

76-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल कितने अंत्योदय कार्ड बनाए गए हैं ? क्या

सरकार को जानकारी है कि इसमें से कतिपय राशन कार्डों को बदलकर परिवार के अतिरिक्त दूसरे के बनवा दिए गए हैं यदि हां, तो क्या सरकार राशन कार्ड के बदले जाने की जांच कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अन्त्योदय योजना के कुल 284 राशन कार्ड बनाये गये हैं।

उक्त अवधि में अन्त्योदय राशन कार्डधारकों की मृत्यु, उनके परिवार में कोई वारिस न होने, परिवार के सदस्यों का अलग राशन कार्ड जारी होने एवं परिवार के विस्थापित होने आदि कारणों से नये पात्र परिवारों के राशन कार्ड सत्यापनोपरान्त जारी किये गये हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत राशन कार्डधारक की मृत्यु हो जाने, उनके परिवार में कोई वारिस न होने, परिवार के सदस्यों का अलग राशन कार्ड जारी होने एवं परिवार के विस्थापित होने आदि कारणों से सम्बन्धित राशन कार्ड निरस्त कर सत्यापन के उपरान्त चयनित नये पात्र परिवार को ही नियमानुसार राशन कार्ड जारी किये जाने की कार्यवाही की गयी है, अतः जांच का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2020 जनवरी से 06-11-2020 तक प्रतिमाह रद्द किये गये राशन कार्डों की जांच के निर्देश दिये जाने विषयक

77-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2020 के जनवरी माह से 6 नवंबर 2020 तक प्रतिमाह कितने राशन कार्ड रद्द किए गए हैं तथा इनके रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उसकी जांच कराकर पुनः नये राशन कार्ड बनाये जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2020 के माह जनवरी में 118 कार्ड, माह फरवरी में 214, माह मार्च में 186, माह अप्रैल में शून्य, माह मई में 10, माह जून में 44, माह जुलाई में 28, माह अगस्त में 13 माह सितम्बर में 39, माह अक्टूबर में 06 एवं माह नवम्बर में 01 राशन कार्ड रद्द किये गये हैं। उक्त राशन कार्ड डुप्लीकेट, विस्थापित, मृतक, समर्पण एवं अपात्र पाये जाने की स्थिति में रद्द किये गये हैं।

जी नहीं।

उक्त अवधि में राशन कार्डों में डुप्लीकेट होने, कार्डधारकों के परिवार विस्थापित होने, कार्डधारक के मृतक होने, कार्डधारक द्वारा अपना राशन कार्ड समर्पित कर दिये जाने एवं जाँच में कार्डधारक के अपात्र पाये जाने के कारण कार्डों को निरस्त/रद्द किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विद्युत पोल में लगे ढीले तार को ठीक कराने विषयक

78-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में विद्युत पोल पर लगे तार ढीले होकर लटक जाने के कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का निराकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में ढीले एवं लटके तार से किसी प्रकार की विद्युत दुर्घटना होने का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के मानकों के अनुरूप 33 केवी, 11 केवी तथा 0.4 केवी के विद्युत तार को धरातल से ऊँचाई पर बनाया गया है। ढीले/लटके तारों की सैंगिंग का कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है, जिससे धरातल से ऊँचाई मानक के अनुसार बनी रहे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में गरीब व बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

79-श्री नफीस अहमद-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में गरीब एवं बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 व 2019-20 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल कितने गरीब बेघर श्रमिकों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा कितनों को कराया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये अधिसूचना संख्या-9783-9914 दिनांक 23-12-2011 के द्वारा आवास सहायता योजना लागू की गयी है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। पंजीकृत श्रमिक द्वारा योजना का हितलाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने पर पात्रता के आधार पर हितलाभ वितरण किया जाता है।

वर्ष 2018-2019 में जनपद आजमगढ़ में आवास सहायता योजना का कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी पंजीकृत श्रमिकों को आवास सहायता योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। वर्ष 2019-2020 में 13 आवेदन पत्र विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं, जिनके जांच की कार्रवाई तहसील सगड़ी के स्तर से की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ अन्तर्गत नगर पंचायत अन्तू में परिवहन बस स्टैण्ड का निर्माण अधिगृहीत भूमि पर कराने विषयक

80-श्री राजकुमार पाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत अन्तू में परिवहन बस स्टैंड हेतु अधिगृहित भूमि पर बस स्टैंड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्तू से लगभग 01 कि0मी0 पहले बाबूगंज होकर प्रतापगढ़-अठेहा-कानपुर मार्ग पर परिवहन निगम की दो बसें प्रतिदिन संचालित होती है। अन्तू से कोई भी बस सेवा का संचालन प्रारम्भ नहीं है, अन्तू में रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ लगभग सभी ट्रेनें रुकती हैं, जो प्रतापगढ़ लखनऊ रेलमार्ग को जोड़ता है। मार्ग पर ट्रेनों की संख्या पर्याप्त होने के कारण निगम बसों हेतु बहुत कम यात्री मिलते हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत अन्तू में बस स्टेशन निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बहराइच में अन्त्योदय कार्डों को बदलकर दूसरे सदस्यों के नाम बनवाये जाने के सम्बन्ध में

81-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल कितने अन्त्योदय कार्ड थे ? क्या सरकार को जानकारी है कि

इसमें से राशन कार्डों को बदल कर परिवार के अतिरिक्त दूसरे सदस्यों के बनवा दिये गये है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार राशन कार्डों के बदले जाने की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में अन्त्योदय राशन कार्डों की लक्षित संख्या 127031 के सापेक्ष 127031 राशन कार्ड प्रचलित थे।

जी हां।

अन्त्योदय राशन कार्डों में कार्डधारकों की मृत्यु होने, स्थायी रूप से विस्थापित होने, पात्रता सम्बन्धी जांच में अपात्र पाये जाने, किसी अन्य जनपद में जारी राशन कार्ड में नाम सम्मिलित होने, वास्तविक लाभार्थी के स्थान पर ऑनलाइन सूची में त्रुटिवश किसी अन्य का नाम दर्ज होने की स्थिति में वास्तविक लाभार्थी का नाम सूची में शामिल करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन, परिवर्धन या परिमार्जन नियमानुसार किया जाता है।

राशन कार्डों का सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। आवश्यकता के अनुरूप नियमानुसार किए गए सुधारात्मक परिवर्तन की पृथक से जाँच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच में रद्द किये गये राशन कार्डों की जांच व नये कार्ड जारी कराने विषयक

82-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 2020 के माह जनवरी से 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रतिमाह कितने राशन कार्ड रद्द किये गए हैं ? इनके रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर पुनः नए राशन कार्ड बनाये जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच में वर्ष 2020 के माह जनवरी में 2796 राशन कार्ड, माह फरवरी में 5739 राशन कार्ड, माह मार्च में 2710, माह अप्रैल में 677 राशन कार्ड, माह मई में 188 राशन कार्ड, माह जून में 196 राशन कार्ड, माह जुलाई में 1096 राशन कार्ड, माह अगस्त में 2667 राशन कार्ड, माह सितम्बर में 2239 राशन कार्ड तथा माह अक्टूबर में 561 राशन कार्ड डिलीट (रद्द) किए गये हैं, जिनका कुल योग 18,869 है।

समय-समय पर राशन कार्डों के सत्यापन में पायी गयी विभिन्न स्थितियों यथा कार्डधारक की मृत्यु होने, विस्थापित होने, अपात्र होने, स्वयं राशन कार्ड का समर्पण करने, जनपद की किसी अन्य दुकान में सम्बद्ध अन्य राशन कार्ड में भी धारक का नाम दर्ज होने अथवा अन्य जनपद में भी राशन कार्ड जारी होने की दशा में राशन कार्ड रद्द किए गए हैं

तथा जिन कार्डधारकों के नाम आधार कार्ड के अनुरूप दर्ज नहीं थे, उनके नाम डिलीट कर पुनः आधार कार्ड पर दर्ज नाम के अनुरूप राशन कार्ड में दर्ज किया गया है।

विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर राशन कार्डों की जांच/सत्यापन कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी वास्तविक पात्रता का दावा किया जाता है तो नियमानुसार सत्यापनोपरान्त उसका नाम राशन कार्ड सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। अतः पुनः जांच कराकर नया राशन कार्ड बनाये जाने के निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच में राशन कार्डों से यूनिट काटे जाने की जांच कराने विषयक

83-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में जनपद बहराइच अन्तर्गत राशन कार्डों से कितने यूनिट काट दिए गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि राशन कार्डों से यूनिट कटने के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच में वर्ष 2017-18 में 315966, 2018-19 में 238841 तथा 2019-20 में 142489 यूनिट राशन कार्डों से रद्द की गयी हैं।

जनपद स्तरीय डुप्लीकेसी (जनपद में एक से अधिक राशन कार्डों में दर्ज यूनिट), प्रदेश स्तरीय डुप्लीकेसी (जनपद बहराइच के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में दर्ज यूनिटों) के विलोपन के अतिरिक्त मृत्यु, विस्थापन, परिवार के विभाजन, राशन कार्ड में दर्ज यूनिटों के नाम आधार कार्ड पर दर्ज नाम के अनुरूप न होने के कारण राशन कार्डों से यूनिटों को काटकर पुनः आधार कार्ड पर दर्ज नाम के अनुरूप फीड करके शुद्धीकरण (वेलीडेशन) कराया जाता है।

खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा माह अगस्त, 2019 में यूनिट डिलीशन के प्रकरण की जाँच करायी गयी थी, जिसमें दोषी पाए गए जनपद के 04 पूर्ति निरीक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा 01 पूर्ति निरीक्षक का निलम्बन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में खराब/जले ट्रांसफार्मर को निश्चित समयावधि में बदलने व जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में माह जनवरी, 2019 से 6-11-2020 तक कुल बदले ट्रांसफार्मरों के विवरण विषयक

84-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खराब/जले हुए ट्रांसफार्मर को कितनी अवधि के अंदर बदलने की नीति है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त नीति के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में माह जनवरी, 2019 से 6 नवंबर 2020

तक कुल कितने जले हुए ट्रांसफार्मर कहां कितनी अवधि में बदले गए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

सरकार द्वारा जले/खराब परिवर्तकों को बदलने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर बदलने की नीति है। इसी नीति के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षत्रों में खराब एवं जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाता है।

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में माह जनवरी 2019 से 6 नवम्बर 2020 तक कुल 1097 अदद परिवर्तक जले हैं जिसमें कुल 1018 अदद परिवर्तक निर्धारित समय सीमा (ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे) के अन्दर बदले गये है। 79 अदद परिवर्तक समय सीमा के बाद बदले गये हैं, क्योंकि गोपालपुर विधान सभा का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होने के कारण जगह-जगह जल भराव होने से परिवर्तक बदलने में समय लगा है।

उपरोक्तानुसार। (संलग्नक-01)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में लॉकडाउन के दौरान से लोगों को उपलब्ध कराये गये राशन व कुल परिवारों के विवरण विषयक

85-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च, 2020 से माह जुलाई 2020 तक कितने ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे को सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में लॉकडाउन के दौरान दिनांक 23 मार्च, 2020 से माह जुलाई, 2020 तक की अवधि में अन्य राज्यों से आये 1,212 अवरुद्ध प्रवासियों को, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, को अस्थायी राशन कार्ड संख्या जनरेट करते हुए मानक के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में ही गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व से निवासित कुल 3,313 पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी कर राशन उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम सभा जोलहापुर में गुप्ता जी के दुकान से राय बस्ती तक विद्युत तार लगवाये जाने विषयक

86-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम सभा जोलहापुर में गुप्ता जी के दुकान से राय बस्ती तक खंभों पर विद्युत तार के न लगने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में बिजली के तार लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-बिलरियागंज के ग्राम सभा जोलहापुर, 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र-कन्धरापुर के 11 केवी आजमपुर फीडर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के खम्भो पर ए0बी0सी0 केबिल लगाये जाने हेतु प्राक्कलन अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन-प्रथम), कार्यालय प्रबन्ध निदेषक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के पत्रांक 278/पू0 वि0वि0नि0लि0 (वा0)/बिजनेस प्लान 2020-21 दिनांक 11-02-2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है। भण्डार से सामग्री प्राप्त कर उक्त कार्य को दिनांक 15-03-2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर अन्तर्गत कुल नई/पुरानी बसावटों/मजरों का विद्युतीकरण कराने विषयक

87-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत कुल कितनी नई व पुरानी बसावटों/मजरों का विद्युतीकरण होना शेष है ? क्या सरकार एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत शेष बसावटों/मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कुल 1064 मजरों को चिन्हित कर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना निर्धारित था जिसमें सभी मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है।

अग्रेत्तर सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 1805 मजरों के अतिरिक्त इन्फ्रा लगाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है जिसके अनुमोदन एवं निधि आवंटन के उपरान्त कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 1805 मजरों के अतिरिक्त इन्फ्रा लगाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है जिसके अनुमोदन एवं निधि आवंटन के उपरान्त कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत शेरपुरपेलो, बादशाही बाग व ख्वाशपुर आदि गांवों में पेयजल सप्लाई हेतु विद्युत लाइनों का नवीनीकरण करने विषयक

88-श्री नरेश सैनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत शेरपुरपेलो, बादशाही बाग तथा ख्वाशपुर आदि गांवों में पेयजल सप्लाई की विद्युत लाइन जर्जर होने से पीने के पानी की सप्लाई बाधित होने से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी हो रही है ? क्या सरकार सुचारु रूप से पानी की सप्लाई हेतु उक्त स्थानों की विद्युत लाइनों का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम शेरपुरपेलो, बादशाही बाग तथा ख्वाशपुर में वर्तमान में पेयजल योजना की विद्युत लाईन की स्थिति ठीक है तथा पेयजल योजना के तीनों ट्यूबवेल को 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।'

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा में 15 वर्षों से अधिक समय से सेवारत सहायक लेखाकार/लेखाकार जनपद कार्यालय में स्थानांतरण नीति के अनुपालन में उक्त को अन्यत्र स्थानांतरित करने विषयक

89-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा में कितने सहायक लेखाकार/लेखाकार जनपद कार्यालय में 15 वर्षों से अधिक समय से सेवारत है ? क्या सरकार स्थानांतरण नीति के अनुपालन में उक्त को अन्यत्र स्थानांतरित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा में मात्र एक लेखाकार श्री राजबहादुर, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वि0) कानपुर जनपद कार्यालय कानपुर में 15 वर्षों से अधिक समय से सेवारत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजबहादुर लेखाकार के दोनों पुत्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग है, इलाज जन्म से कानपुर में हो रहा है के दृष्टिगत एवं कारपोरेशन से निर्गत स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017-18 के बिन्दु सं0-09 (iv) एवं स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 के बिन्दु सं0-8 से (vi) आवरित होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में एक जनपद में 15 वर्ष से अधिक समय से तैनात अवर अभियन्ता (जे0ई0) को स्थानान्तरण नीति के अनुपालन में अन्यत्र स्थानांतरित करने विषयक

90-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कितने अवर अभियन्ता (जे0ई0) एक जनपद में 15 वर्ष से अधिक समय से तैनात है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुपालन में उक्त को अन्यत्र स्थानांतरित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में विभागीय अधिकारियों के निकट सम्बन्धियों (बेटा, भाई, बहन, पिता आदि) को कार्यादेश/क्रय आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई करने विषयक

91-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में विभागीय अधिकारियों के निकट सम्बन्धियों (बेटा, भाई, बहन, पिता आदि) को कार्यादेश/क्रय आदेश दिये गये है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में विभागीय अधिकारियों के निकट सम्बंधियों (बेटा/भाई/बहन/पिता आदि) को कार्यादेश/क्रय आदेश देने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। अगर कोई विषय संज्ञान में आयेगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने वाले निविदादाताओं को कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करने विषयक

92-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों में विभाग की निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने वाले कितने निविदादाताओं को कार्य दिये गये है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सभी क्षेत्रों के विद्युत वितरण खण्डों में विभागीय निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने पर किसी भी निविदादाताओं को कार्य दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। अगर कोई विषय संज्ञान में आयेगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2018-19 से 25 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों की मांग के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि का यूटिलाईजेशन समय से न कराये जाने के प्रकरणों का विवरण सदन के पटल पर रखने विषयक

93-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2018-19 से 25 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों की मांग के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि का यूटिलाईजेशन समय से न कराये जाने (3 दिन के अन्दर) के कितने प्रकरण है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी एवं नियम विरुद्ध पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

शून्य।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ग्रामों में कैराना बाईपास के दोनों ओर बसावटों व नगर पंचायतों में विद्युतीकरण कार्य कराए जाने विषयक

94-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा कैराना के कितने ग्रामों में वर्तमान तक फीडर सेपरेशन का कार्य नहीं हो पाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कैराना बाईपास के दोनों और बनी बसावटों व नगर पंचायत उन व झिंझाना में कितनी बसावटों में विद्युतीकरण कार्य संपादित नहीं हुआ है ? क्या सरकार की उक्त सभी कार्य संपादित कराए जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के 13 नं0 (सापला, नाईनगला, शामली-शामला, हथछोया, खेडी खुशनाम, आल्दी, मामोर, कलकपुर, मंगलपुर, गोगवान, बधुपुरा, बराला व गोगवान) ग्रामों में फीडर सेपरेशन का कार्य नहीं हो पाया है।

कैराना बाईपास के दोनों ओर बनी बसावटों में तथा नगर पंचायतों ऊन व झिंझाना में समस्त बसावटों में विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। जी हां।, अवशेष कार्य।

जनपद-शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के 13 नं0 (सापला, नाईनगला, शामली-शामला, हथछोया, खेडी खुशनाम, आल्दी, मामोर, कलकपुर, मंगलपुर, गोगवान, बधुपुरा, बराला व गोगवान) ग्रामों में फीडर सेपरेशन का कार्य कराये जाने की योजना है।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के 13 नं0 (सापला, नाईनगला, शामली-शामला, हथछोया, खेडी खुशनाम, आल्दी, मामोर, कलकपुर, मंगलपुर, गोगवान, बधुपुरा, बराला व गोगवान) ग्रामों में फीडर सेपरेशन का कार्य एशियन डेवलेप्मेंट बैंक की निधि के माध्यम से उ0प्र0 पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली व सहारनपुर में ओवरलोडेड खनन सामग्री के ट्रकों के चालान विषयक

95-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 तक जनपद शामली व सहारनपुर में ओवरलोडेड खनन सामग्री वाले कितने ट्रकों का चालान हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चालान में इंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 में वर्णित प्रावधानों के दृष्टिगत ओवरलोडेड खनन सामग्री,

जीएसटी, चोरी व आयकर चोरी की धाराओं सहित सम्बन्धित खनन पट्टेधारियों जहां से उन्होंने खनन सामग्री भरी है को भी सम्मिलित किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर/शामली से प्राप्त सूचना के अनुसार विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0 स0	जनपद का नाम	अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों की संख्या	शासकीय कोष में जमा करायी गयी आरोपित धनराशि	अवैध परिवहन में संलिप्त परिहारधारकों का विवरण वाहनों की कुल संख्या	शासकीय कोष में जमा करायी गयी आरोपित धनराशि	अवैध परिवहन में संलिप्त पट्टाधारकों भण्डारण कर्ताओं की संख्या	अन्य प्रान्तों से आने वाले वाहनों की संख्या
1	सहारनपुर	77	503.04 लाख	15	243	320	69.14 लाख
2	शामली	46	67.20 लाख	04	186	232	66.20 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली व सहारनपुर में खनन पट्टों पर खनन में प्रयुक्त अनुमन्य मशीनरी विषयक

96-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली व सहारनपुर में वर्तमान में कुल कितने खनन पट्टे संचालित हैं तथा उपरोक्त खनन पट्टों पर कार्य करने हेतु किस प्रकार की अनुमन्य मशीन के प्रयोग हेतु क्या निर्देश पट्टा स्वामी को दिए गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि भारी मशीनरी से रात के समय खनन पट्टों पर खनन कार्य की अनुमति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त खनन पट्टों पर स्थापित वेब्रिज की मॉनिटरिंग हेतु क्या उपाय सरकार ने किये हैं ? क्या सरकार उपरोक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शामली में 04 तथा जनपद सहारनपुर में 06 खनन पट्टे स्वीकृत/संचालित है। राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में सेमी मैकेनाइज्ड विधि से खनन कार्य अनुमन्य किया गया है।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 में रात के समय खनन प्रतिबन्धित किये जाने के प्राविधान नहीं है।

समस्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में वे ब्रिज की स्थापना की गयी है, जो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित कमाण्ड सेंटर से इन्टीग्रेट किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विद्युत वितरण खण्ड तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र दिनांक 08-07-19 पर कार्रवाई विषयक

97-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08-07-2019 जो कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तिलहर जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था मुख्य मंत्री को 09-07-2019 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), द्वारा प्रकरण पर वर्तमान में जांच सम्पादित की जा रही है एवं प्रकरण पर जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध तदानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल धान पैदावार प्रति वर्ष व उसके सापेक्ष कुल क्रय धान में जनपद स्तर पर अनियमितताओं विषयक

98-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2019 व 2020 में कुल धान पैदावार कितनी थी एवं उसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल कितना धान सरकार द्वारा क्रय किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि वर्तमान में धान खरीद में जनपद स्तर पर अनियमितताओं के कारण किसानों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का कुल उत्पादन 244.07 लाख मी0 टन (169.48 लाख मी0 टन चावल के रूप में) तथा वर्ष 2020-21 में 264.1 लाख मी0 टन (177 लाख मी0 टन चावल के रूप में) अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50 लाख मी0 टन धान क्रय लक्ष्य के सापेक्ष 56.57 लाख मी0 टन धान की खरीद की गयी थी। वर्ष 2020-21 में दिनांक 13-02-2021 तक 65.38 लाख मी0 टन धान की खरीद की गयी है। वर्तमान में धान क्रय प्रगतिमान है।

धान क्रय नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप धान की खरीद की जाती है। क्रय केन्द्रों का उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं अन्य स्तर से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषी कार्मिकों/अधिकारियों व अन्य के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है जिससे कि किसानों को सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेंचने में कोई असुविधा न हो।

प्रदेश में किसानों को अपनी उपज बेंचने में कोई असुविधा न हो इस हेतु मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक धान क्रय केन्द्र पर नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गयी है।

प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर पर किसानों की शिकायतों हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर-18001800150 भी जारी किया गया है जिन पर किसान अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं जिनका विभाग/प्रशासन द्वारा निराकरण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है जो अपने आवंटित सम्भाग/जनपद के क्रय केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं तथा उक्त निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर अन्तर्गत परिवहन निगम की बसों का संचालन कराये जाने विषयक

99-श्री नफीस अहमद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत किन मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है एवं कौन

से मार्ग पर संचालन नहीं है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के जिन मार्गों पर बसों का सचालन नहीं है, पर जनहित में बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत परिवहन निगम की बसों द्वारा सेवित मार्गों पर विवरण-

क्रम	सेवित मार्गों का नाम
1	आजमगढ़-बाजारगोसाई-गोरखपुर
2	आजमगढ़-ताहिरपुर-गोरखपुर
3	आजमगढ़-महराजगंज-गोरखपुर
4	आजमगढ़-बिलरियागंज-महराजगंज-कप्तानगंज-कानपुर
5	आजमगढ़-भीमवर-वाराणसी
6	रोनापार-बिलरियागंज-आजमगढ़-वाराणसी
7	औघड़गंज-सहदेवगंज-आजमगढ़-बलिया
8	दोहरीघाट-लाटघाट-जीयनपुर-मालटारी-बिलरियागंज-गोरियाबाजार-परशुरामपुर-महराजगंज-कप्तानगंज-बूढ़नपुर-अतरौलिया-अयोध्या होते हुये लखनऊ-कानपुर तक
9	आजमगढ़-कन्धरापुर-कप्तानगंज होते हुए लखनऊ तक

असेवित मार्गों का विवरण-

क्रम	असेवित मार्गों का नाम
1	औघड़गंज-सहदेवगंज-कुढईढाला-सरदहा-परशुरामपुर-बिलरियागंज-आजमगढ़
2	औघड़गंज-सहदेवगंज-महुला-दोहरीघाट

क्षेत्रीय आवश्यकता के सापेक्ष संचालन हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर-तिलहर कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड में किसानों को पी0टी0डब्ल्यू0 ट्यूबवेल के एग्रीमेंट की धनराशि में राजस्व हानि विषयक

100-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर जनपद शाहजहांपुर में किसानों को पी0टी0डब्लू0 ट्यूबवेल साढ़े सात एच0पी0 का

एग्रीमेन्ट होता है उस में 1200 रु0 चालान द्वारा स्टेट बैंक की शाखा में सरकारी कोष मैं जमा होने का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है उपरोक्त 1200 रु0 की धनराशि कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी कोष में न जमा करा कर नगद किसानो से ले ली जाती हैं जिससे राजस्व की हानि हो रही है ? क्या सरकार दिनांक 01-09-2018 से 31-03-2019 तक के ट्यूबवेल एग्रीमेन्ट के फार्मों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी नहीं।

जी हाँ।

मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु टीम गठित की गयी। दिनांक 12-12-2019 को जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पुवायां, शाहजहाँपुर द्वारा एक माह के कनेक्शन की पत्रावली को देखा गया जिसमें 50 व्यक्तियों का चालान नहीं पाया गया था।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये कि विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मद की निर्धारित धनराशि कतिपय मामलों में जमा नहीं की गयी है। जांच और धनराशि का आंकलन प्रक्रियाधीन है।

तदुपरान्त मुख्यालय (शक्ति भवन, लखनऊ) स्तर से जांच सं0-एस0पी0 (वी)-कैम्प-49(3)/2019 दिनांक 18-12-2019 के माध्यम से प्रकरण की जांच हेतु प्रवर्तन दल को निर्देशित किया गया है। विषयगत जांच प्रक्रिया प्रवर्तन दल, शाहजहाँपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 5 वर्षों से विद्युत उपकरणों के क्रय व सप्लाई करने वाली कंपनियों व इस सम्बन्धी विवरण विषयक

101-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम व पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न विद्युत उपकरण सप्लाई करने वाली कम्पनियों से कितने मूल्य के उपकरण वर्षवार अलग अलग खरीदे गये है व प्रत्येक उपकरण सप्लाई करने वाली कम्पनियों का तीनों निगमों पर अलग अलग कितना बकाया है ? क्या सरकार उपकरण सप्लाई करने वाली कम्पनियों की देनदारी का भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विगत पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के क्रय सामग्रियों के सापेक्ष डिस्काम द्वारा आपूर्ति कर्ताओं का विगत 5 वर्षों का बकाया निम्नवत है :-

डिस्काम	सामग्री क्रय की धनराशि (रु0 लाख में)	बकाया धनराशि (रु0 लाख में)
पूर्वांचल	65322.42	6525.70
पश्चिमांचल	215639.94	866.65
मध्यांचल	117398.00	3581.00

पूर्वान्चल विद्युत वितरण नि0 लि0, वाराणसी (संलग्नक-01), मध्यांचल विद्युत वितरण नि0 लि0, लखनऊ (संलग्नक-02) एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण नि0 लि0, मेरठ (संलग्नक-03), में विभिन्न विद्युत उपकरण सप्लाई करने वाली कम्पनियों से वर्षवार क्रय किये गये उपकरणों एवं कम्पनियों की बकाया धनराशि का विवरण संलग्न है।

जी हाँ।

धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा सौभाग्य योजनान्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में कम्पनियों द्वारा गांवों में विद्युत कार्य सम्बन्धी अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

102-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सौभाग्य योजना अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में एन0सी0सी0/एल0 एण्ड टी0 कम्पनियों द्वारा कई गांव जैसे-खम्भा, आमा, ठोठियां, पचारी कला, मधवापुर, नेवादा, करमहिया, अन्देउरा, सेहुड़ा मुगरहा आदि में कार्य को आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर उक्त कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अवगत कराना है कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में एन0सी0सी0/एल0 एण्ड टी0 कम्पनियों द्वारा ग्राम-खम्भा के मजरा छोटा पुरवा, आमा, ठोठिया, पचारी कला, नेवादा, करमहिया, अन्देउरा तथा सेहुड़ा मुगरहा में विद्युतीकरण कार्य दिनांक 13-07-2020 को पूर्ण कर दिया गया है।

ग्राम खम्भा के मजरा बड़ा पुरवा एवं ग्राम मधवापुर में मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा कराया गया विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है जिसे दिनांक 31-03-2021 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक

103-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 02-07-2020 जो त्वरित विकास अर्थिक योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सड़कों के निर्माण कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

पत्र में प्रस्तावित कार्यों को सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर जनपद शाहजहांपुर में निजी नलकूप कनेक्शन में भ्रष्टाचार विषयक

104-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर जनपद शाहजहाँपुर में निजी नलकूप के कनेक्शन के कार्य के साथ 1200 रुपये का चालान न लगाने तथा कार्यालय द्वारा पन्द्रह लाख धनराशि के गबन की जांच मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर के आदेश पर दिनांक 12ध्12ध्2019 को जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पुवायां की गयी ? यदि हाँ, तो दोषी पाये गये अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 विधायक का प्रश्नगत शिकायती पत्र जिसके अन्तर्गत निजी नलकूप के कनेक्शन के कार्य के साथ 1200 रुपये का चालान न लगाने तथा कार्यालय द्वारा पन्द्रह लाख धनराशि के गबन की जांच सम्बन्धी मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर के आदेश पर दिनांक 12-12-2019 कारपोरेशन में प्राप्त नहीं हुआ है तथापि समान विषयक मा0 श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिन्स, सदस्य विधान सभा द्वारा की गयी विभिन्न शिकायती प्रकरणों को कारपोरेशन स्तर पर संज्ञान में लेते हुए उक्त की गोपनीय जांच प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0,

लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरणों की जांच पाकालि की सतर्कता इकाई (प्रवर्तन दल, शाहजहांपुर) द्वारा सम्पादित की जा रही है, जिसकी आख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध तदनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

105-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)

[01-बुद्धवार के अतारांकित प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराने पर विचार विषयक

106-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने हेतु उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के गठन के पश्चात् बोर्ड की संस्तुति प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के आर0टी0ओ0 कार्यालय में ए0आर0टी0ओ0 के द्वारा करी जा रही अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध के प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 क-6, नं0-452060 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

107-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के आर0टी0ओ0 कार्यालय में ए0आर0टी0ओ0 के द्वारा करी जा रही अनियमिताओं की जाँच कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या क. 6 नं0 452060 दिनांक 23-11-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हाँ।

उक्त शिकायती पत्र दिनांक 23-11-2020 में उल्लिखित वाहन संख्या UP83T2169 एवं UP83T2024 के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त दोनों माल वाहनों का नियमानुसार

निरीक्षण कर फिटनेस जारी किया गया है। वाहन संख्या UP83F9137 हल्की वाहन (मोटरसाइकिल) के रूप में पंजीकृत है, जिसकी पंजीयन तिथि 06-07-2004 है तथा वैधता दिनांक 05-07-2019 तक है।

उक्त पत्र में भ्रष्टाचार, मनमानी एवं दलालों आदि के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के किसानों के धान क्रय करने हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों पर उपज की खरीद नहीं किये जाने की जांच कराने व दोषियों पर कार्रवाई करने विषयक

108-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में किसानों की धान खरीद किए जाने हेतु आर0एफ0सी0 तथा सहकारिता विभाग द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित किए गये हैं ? क्या सरकार को सहकारिता विभाग के क्रय केन्द्रों पर किसानों की उपज की खरीद नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्रय केन्द्रों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जनपद बस्ती में खाद्य विभाग (आर0एफ0सी0) व सहकारिता विभाग (पी0सी0एफ0/पी0सी0यू0) द्वारा क्रमशः 15 व 77 क्रय केन्द्र स्थापित/संचालित किये गये थे।

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों में से 05 धान क्रय केन्द्रों को प्राप्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा बन्द कराते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में उक्त क्रय केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उनका वेतन बाधित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 सं0 18152190041389 जो धान क्रय केन्द्र में भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक है पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में

109-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09-03-2019 पर आपके कार्यालय के आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152190041389 जो धान क्रय केन्द्र में भ्रष्टाचार से संबंधित था आपको प्राप्त हुआ हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152190041389 पर प्राप्त शिकायत की जॉच जिला खाद्य विपणन अधिकारी, शाहजहाँपुर से करायी गयी। जांच से शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विपणन शाखा द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्र तिलहर मण्डी द्वितीय पर श्री कपिल श्रीवास्तव केन्द्र प्रभारी के रूप में तैनात नहीं रहे हैं, अपितु श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, क्षे0वि0अ0, केन्द्र प्रभारी के रूप में तैनात रहें हैं। वर्तमान समय में श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण जनपद शाहजहाँपुर से हो गया है। वह जनपद बहराइच में तैनात हैं। धान क्रय केन्द्र तिलहर मण्डी द्वितीय पर विक्रय किये गये धान के कृषकों से रैण्डम आधार पर (05 कृषकों से) उनके दूरभाष पर वार्ता की गयी, कृषकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा धान बेचा गया है एवं बिना किसी कटौती के भुगतान भी प्राप्त हो गया है। धान विक्रय करने/भुगतान प्राप्त करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई है एवं केन्द्र से भी कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 सं0 18152200043296 जो गेंहू क्रय केन्द्र की जांच विषयक पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

110-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-08-2020 पर आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152200043296 के क्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा जिला प्रबन्धन यू0पी0एस0एस0 शाहजहाँपुर को कतिपय गेहूं क्रय केन्द्र की स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण में करायी गयी जांच के अनुसार यू0पी0एस0एस0 द्वारा संचालित गेहूँ क्रय केन्द्र-कौही कुआडांडा एवं यू0पी0एस0एस0 से सम्बद्ध गेहूं क्रय केन्द्र शिवशक्ति बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि0 हरिहरपुर पर शासनादेश में विहित व्यवस्था एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन में खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से ही खरीद की गयी है, जिसकी नियमानुसार फीडिंग विभाग के पोर्टल पर की गयी है। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा अपने पंजीकरण में दिए गए खाता संख्या में संस्था द्वारा नियमानुसार भुगतान भी कराया गया है। यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक क्रय केन्द्र के किसानों से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा किसी शिकायत एवं असुविधा से इन्कार किया गया।

उक्त के अतिरिक्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा यू0पी0एस0एस0 द्वारा भी संचालित गेहूं क्रय केन्द्र-कौही, कुआडांडा तथा यू0पी0एस0एस0 से ही सम्बद्ध शिवशक्ति बहुउद्देशीय सहकारी समिति, हरिहरपुर की जांच कराकर प्रकरण निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रकरण से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152200043296 आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर वर्तमान में निक्षेपित प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार प्रकरण में अब किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बालू/मौरंग/रेत/बजरी के दाम घटाने व खनन हेतु योजना बनाने विषयक

111-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू, बजरी, रेत, मौरंग आदि के बढ़े हुऐ दामों को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? क्या प्रदेश में निजी भूमि पर रेत, बालू, मौरंग, बजरी के खनन की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-23ड़ एवं 52ग में प्राविधानित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर ग्राम बिंजाहेड़ी तहसील नगीना में ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में

112-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की तहसील नगीना में ग्राम बिंजाहेडी के श्री जगदीस जी के घर की बाउन्ड्री के अन्दर ट्रांसफार्मर स्थापित होने से दुर्घटना होने की सम्भावना है ? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानन्तरित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

श्री जगदीश जी ग्राम बिंजाहेडी के घर की बाउन्ड्री के अन्दर डबल पोल पर स्थापित परिवर्तक वर्ष अक्टूबर 2019 से पूर्व परिसर के बाहर रास्ते पर डबल पोल बनाकर उस पर स्थापित करा दिया है। पोल एवं परिवतर्क के बाडी की भी अर्थिंग करा दी गई है। अतः परिवर्तक में फाल्ट आने पर दुर्घटना की कोई सम्भावना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धमनौड़ गांव में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में

113-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धमनौड़ गांव में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट की क्षमता 20 मेगावाट से 50 मेगावाट करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

झांसी जनपद के तहसील गरौठा ग्राम धमनौड़ में यूपीनेडा के स्वामित्व का 20 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सोलर विद्युत उत्पादन प्लाण्ट वर्ष 2018 में स्थापित किया गया है। इस प्लाण्ट से उत्पादित ऊर्जा को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय किये जाने के लिए यूपीपीसीएल एवं यूपीनेडा के मध्य ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। इस ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट का 132/33 के0वी0 गुरसराय सब-स्टेशन पर ग्रिड संयोजन यूपीपीटीसीएल से प्राप्त तकनीकी सम्भव्यता के आधार पर किया गया है।

20 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लाण्ट की क्षमता वृद्धि 50 मेगावाट करने हेतु अनुमानतः 60 हेक्टेयर भूमि की और आवश्यकता होगी, जिसके लिए वर्तमान में परियोजना स्थल पर पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को अस्थायी ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख-6-487924 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

114-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु अस्थायी ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-ख-6487924 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 मुख्य मंत्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के किसानों को सिचाई हेतु अस्थाई ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ 2020-21 एल0एम0वी0-9 के अनुसार क्षेत्र में माह नवम्बर से फरवरी के मध्य निजी नलकूप हेतु अस्थाई संयोजन टैरिफ दर रु0 500 प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना विकास खण्ड किरनपुर के ग्राम सराय इम्मा में 250 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगावाये जाने विषयक

115-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर फीडर किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय इम्मा में ओवर लोड की समस्या के निराकरण के दृष्टिगत 250 के0वी0 का ट्रांसफार्मर सरकार लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में ग्राम-सराय इम्मा में कुल 342 संयोजन है। उक्त ग्राम में 01 नग 100 के0वी0ए0 परिवर्तक 02 नग 63 के0वी0ए0 परिवर्तक, 02 नग 25 के0वी0ए0 परिवर्तक एवं 03 नग 10 के0वी0ए0 परिवर्तक कुल 08 नग परिवर्तक स्थापित है।

यह भी अवगत कराना है कि पैकेज संख्या-313/2019-20 द्वारा ग्राम सराय इम्मा में स्थापित 25 के0वी0ए0 के अतिभारित परिवर्तक की क्षमतावृद्धि करके 63 के0वी0ए0 कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ग्राम सराय इम्मा में ओवरलोड की समस्या नहीं है उपरोक्त किसी भी परिवर्तक पर उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं आ रहा है। इसलिए किसी अतिरिक्त परिवर्तक को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में कोई परिवर्तक अतिभारित होता है तो क्षमतावृद्धि कर दी जायेगी।

प्रदेश के सभी कारागारों में बंदियों के पारिश्रमिक व उनके पीड़ितों को दिये जाने वाले प्रतिकर भुगतान किये जाने विषयक

116-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त कारागारों में बन्दियों के पारिश्रमिक और उनके पीड़ितों को दिये जाने वाले प्रतिकर का भुगतान उक्त से सम्बन्धित

नियमावली 2005 के अन्तर्गत सरकार भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष बंदियों को पारिश्रमिक और उनके पीड़ितों को प्रतिकर का भुगतान नियमावली, 2005 के नियम-8 में समिति द्वारा यथा विनिश्चित प्रतिपूर्ति का वितरण पीड़ित व्यक्ति को नियम-5 के उप नियम (4) में दिये गये प्रकार से धनादेश द्वारा नियम-6 के अधीन गठित सम्बन्धित कारागार की समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि के अवधारण के दिनांक से 30 दिन के भीतर किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के किसानों को तार, खम्भे, ट्रांसफार्मर खरीद विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-187931 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

117-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद झांसी के किसानों के हित में निजी नलकूप कनेक्शन के लिये उन्हें स्वतः बिजली के तार खम्भे ट्रांसफारमर आदि सामान खरीदने की अनुमति प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-187931 दिनांक 26-10-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

किसानों के द्वारा सामग्री क्रय कर पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नलकूप संयोजन लेने के सन्दर्भ में सामग्रियों की तकनीकी सम्भाव्यता का निर्णय उ0प्र0 पाकालि स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र-बड़ौत में त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों का कितनी लागत से निर्माण/मरम्मत की जानकारी के सम्बन्ध में

118-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 10-12-2020 जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत मैं त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों का कितनी लागत से निर्माण तथा मरम्मत की गयी है ? क्या सरकार उक्त मार्गों

के नाम व निर्माण तथा मरम्मत लागत का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अर्न्तगत जनपद बागपत की विधान सभा क्षेत्र-बड़ौत में सड़क निर्माण से सम्बंधित रु0 466.40 लाख की लागत के कुल 04 कार्यों की स्वीकृति त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत निर्गत की गई है।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 07-10-2020 (पंजीकृत आई.जी.आर. एस. सन्दर्भ संख्या-18157200054417) पर कृत कार्रवाई की जानकारी

119-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा का दिनांक 07-10-2020 का पत्र (पंजीकृत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18157200054417) जो कि जिला मऊ के विकास खण्ड-दोहरीघाट की ग्राम पंचायत हसनपुर में उचित दर विक्रेताओं तथा पूर्ति निरीक्षक की मिली भगत से खाद्यान वितरण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिलाधिकारी मऊ के पत्र दिनांक 28-01-2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में श्री जय प्रकाश, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत हसनपुर, विकास खण्ड दोहरीघाट की उचित दर की दुकान का अनुबन्ध पत्र अनियमितताओं के दृष्टिगत जिलापूर्ति अधिकारी मऊ के पत्र संख्या-1304, दिनांक 18-11-2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक श्री जय नारायण यादव के विरुद्ध निरीक्षण सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता, उदासीनता, लापरवाही एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफलता के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-5483/आ0पू0 अधि0-125/2016, दिनांक 01-12-2020 द्वारा विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के किसानों को निजी ट्यूबवेल हेतु जमा योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-6, 512043 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

120-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के किसानों की जिन्होने निजी ट्यूबवेल हेतु पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा की है ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराते हुए कनेक्शन दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-6, 512043 दिनांक 17-12-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप हेतु जनपद झांसी के किसानों हेतु प्राप्त कुल मांगपत्र 327 के सापेक्ष 327 किसानों को सम्पूर्ण सामग्री निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा ग्राम-पथरी व जौहरपुर में संचालित बालू/मौरंग की खदान में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड से सरकारी राजस्व की हो रही हानि के सम्बन्ध में

121-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा की ग्राम-पथरी व जौहरपुर में संचालित बालू/मोरंग की खदानों में वर्तमान में अवैध खनन और ओवरलोड से सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा हैं ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषियो के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत, कस्बा बड़ौत में मिनी रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराने विषयक

122-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा बडौत, जनपद बागपत में रोडवेज बस स्टैंड कस्बे की आबादी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बावली चुंगी बडौत पर स्थित परिवहन विभाग की

खाली भूमि पर मिनी रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

बड़ौत में परिवहन निगम के निम्नवत् बस स्टेशन है :-

बड़ौत मेरठ मार्ग :-

बड़ौत मेरठ मार्ग पर बिनौली में किराये की भूमि पर बस स्टेशन है, जो मुख्यतः मेरठ से आने व जाने वाले यात्रियों के लिये है।

दिल्ली-सहारनपुर मार्ग :-

1-दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर शहर के मध्य से दिल्ली की ओर 02 किलोमीटर पर परिवहन निगम का एक बस स्टेशन है।

2-दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर शहर के मध्य बुकिंग एवं एम0एस0टी0 काउन्टर है। जहां पर पर्याप्त समय रुक कर निगम बसें यात्रियों को यात्रा सुविधा देती है।

3-बांवली चुंगी परिवहन निगम की भूमि पर यात्री शेल्टर निर्मित है, जहां पर निगम कर्मी तैनात है तथा बसों के ठहराव से यात्रियों को सुविधा प्राप्त है।

जी नहीं।

बांवली चुंगी बड़ौत पर परिवहन निगम की भूमि पर यात्री शेल्टर निर्मित है तथा परिवहन निगम के कार्मिक तैनात हैं, जिनकी सहायता से यात्रियों को पूर्ण यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बड़ौत स्थित बांवली चुगी में परिवहन निगम की भूमि एक संकरी पट्टी के रूप में है, जिसकी लम्बाई लगभग 184 मीटर तथा चौड़ाई अधिकतम 39 मीटर है। ऐसी स्थिति में बस स्टेशन में आवश्यक अवस्थापनाओं जैसे-यात्री शेड, कार्यालय आदि के निर्माण उपरान्त भूमि की चौड़ाई 39 मीटर से और कम हो जायेगी, जिससे बसों का मुड़ना कठिन होगा।

जनपद शाहजहांपुर विद्युत वितरण खण्ड तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र दि0 18-03-2020 पर कृत कार्रवाई विषयक

123-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152200013950 जो कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर (शाहजहांपुर) में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, मुख्य अभियन्ता

(मा0स0 एवं प्रशासन) प्रधान कार्यालय 4ए गोखले मार्ग लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 विधायक द्वारा सन्दर्भित प्रश्नगत शिकायती प्रकरण की गोपनीय जांच प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है, जिसकी जांचाख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

सन्दर्भित प्रश्नगत मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152200013950 के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरणों की जांच पा0का0लि0 की सतर्कता इकाई (प्रवर्तन दल, शाहजहांपुर) द्वारा सम्पादित की जा रही है, जिसकी आख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध तदनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर में श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराकर श्रम विभाग की योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक

124-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में तहसील मनकापुर के अन्तर्गत गरीबों को श्रम विभाग की योजना का लाभ किन ग्राम पंचायतों में दिया जा रहा है तथा कितनी ग्राम पंचायतों में दिया जाना शेष है ? क्या सरकार छूटे हुए ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर श्रमिकों को विभाग से रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त योजना से जोड़ने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में 03 विकास खण्ड बभनजोत, छपिया व मनकापुर हैं, जिनमें स्थित ग्राम पंचायतों में निर्माण श्रमिकों का उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीयन किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में दिनांक 03-02-2021 तक 1352 निर्माण श्रमिक, विकास खण्ड-छपिया में 2348 निर्माण श्रमिक व विकास खण्ड-मनकापुर में 14282 निर्माण श्रमिकों अर्थात कुल 17982 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन बोर्ड के अन्तर्गत कराया जा चुका है। वर्तमान में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराये जाने हेतु पंजीयन/नवीनीकरण कैम्पों का

आयोजन किया जा रहा है। चूँकि ग्राम पंचायतवार सूचना उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ब्लाकवार सूचना दी जा रही है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों का पंजीयन दिन प्रतिदिन होता है। अतः श्रमिकों के पंजीयन की संख्या दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड बभनजोत, छपिया व मनकापुर में मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने विषयक

125-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड बभनजोत, छपिया व मनकापुर में मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने हेतु उक्त क्षेत्रों में मजदूरो का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत, छपिया व मनकापुर में निर्माण श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीयन किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में अब तक 1331 निर्माण श्रमिक, विकास खण्ड-छपिया में 2202 निर्माण श्रमिक व विकास खण्ड-मनकापुर में 13,643 निर्माण श्रमिकों अर्थात कुल 17,176 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन बोर्ड के अन्तर्गत कराया जा चुका है। वर्तमान में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराये जाने हेतु उक्त ब्लाकों में पंजीयन/नवीनीकरण कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर, छपिया, बभनजोत के कतिपय ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

126-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर, छपिया, बभनजोत के अनेक ग्राम पंचायतों में कार्यदायी संस्था मेसर्स तनु अग्रवाल द्वारा विद्युतीकरण के कार्य अधूरा है जिसमें पोल लगाकर तार व ट्रांसफारमर नहीं लगाया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर अधूरे काम पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-गोण्डा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 12वीं योजना के अन्तर्गत मनकापुर, छपिया, बमनजोत के लक्षित मजरों में अनुबन्ध में निहित बी0ओ0क्यू0 (सामग्री की मात्रा) के अनुरूप विकास खण्ड मनकापुर में 54 अदद, छपिया में 84 अदद एवं बभनजोत में 64 अदद मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

मेसर्स तनु अग्रवाल द्वारा कराये गये विद्युतीकरण के सभी मजरों में पोल पर तार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तक लगाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में जर्जर लाइनों, तारों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख-6 नं0-642877 दिनाँक 22-07-2020 पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में

127-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद विधान सभा क्षेत्र में 11 के.वी.ए. की जर्जर लाइनों, तारों तथा अन्य विद्युत कार्यों विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 नं0-642877 दिनांक 22-07-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

वि0वि0खं0-प्रथम/पंचम, बुलन्दशहर के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित कार्यों 126 नं0 कुल धनराशि रु0 73.76 लाख के सापेक्ष सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता/विषम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय द्वारा अतिभारित वितरण परिवर्तकों के 21 नग, धनराशि रु0 16.17 लाख के प्रस्ताव बिजनेस प्लान 2020-21 के मद में प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर दिये गये हैं। जर्जर तार बदलने से सम्बन्धित 104 नग, धनराशि रु0 67.59 लाख के प्रस्ताव के सापेक्ष 27 नग कार्यों के रु0 32.009 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। शेष कार्यों के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता (वितरण), बुलंदशहर को उक्त प्रस्ताव 'नवीन जिला विद्युत विकास योजना' के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत जनहित में बसों का संचालन कराने की जानकारी

128-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत किन-किन मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का वर्तमान में संचालन हो

रहा है ? क्या सरकार जिन मार्गों पर बसों का संचालन नहीं है, उन मार्गों पर जनहित को दृष्टिगत रखते हुए बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुशीनगर से निम्नांकित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वर्तमान में परिवहन निगम की बसें संचालित है :-

क्रम	राष्ट्रीयकृत मार्ग का नाम	क्रम	राष्ट्रीयकृत मार्ग का नाम
1	कुशीनगर (कसया)-पड़रौना	14	कुशीनगर (कसया)-सेमरा
2	कुशीनगर (कसया) तमकुही रोड	15	कुशीनगर (कसया)-खनगी बाजार
3	कुशीनगर (कसया)-गोरखपुर	16	कुशीनगर (कसया)-पिपराघाट
4	कुशीनगर (कसया)-देवरिया	17	कुशीनगर (कसया)-फाजिलनगर-बनकटा
5	कुशीनगर (कसया)-शिवपुर	18	कुशीनगर (कसया)-मंशाछापर
6	कुशीनगर (कसया)-राजापाकड	19	कुशीनगर (कसया)-खड्डा भेड़ीहारी
7	कुशीनगर (कसया)-जौराबाजार	20	कुशीनगर (कसया)-कान्ती चौक
8	कुशीनगर (कसया)-समउर	21	कुशीनगर (कसया)-पडरौना-मिश्रौली
9	कुशीनगर (कसया)-गौरीश्रीराम	22	कुशीनगर (कसया)-रामपुर गोनहा
10	कुशीनगर (कसया)-अहिरौलीदान	23	कुशीनगर (कसया)-गोडरिया
11	कुशीनगर (कसया)-कुबेरस्थान	24	कुशीनगर (कसया)-अमवादीगर
12	कुशीनगर (कसया)-तुर्कपट्टी	25	कुशीनगर (कसया)-कटकुईयां
13	कुशीनगर (कसया)-तमकुही दुदही	26	कुशीनगर (कसया)-पिपराझाम

क्षेत्रीय आवश्यकता के सापेक्ष आवश्यकतानुसार बसें संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु कंपनियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों में फर्जीवाड़े की जांच कराने के सम्बन्ध में

129-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु कार्यदायी कम्पनियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों में विभागीय सामान/यंत्रों में हेरा फेरी व कम्पनियों द्वारा किये गये फर्जीवाड़े की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्चस्तरीय व विशेष तकनीकि अभिकरण द्वारा जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-कुशीनगर में विद्युत प्रणाली सुधार हेतु कार्यदायी कम्पनियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों में विभागीय सामान/यंत्रों में हेरा-फेरी व कम्पनियों द्वारा किये गये फर्जीवाड़े से सम्बन्धित किसी प्रकार का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में अवैध बालू खनन का ड्रोन कैमरा द्वारा निरीक्षण कराकर व इसे रोके जाने हेतु कठोर कदम उठाये जाने के के सम्बन्ध में

130-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में बालू खनन का ड्रोन कैमरा द्वारा निरीक्षण कराकर अवैध बालू खनन को रोकने हेतु कठोर कदम सरकार उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

खनिजों के अवैध खनन/परिवहन के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जाँच टीम द्वारा तकनीकों का प्रयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में नियम-52क के अन्तर्गत किसानों को खनन अनुज्ञा-पत्र जारी करने व समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश देने व अन्तर्राज्यीय अवैध परिवहन पर रोक लगाने विषयक

131-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में नियम-52क के अन्तर्गत किसानों को खनन अनुज्ञा पत्र न देकर अवैध खनन व बिहार प्रदेश से अवैध परिवहन से सरकार को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम-52क के अन्तर्गत शासनादेश का पालन कराते हुए अनुज्ञा पत्र जारी कराने हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने व अन्तर्राज्यीय अवैध परिवहन पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर मैं नियम-52 के अन्तर्गत कृषि भूमि से बालू हटाने के लिए अल्पकालिक खनन अनुज्ञा हेतु दो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं।

नियम-52क के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के एक माह में निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-477/86-2020-57(सा0)/2017, दिनांक 05-03-2020 निर्गत किया गया है।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963, यथासंशोधित के नियम-70(2) में अन्य प्रान्तों से वैध परिवहन प्रपत्रों के आधार पर ही उपखनिज के परिवहन को मान्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत सौभाग्य योजना में कार्यदायी कंपनियों द्वारा शेष कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

132-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत सौभाग्य योजना में कार्यदायी कम्पनियों द्वारा कौन-कौन कार्य कराये गये है ? क्या सरकार उक्त कम्पनियों द्वारा अधूरा छोड़े गये कार्यों को पूर्ण कराकर उक्त कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सौभाग्य योजना में इन्फ्रायुक्त ग्रामों एवं मजरों में तथा इन्फ्रारहित मजरों/ग्रामों में इन्फ्रा बनाकर विद्युत संयोजन देने का कार्य तथा आवश्यकतानुसार 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य कराये गये हैं।

सौभाग्य योजना के फेज प्रथम व द्वितीय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रोजेक्ट मानिटरिंग संस्था (पी.एम.ए.) मेसर्स मेधाज टेक्नो एवं तृतीय पक्ष द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्य की जांच की जा रही है। जांच में कमी संज्ञान में आने पर योजनाबद्ध तरीके से दूर की जा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये अधूरे कार्य की पुष्टि होने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में जर्जर विद्युत तारों एवं अधिभारित ट्रांसफार्मरों को बदलने व क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

133-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में जर्जर विद्युत तारों एवं अधिभारित ट्रांसफारमरों को बदलने व क्षमता वृद्धि की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में जर्जर तार जहां अति आवश्यक है, को एवं अतिभारित ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कुल नग 32 अतिभारित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गयी, जिसकी कुल लागत 42.93 लाख है। यह सूचनीय है कि ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत 1000 से ऊपर की आबादी के ग्रामों व मजरों में जर्जर तार व पोल बदलने के कार्य हेतु निगम स्तर से कार्यदायी संस्था मे0 स्तम्भ पावर को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तत्पश्चात् जर्जर तार व पोल बदलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में ग्रामीण उपकेन्द्रों के जर्जर तार व पोल बदले जाने के सम्बन्ध में

134-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामीण विद्युत उपकेन्द्रों के जर्जर तार व पोल बदलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत 1000 से ऊपर की आबादी के चयनित ग्रामों व मजरों में जर्जर तार व पोल बदलने के कार्य हेतु निगम स्तर से कार्यदायी संस्था मेसर्स स्तम्भ पावर को नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है तत्पश्चात जर्जर तार व पोल बदलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सौभाग्य योजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने की जानकारी

135-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सौभाग्य योजनान्तर्गत अधिकांश गांवों में विद्युत कनेक्शन जारी करने से विद्युत लोड बढ़ने किन्तु डी0पी0 आदि की क्षमता न बढ़ाने से ट्रांसफारमर जल जाते है ? यदि हां, तो क्या सरकार लोड के अनुसार ट्रांसफार्मरों डी0पी0 आदि की क्षमता वृद्धि करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

सौभाग्य योजना अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में नये विद्युत संयोजन के कारण विद्युत लोड बढ़ने पर वितरण परिवर्तकों की क्षमता बढ़ाई जाती है और जहाँ वितरण परिवर्तक जल जाते हैं, उनको चिन्हित कर क्षमतावृद्धि की कार्ययोजना पर कार्य जारी है। यह एक अनवरत् प्रक्रिया है। विगत वर्ष में उक्त जनपद में 119 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि क्रमशः 25 केवीए से 63 केवीए में 55 अदद, 63 केवीए से 100 केवीए में 50 अदद एवं 100 केवीए से 250 केवीए में 14 अदद परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में आई स्पर्श स्मार्ट योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण की जानकारी

136-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या समन्वय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में आई स्पर्श स्मार्ट योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य वर्तमान तक कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना (वर्ष 2016-17) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय अनुमोदनोपरान्त प्रदेश के 09 जनपदों यथा लखनऊ, सीतापुर, बलिया, उन्नाव, मीरजापुर, प्रयागराज, मऊ, फैजाबाद एवं आजमगढ़ में कतिपय गांवों का चयन किया गया था। आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना में जनपद कुशीनगर सम्मलित नहीं है। अतः उक्त योजना से विषयगत जनपद में कराये गये कार्यों का विवरण शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के धर्मशाला व एरच में महावीर गंज के ऊपर से गुजरी 11,000 के0वी0ए0 लाइन हटाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-6, 775030 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

137-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरौठा के धर्मशाला व एरच में महावीर गंज के ऊपर से गुजरी 11000 के0वी0ए0 की लाइन हटवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-ख-6, 775030 दिनांक 22 दिसम्बर 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्रवाई की गयी है :-

1-जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरौठा कस्बे में धर्मशाला के ऊपर से निकली 11,000 केवीए की लाइन निर्जीव अवस्था में है। इस लाइन से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत धर्मशाला के सामने से 11,000 केवीए लाइन बन गयी है।

2-कस्बा एरच में महावीरगंज में 11,000 केवीए लाइन की गार्डिंग का कार्य 15 दिनों के अन्दर करा लिया जायेगा।

3-ग्राम-बरमाइन ब्लाक बामौर में एच0बी0डी0एस0 प्रणाली के अनुसार ग्राम में विद्युतीकरण किया गया है। तकनीकी दृष्टि से 11,000 केवीए की विद्युत लाइन मानक के अनुरूप बनी हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में श्रमिकों की वित्तीय स्थिति सुधार हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

138-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर मैं वर्तमान में कितने श्रमिक पंजीकृत है एवं उनके नाम व पते क्या है ? क्या सरकार की श्रमिकों की वित्तीय स्थित में सुधार हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था पूर्णतः आन-लाइन है। बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का विकास खण्डवार/नगर निकायवार/जनपदवार डाटा उपलब्ध है, विधान सभा क्षेत्रवार सूचना बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। जनपद कुशीनगर में प्रारम्भ से दिनांक 31-12-2020 तक कुल 80669 श्रमिक पंजीकृत हैं, जनपद कुशीनगर में कुल 14 विकास खण्ड एवं 07 नगर निकाय हैं, जिसमें विकास खण्ड-दुदही में 2922, सेवरही में 2512, तमकुहीराज में 4272, फाजिलनगर में 11815, कसया में 5077, सुकरौली में 7656, मोतीचक में 9227, हाटा में 7686, कप्तानगंज में 4448, रामकोला में 6317, पडरौना में 9312, विशुनपुरा में 4004, खड्डा में 2272 एवं नेबुआ नौरंगिया में 1329 श्रमिक पंजीकृत हैं एवं नगर निकाय-कप्तानगंज में 73, हाटा में 648, रामकोला में 48, कसया में 269, पडरौना में 334, सेवरही में 357 एवं खड्डा में 91 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिसमें उनको पात्रता के आधार पर हितलाभ प्रदान किया जाता है, वित्तीय सुधार हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में भगवान गौतमबुद्ध के स्थली महापरिनिर्वाण हेतु सौर ऊर्जा जनित विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

139-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत तथागत भगवान गौतम बुद्ध के महा परिनिर्वाण स्थली जो अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक व पर्यटन स्थली है के उपयोगार्थ सौर ऊर्जा जनित विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र (कुशीनगर) हेतु अलग से नीति न बनाकर सम्पूर्ण प्रदेश हेतु सौर ऊर्जा जनित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 माह दिसम्बर, 2017 में प्रतिपादित की गयी है।

सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लक्षित है। जिसके अन्तर्गत 6400 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर ऊर्जा

जनित विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना लक्षित है एवं 4300 मेगावाट क्षमता रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

140-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बाँटे गये मुफ्त कनेक्शन की जानकारी

141-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामों में सौभाग्य योजनान्तर्गत कितने मुफ्त कनेक्शन लाभार्थी को बांटे गये और उनमैं से कितने संचालित है क्या सरकार उक्त की उपकेन्द्रवार लाभार्थी नामवार सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कुल 8410 मुफ्त संयोजन निर्गत हुये हैं, जिसमें सभी संयोजन संचालित है।

जी हाँ। (सूची संलग्न)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों हेतु निजी नलकूप कनेक्शन हेतु स्वतः बिजली के तार, खम्भे आदि खरीदने की अनुमति देने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-487917 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

142-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों के हित में निजी नलकूप कनेक्शन के लिये उन्हें स्वत बिजली के तार, खम्भे, ट्रांसफारमर आदि सामान खरीदने की अनुमति प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-487917 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

किसानों के द्वारा सामग्री क्रय कर पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नलकूप संयोजन लेने के सन्दर्भ में सामग्रियों की तकनीकी सम्भाव्यता का निर्णय उ0प्र0पा0का0लि0 स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बनाए गए नए राशन कार्डों की जानकारी

143-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की 1 अप्रैल 2020 से 24 दिसम्बर 2020 के मध्य कितने पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नये राशन कार्ड जारी किए गए ? क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी क्षेत्र में उक्त अवधि में नये राशन कार्ड जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो उनकी ग्रामवार संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 24 दिसम्बर, 2020 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुल 17,11,112 नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

जी हां।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्रामीण क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2020 से 24 दिसम्बर, 2020 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 682 राशन कार्ड जारी किये गये हैं, जो ग्रामवार निम्नवत हैं :-

ग्राम	नये जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या	ग्राम	नये जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या
अलीनगर	2	अल्लापुर भीकन	25
असदपुर	18	असालतनगर वाघा	4
बाहपुर	70	बाकीपुर जतनी	1
बरेठा	1	भैसोड़	7
चाक फजलपुर	6	चाक हबीबपुर	1
चांदपुर मंगोल	1	चिडियाठेर	12
चिरावली	1	चित्तूपुर रायबनगला	1
ढकिया जुम्मा	20	डिंगरपुर	8
डोमघर	16	फखेड़ी	2
फत्तेपुर खास	1	गजूपुर	5
हरयीयाना	12	हुसैनपुर हमीर	1

ग्राम	नये जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या	ग्राम	नये जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या
हुसैनपुर पचतोर	1	इमरतपुर फखरूद्दीन	2
इमरतपुर सिरसी	1	इमरतपुर उधो	23
जैतपुर पट्टी	4	जटपुरा	4
काजीपुरा	1	कमलपुर फतेहाबाद	10
खजरा	2	कोंडरी	3
लघुपुरा भीकन	3	लालपुर गंगवारी	18
लालपुर हमीर	5	ललवारा	2
मधुपुरी सुनरी	1	महलोली	6
मैनाठेर	2	मझोली खास	25
मल्हीपुरमहमूदा नगला	1	मसेवी	6
महमूदपुर माफी	11	मिलक गुरेर	3
मोहनपुर	1	मुंडिया भीकन	3
मुंडिया जैन	18	नगलिया मसकुला	16
नोसना शेखूपुर	1	पंडिया	4
पीतपुर नयाखेड़ा	3	रामपुर मैगन	13
रसूलपुर हमीर	8	रतनपुर कलां	1
रूपपुर	6	संदलपुर	6
सोंदा	5	सुलतानपुर	1
सुन्दरपुर कल्याण	4	ताहरपुर	7
तख्तपुर अल्ला	2	तख्तपुर हासा	2
तेवर खास	4	अहलादपुर करार	1
अहलादपुर खेम	1	बगरौआ	14
बकेनिया चांदपुर	2	बनियाठेर	15
चंगेरी	1	गौरा शाहगढ़	3
हरौरा	16	हाथीपुर भाउद्दीन	2

ग्राम	नये जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या	ग्राम	नये जारी किये गये राशनकार्डों की संख्या
जलालपुर खास	16	खबरी अब्बल	6
खाटा	1	मकरंदपुर	1
मल्लपुर जन्नू	2	मंगपुरा	1
मनकुला	11	मीठनपुर महेश	3
नगलिया जट	1	रामनगर गंगपुर	3
रुस्तमनगर सहसपुर	12	सनई	3
सिहरी लड्डा	3	सियोन्दरा	38
थवला	2	अभानपुर नरौली	2
बहतसरथल	1	चिडिया भवन	3
ग्वारउ	1	इब्राहिमपुर मिर्जा	1
मो0 हयातपुर	8	नमैनी उदैया	1
पहाड़पुर	1	सारथल	43
सतारन	1	टांडा अमीरपुर	1
उदयपुर नरौली	7		

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के सल्टौआ ब्लाक के धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद में अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में

144-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सल्टौआ ब्लाक के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्र पचानू पिपरा जप्ती अमरौली सुभाली में किसानों की उपज को खरीद न किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धान क्रय केन्द्रो की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में धान क्रय केन्द्र पचानू, अमरौली, सुमाली एवं पिपराजप्ती सहकारिता विभाग (पी0सी0एफ0) द्वारा संचालित हैं। उक्त क्रय केन्द्रों पर धान खरीद करने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत संज्ञानित नहीं है तथा नियमानुसार धान खरीद की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों की मृत्यु हो जाने पर दावा किये जाने के पश्चात् दिये जाने वाले मुआवजे की कोई समय सीमा निर्धारित करने व ऐसे प्रकरणों में देरी के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने विषयक

145-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों की मृत्यु हो जाने पर दावा किये जाने के पश्चात् दिये जाने वाले मुआवजा भुगतान की कोई समय सीमा निर्धारित करी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2019-2020 एवं 2020-21 में दिनांक 31-12-2020 तक कितने ऐसे प्रकरण हैं, जहाँ निर्धारित समय सीमा से अधिक समय के पश्चात् पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करी गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे प्रकरणों में देरी के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने का क्या प्रावधान है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में की गयी कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ,

त्रुटिपूर्ण विद्युत अधिष्ठापन के कारण हुई विद्युतीय दुर्घटना के फलस्वरूप उ0प्र0 सरकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के आदेश सं0-402 दिनांक 21 फरवरी, 2019 द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गयी है। (अनुलग्नक-1)

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्धारित समय सीमा के उपरान्त पीड़ित परिवार को दी गयी अनुग्रह धनराशि का डिस्कॉम वार वितरण निम्नवत् है :-

डिस्काम का नाम	2019-20	2020-21	कुल प्रकरण
पूर्वान्चल	09	12	21
मध्यान्चल	87	20	107
पश्चिमांचल	14	11	25
दक्षिणांचल	85	49	134
केस्को	00	00	00
कुल संख्या	195	92	287

वर्तमान में विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सभी जांच सम्बन्धी अभिलेखों को अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गयी है ताकि प्रकरणों में क्षतिपूर्ति भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो सके।

विद्युत दुर्घटना जैसे संवेदनशील प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की जाती है, जिसमें अनेक विभाग यथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय, एफ0आई0आर0 की प्रति, मृत्यु/अपंगता प्रमाण पत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं, जिनकी भूमिका प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण होती है। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने में विलम्ब होने के कारण प्रकरण के निस्तारण में समय लग जाता है।

यदि किसी भी कार्मिक द्वारा जानबूझ कर विलम्ब किया जाता है तो उसके विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर सेवा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चंदौली में ओवरलोडिंग के नाम पर भ्रष्टाचार करने व गाड़ियों को पकड़कर वसूली किये जाने के सम्बन्ध में

146-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में ओवर लोडिंग के नाम पर गाड़ियों को पकड़ कर मनमानी वसूली करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

इस प्रकार की शिकायतें शासन के संज्ञान में है, सम्पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया है। विशेष जांच दल द्वारा जांच की जा रही है।

जांच दल द्वारा जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

147-श्री मनीष असीजा-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर तिलहर कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड में भ्रष्टाचार की रोकथाम विषयक

148-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 2-12-19 पर जांच संयुक्त निदेशक ऊर्जा अनुभाग 2 के संयुक्त सचिव ने मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 काटजू मार्ग बरेली से दिनाक 20-08-19 को करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता बरेली में प्रश्नकर्ता से बिना साक्ष्य लिये अपने आफिस में ही जांच कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त जांच प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर किसी उच्च अधिकारी से पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 विधायक का प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 02-12-2019 कारपोरेशन में प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि कारपोरेशन द्वारा मा0 विधायक के विभिन्न सन्दर्भों को संज्ञान में लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण यथा-विद्युत वितरण खण्ड तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरणों की जांच पा0का0लि0 की सतर्कता इकाई (प्रवर्तन दल, शाहजहांपुर) द्वारा सम्पादित की जा रही है, जिसकी आख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध तदनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में खराब पड़े सोलर प्लान्ट को ठीक कराकर चालू कराने विषयक

149-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-12-2020 जो मऊ में खराब पड़े सोलर प्लान्ट को ठीक कराकर चालू कराने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

प्रकरण में जनपदीय परियोजना अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सोलर पावर प्लाण्ट वर्ष 1992-93 में स्थापित कराया गया था, जो अपनी सम्पूर्ण कार्यावधि व्यतीत

करने के उपरान्त में वर्तमान में निष्प्रयोज्य हो चुका है। अतएव उपरोक्त परिस्थिति में इसको ठीक कराकर चालू कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

150-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कस्बा रूधौली को आई0 एस0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत चयन कर विद्युतीकरण, जर्जर तार बदलने के सम्बन्ध में

151-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कस्बा रुधौली को आई0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत चयन कर विद्युतीकरण, जर्जर विद्युत तार, क्षमता से अधिक विद्युत भार आदि कार्य सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रूधौली का कस्बा रूधौली वर्तमान में आई0पी0डी0एस0 योजना में चयनित नहीं है।

वर्तमान में वि0 वि0 मं0-बस्ती, आई0पी0डी0एस0 योजना के क्लोजर (समापन) किया जा चुका है। अतः वर्तमान में आई0पी0डी0एस0 योजना में बिना स्वीकृति एवं धन के अतिरिक्त कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में बड़े बकायेदारों से विद्युत बकाया बिल की वसूली विषयक

152-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में लगभग 147 विभागों के विद्युत बिल बकाया है, बकायेदारों की लिस्ट में शामिल लगभग सभी सरकारी विभाग के ऊपर निगम का करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपया बकाया है ?यदि हां, तो क्या सरकार बड़े बकायेदारों से विद्युत बकाया बिल की वसूली पर आम उपभोक्ताओं की तरह कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बस्ती में सरकारी विभागों से माह जनवरी, 2021 तक रुपया 825.27 लाख की वसूली की गयी है तथा जनवरी, 2021 तक बकाया अवशेष धनराशि रु0 3103.86 लाख है।

जी हाँ।

दिनांक 31-03-2021 तक बड़े बकायेदारों से विद्युत बकाया को वसूले जाने की कार्य योजना है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों को माह जनवरी, 2021 तक विद्युत बिल उपलब्ध करा दिये गये है तथा उनके द्वारा विभागाध्यक्षों को बजट आवंटन हेतु लिखा गया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व अग्निशमन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों से विद्युत बकाया की वसूली पर विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई आम उपभोक्ताओं की तरह की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

153-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती में उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर की जांच कराने विषयक

154-श्री संजय प्रताप जायसवाल

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बिना जांच किए ही उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगा दिए गये है तथा लोड़ जम्पिंग की कतिपय शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के घरों में लगाए गये स्मार्ट मीटर की जांच करायेगी तथा स्मार्ट मीटरों के जांचोपरान्त ही विद्युत की रीडिंग जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अवगत कराना है कि मीटर निर्माता कम्पनियों के परिसर पर डिस्कॉम द्वारा गठित जांच टीम (क्वालिटी सेल) द्वारा मीटरों की टेस्टिंग करायी जाती है। टेस्टिंग में सभी पैरामीटर्स की जांच के बाद ही मीटर निर्माता कम्पनी द्वारा विभाग को मीटरों की आपूर्ति की जाती है तथा इसके बाद ही उपभोक्ता परिसर पर मीटर स्थापित किये जाते हैं।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत विद्युत परीक्षण खण्ड, बस्ती में एक अदद कैपिटल मेक मीटर की जंपिंग की शिकायत प्राप्त होने पर एम.आर.आई. कराने के उपरान्त उपभोक्ता का बिल संशोधित करा दिया गया है एवं मीटर बदल दिया गया है।

जनपद बस्ती के शहर व ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर स्थापित नहीं किये गये हैं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत 11 हजार की विद्युत लाइनों की लटकती तार को बदलवाने के सम्बन्ध में

155-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 11 हजार की विद्युत लाइनों के तार ढीले होकर नीची लटके हुए है तथा विद्युत पोल क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोलों तथा विद्युत लाइनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संज्ञानित स्थानों की पेट्रोलिंग की गयी। पेट्रोलिंग में जहां पर विद्युत लाइनों के तार नीचे लटके पाये गये वहाँ तारों की रीसैगिंग कराके ऊंचा कराते हुए ठीक करा दी गयी है।

वर्तमान में पूरे क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही है।

जनपद बदायूँ तहसील सहसवान में धान खरीद के सम्पूर्ण विवरण विषयक

156-श्री ओमकार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की तहसील सहसवान में कहां और कितने धान खरीद केन्द्र बनाये गये है तथा उक्त केन्द्रों पर वर्तमान में कितनी धान खरीद की गयी है ? क्या सरकार उक्त की विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बदायूं की तहसील सहसवान में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत कुल 03 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे। पी0सी0एफ0 द्वारा सा0स0स0 सिलहारी एवं सिरकी दम्मू एट सहसवान मण्डी में तथा एस0एफ0सी0 द्वारा दहगवां में धान क्रय केन्द्र संचालित किये गये, जिन पर दिनांक 31-01-2021 तक हुई धान खरीद का विवरण निम्नवत है :-

क्र0स0	धान क्रय केन्द्र का नाम	कुल धान खरीद
1	सा0स0स0 सिलहारी (पी0सी0एफ0)	65.32 मी0टन
2	सिरकी दम्मू एट सहसवान मण्डी (पी0सी0एफ0)	111.18 मी0टन
3	दहगवां (एस0एफ0सी0)	4.12 मी0टन

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि उत्पादों के विभिन्न अपशिष्ट से जैविक ईंधन अथवा अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बनाने के सम्बन्ध में

157-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादों की विभिन्न फसलो की पराली, भूसी, भूसा, खोई व पत्ती आदि अपशिष्ट से जैविक ईंधन अथवा अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बनाने की सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि तथा अन्य जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 संचालित है।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बायोएथेनाल, बायो सीएनजी, बायोकोल आदि की परियोजनाओं की स्थापना उद्यमिता मोड में कराये जाने हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है :-

क. पूँजीगत उपादान

1. रु0 10 करोड़ से कम लागत की जैव ऊर्जा उत्पादन इकाई पर कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत।

2. रु0 10 करोड़ से अधिक परन्तु 100 करोड़ से कम लागत की जैव ऊर्जा उत्पादन इकाई पर कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत।

3. रु0 100 करोड़ से अधिक लागत की जैव ऊर्जा उत्पाद इकाई पर कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 150 करोड़।

ख. स्टॉम्प ड्यूटी छूट

इकाई की स्थापना हेतु भूमि क्रय हेतु स्टॉम्प ड्यूटी पर शत प्रतिशत छूट (बैंक गारण्टी के विरुद्ध)।

ग. एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति

कुल स्थिर पूँजी निवेश की सीमा के अन्तर्गत 10 वर्षों तक एसजीएसटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र इकाइयों का चयन यथा स्थिति मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन तथा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई)

(वेल में मौजूद विपक्षी दल द्वारा हंगामा एवं नारेबाजी करने एवं ''किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।'' ''अडानी, अम्बानी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।'' लगाने पर)

किसान आंदोलन के प्रकरण को निधन के निर्देश से पूर्व सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश हो जाने दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है। 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, जिनमें 02 उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के किसान हैं। कश्मीर सिंह जी भी शहीद हुए अध्यक्ष जी मेरी आपसे प्रार्थना है, आप हम लोगों के भी संरक्षक हैं, लोकतंत्र के संरक्षक हैं, संविधान के आप संरक्षक हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार, अनाचार हो रहा है, इस पर आप पहले हम लोगों को सुन लें उस के बाद निधन के निर्देश ले लें, जो आपका हुक्म होगा, हम वही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो निधन की परपाटी है उसी के तहत कार्य होने दें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

यह वह पार्टी है जिसने 02 महीने तक महेन्द्र सिंह टिकैत को जेल भी भेजा है।

(सदन में हंगामे, नारेबाजी एवं व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश हो जाने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

किसानों के ऊपर गोली किसने चलायी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आंदोलन में किसानों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश हो जाने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी आज्ञा सिरोधार्य, आपकी आज्ञा थी कि निधन के निर्देश के बाद हम ले लेंगे तो निधन के निर्देश के बाद इस को लीजियेगा। इसके लिए आपका आभारी हूं।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा भी 311 में किसान के आंदोलन से सम्बन्धित नोटिस है, हम चाहते हैं कि हमें भी अवसर दें जिससे कि किसानों के साथ सरकारी पक्ष के संरक्षण में अराजकता की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में और इसमें अन्तर ही क्या है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं है। इसलिए सारे नियमों को शिथिल करते हुए इसको 311 में ही लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या नियम-56 को भी कैन्सिल कर दें।

श्री लाल जी वर्मा-

सारे नियमों को शिथिल करके पहले इस पर चर्चा करा लें। मा0 मंत्री जी ने भी कहा है कि महत्वपूर्ण विषय है, इन्होंने भी अपनी कुछ बात रखी है वह भी बात तभी आयेगी जब चर्चा होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इसको लेने की कृपा करें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल में नारे लगाने के कारण व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सबसे महत्वपूर्ण है पहले इस पर चर्चा हो जाय, उस पर आप अपनी बात रखियेगा, हम अपनी बात रखेंगे इससे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात रखने को मौका मिल जायेगा। 99 प्रतिशत माननीय सदस्यों ने लिखा है कि हमारा रोजगार कृषि है। मैं पूरे सदन की बात कर रहा हूं और अन्नदाता मर रहा है और उस पर हम आप इस सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश के दो किसान नवनीत सिंह और कश्मीर सिंह रामपुर जनपद के शहीद हो चुके हैं। अगर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो यह सदन रहेगा क्यों। क्यों नहीं किसान पर चर्चा हो, हम इसीलिये तो चुनकर यहाँ पर आये हैं। हम सब किसान के घर के हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपया बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

टप्पल में किसानों के ऊपर गोली किसने चलाई थी मान्यवर, यह जरूर बता दें।

[12:25] उ0प्र0 विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

इस सदन के आदरणीय सदस्य रहे और अपने विधायी कार्यों से सदन की गरिमा बढ़ाने वाले ऐसे कुछ सदस्यों के निधन की सूचना प्राप्त हुयी है। श्री कृष्ण कुमार सिंह, फतेहपुर, श्री जावेद अली, हाथरस, श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र, आजमगढ़, श्री धीरेन्द्र सहाय, पीलीभीत, श्री अजीमुलहक पहलवान, अम्बेडकर नगर, श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, फतेहपुर,

श्री जैनूराम, आजमगढ़, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, रामपुर, श्री अमेरिका प्रधान, गाजीपुर, श्री चन्द्रनाथ सिंह, प्रतापगढ़, श्री निर्वेन्द्र कुमार 'मुन्ना', लखीमपुर खीरी, श्री जमुना प्रसाद बोस, बांदा, श्री दलसिंगार, आजमगढ़, श्री अचल सिंह, फतेहपुर, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, सिद्धार्थनगर, श्री मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां, मुरादाबाद, श्री अकबर अली, जालौन-स्थान उरई, श्री उदयवीर सिंह राठौर, एटा, श्री केशव देव, अलीगढ़, श्री प्रवीण कुमार शर्मा, बुलन्दशहर, श्री अशोक सेहरा, आगरा, श्री मेंहदी असगर, मुजफ्फरनगर, श्री जमुना प्रसाद मिश्र, अमेठी, श्री लक्ष्मण सिंह, मुजफ्फरनगर, श्री रामलाल राही, सीतापुर, श्री वसीम अहमद, आजमगढ़, श्री अजय कुमार पोइया, मथुरा, श्री अजीत कुमार सिंह, कानपुर, श्री माता प्रसाद, जौनपुर, श्री रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, बुलन्दशहर, श्री अशोक दुबे, इटावा, श्री नरेश चन्द्र, लखनऊ, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, जौनपुर, यह सभी भूतपूर्व सदस्य अपने सामाजिक कार्य और इस आदरणीय सदन की सेवा में प्रतिष्ठित रहे हैं हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और आइये दो मिनट के लिये खड़े होकर मौन व्यक्त करते हैं।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये)

ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः

[12:28] भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

भारत के राष्ट्रपति रहे विद्वान अर्थशास्त्री, अनेक बार केन्द्रीय मंत्री और जिन्हें कृतज्ञ राष्ट्र ने अभी शीघ्र हो भारत रत्न से सम्मानित किया था, ऐसे श्री प्रणव मुखर्जी के निधन की सूचना प्राप्त हुयी है, हम माननीय नेता सदन से कहेंगे कि वह शोक व्यक्त करें।

मा0 मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणव मुखर्जी के दुःखद निधन पर इस संवेदना प्रस्ताव को इस सदन में रख रहा हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणव मुखर्जी का 31 अगस्त, 2020 को लगभग 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय राजनीति में श्री प्रणव मुखर्जी का दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक वरिष्ठ और सर्वमान्य राजनेता थे। सभी उन्हें 'प्रणव दा' कहकर सम्बोधित किया करते थे। वे पाँच बार राज्य सभा तथा 14वीं एवं 15वीं लोक सभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में विभिन्न विभागों सहित, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राज्य सभा में विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति रहे तथा राज्य सभा और लोक सभा में नेता सदन भी रहे। उन्हें 25 जुलाई, 2012 को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे इस पद 25 जुलाई, 2017 तक रहे। राष्ट्रपति के

रूप में उन्होंने राष्ट्रपति पद का बखूबी निर्वहन करते हुए, इस पद की गरिमा और सम्मान में वृद्धि किया। श्री प्रणव मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में स्पष्टवादी, सौम्य एवं मृदुभाषी नेता थे। उन्हें जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने व समन्वय स्थापित करने में व्यापक कूटनीतिक अनुभव प्राप्त था। इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं वित्तीय मामलों की भी गहरी समझ थी। वह विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, एशियाई विकास बैंक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संचालक मण्डल के सदस्य रहे। वे भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। विभिन्न उच्च पद पर रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक सांसद, मंत्री और अनुभवी नेता के रूप में उनका संसदीय मूल्यों एवं परम्पराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्र के प्रति श्री प्रणव मुखर्जी की सेवाओं का सम्मान करते हुए, उन्हें पदम् विभूषण, सर्वोच्च आदर्श सांसद, सर्वोत्तम प्रशासक सम्मान प्रदान किये गये तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उन्हें प्रदान किया गया।

श्री प्रणव मुखर्जी जी का राजनीतिक जीवन एवं व्यक्तित्व सब के लिए प्रेरणादायी है। उनके निधन से भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करता हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम सबकी ओर से दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना उन तक पहुँचाने की कृपा करें।

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल वोरा का 21 दिसम्बर, 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे। श्री मोती लाल वोरा का जन्म 20 दिसम्बर, 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। वे सरल एवं मृदुभाषी नेता थे। पत्रकारिता और समाजसेवा करते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। श्री मोती लाल वोरा वर्ष 1972 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे 13 मार्च, 1985 को पहली बार तथा 25 जनवरी, 1989 को दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए।

श्री मोतीलाल वोरा बारहवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। वे चार बार राज्यसभा सदस्य तथा राज्यसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे, उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में विभिन्न विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है।

श्री वोरा 26 मई, 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए और इस पद पर 03 मई, 1996 तक आसीन रहे। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में उनके योगदान को सदा स्मरण रखा जायेगा। श्री मोतीलाल वोरा के निधन से देश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं कुशल समाजसेवी को खोया है। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब की ओर से इस शोक

संवेदना को उनके धर्म परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से और पूरे सदन की ओर से इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों के प्रति, जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके नामों का आपने उल्लेख किया है, उन सभी 33 माननीय पूर्व सदस्यों के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की संवेदना को शोक संतृप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का 31 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इनके विषय में जो शोक संवेदनाएं माननीय नेता सदन ने व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। श्री प्रणब मुखर्जी कुशल राजनेता एवं ओजस्वी वक्ता थे। भारतीय राजनीति में उन्हें पांच दशक से भी अधिक का अनुभव था। वे वर्ष 1969 से 1999 तक पाँच बार राज्यसभा के सदस्य तथा वर्ष 2004 एवं 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में विभिन्न विभागों सहित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राज्यसभा की विभिन्न समितियों के सभापति तथा राज्यसभा और लोकसभा में नेता सदन भी रहे। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर 25 जुलाई, 2012 को देश के तेरहवें राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वे 25 जुलाई, 2017 तक इस पद पर आसीन रहे और उन्हें राष्ट्रपति बनाने में वोट देने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ था। राष्ट्र के प्रति मुखर्जी जी की सेवाओं एवं योगदान के दृष्टिगत उन्हें पद्म विभूषण, सर्वोच्च सांसद, सर्वोत्तम प्रशासक सम्मान तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। श्री प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कौशल, संसदीय परम्पराओं की गहरी समझ, अर्थनीति और कूटनीति की प्रशंसा सभी राजनीतिक दल करते थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री प्रणब मुखर्जी ने देश के राष्ट्रपति, एक मंत्री, एक संसद सदस्य और कुशल नेता के रूप में देश की अनुकरणीय सेवा की और अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी, श्री मोती लाल वोरा जी के विषय में जो शोक संवेदनाएं माननीय नेता सदन ने व्यक्त की है। उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल

श्री मोतीलाल वोरा का 21 दिसम्बर, 2020 को लगभग 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री मोतीलाल वोरा जी का जन्म 20 दिसम्बर, 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। श्री मोतीलाल वोरा वर्ष 1972 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे 13 मार्च, 1985 को पहली बार तथा 25 जनवरी, 1989 को दूसरी बार मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए। वे 12वीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। वे चार बार राज्य सभा के सदस्य तथा विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने केन्द्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मन्त्री के पद पर दायित्वों का निर्वहन किया। श्री वोरा 26 मई, 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन हुए और 03 मई, 1996 तक इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। संसदीय मूल्यों एवं परंपराओं को मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद रखा जायेगा। श्री मोतीलाल वोरा जी के निधन से देश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से तथा पूरे सदन की तरफ से शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

मा0 अध्यक्ष जी, परंपरा तो इसमें बहुत पड़ी। हम तो समझते थे कि आप भी उसको कर देंगे और मा0 मुख्य मंत्री जी भी। उत्तर प्रदेश की विधान सभा है और उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन में रामपुर के 02 किसान शहीद हुए हैं। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से तथा पूरे विपक्ष की तरफ से उनके परिवारों तक शोक संवेदनाएं पहुँचाने की कृपा करेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने, मा0 मुख्य मंत्री जी ने तथा मा0 नेता सदन ने पूर्व विधायक के प्रति जो शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से पूरे विपक्ष की तरफ से तथा पूरे सदन की तरफ से उनके परिवार तक शोक संवेदनाएं पहुँचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी।

***श्री लालजी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी एवं पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा तथा अन्य मा0 पूर्व सदस्यों के प्रति जो शोक उद्गार मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से श्री प्रणब मुखर्जी जी इस देश के सर्वमान्य नेता थे। लम्बे समय का उनका राजनीतिक जीवन रहा। उनकी अध्यक्षता में एक बैठक में मुझे उत्तर प्रदेश के वित्त मन्त्री के रूप में जाने का अवसर मिला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। उनका सबके प्रति जो व्यवहार था, वह निश्चित रूप से सराहनीय था। ऐसे श्री प्रणब मुखर्जी जी हमारे बीच में नहीं रहे। हमने एक प्रतिष्ठित नेता को खोया है। मैं अपनी तथा अपने पार्टी की तरफ से आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे शोक उद्गार उनके परिजन तक पहुँचाने की कृपा करें और साथ ही साथ ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

इसी तरह से पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी, जो मध्य प्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और राज्यपाल के रूप में उनके कार्यों की हमेशा सराहना की गयी। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक उद्गार, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपेक्षा करूँगा कि हमारी संवेदना उनके परिजन तक पहुँचाने की कृपा करें।

इसी तरह से पूर्व विधान सभा के सदस्य जिनसे बहुत से लोगों से हम परिचित भी है, उसमें बहुत से कम उम्र के लोग भी रहे हैं।

वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति जो शोकोद्गार आपने, माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त किये हैं, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संवेदना व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी और हमारी पार्टी का शोकोद्गार उनके परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मसूद अख्तर-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर आज माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी शोक-संवेदनायें सदन के समक्ष प्रस्तुत की है, उससे अपने-आप को सम्बद्ध करते हुए मैं आपकी अनुमति से अपनी बात सदन के समक्ष रख रहा हूं।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे।

श्री प्रणब मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था।

श्री प्रणब मुखर्जी जी एक कुशल राजनेता एवं ओजस्वी वक्ता थे। भारतीय राजनीति में उन्हें पांच दशक से भी अधिक का अनुभव था। वे वर्ष 1969 से 1999 तक पांच बार राज्य सभा के सदस्य तथा वर्ष 2004 एवं 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में विभिन्न विभागों सहित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राज्य सभा

की विभिन्न समितियों के सभापति तथा राज्य सभा और लोक सभा में नेता सदन रहे। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर 25 जुलाई, 2012 को देश के तेरहवें राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वे 25 जुलाई, 2017 तक इस पद पर आसीन रहे।

राष्ट्र के प्रति श्री मुखर्जी की सेवाओं एवं योगदान के दृष्टिगत उन्हें **पद्म विभूषण, सर्वोच्च सांसद, सर्वोत्तम प्रशासक सम्मान** तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'भारत रत्न'** से सम्मानित किया गया।

श्री प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कौशल, संसदीय परम्पराओं की गहरी समझ, अर्थनीति और कूटनीति की प्रशंसा सभी राजनीतिक दल करते थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मद्दों पर निर्णय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री प्रणब मुखर्जी ने देश के राष्ट्रपति, एक मंत्री, एक संसद सदस्य और कुशल नेता के रूप में देश की अनुकरणीय सेवा की और अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शांति की कामना करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक-संवेदनाओं को दुःखी परिवारीजन तक पहुँचाने की कृपा करें।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल वोरा जी के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी शोक-संवेदनायें व्यक्त की हैं, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए आपकी अनुमति से शोक संवेदनायें सम्मानित सदन के समक्ष रख रहा हूं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल वोरा का 21 दिसम्बर, 2020 को लगभग 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री मोती लाल वोरा का जन्म 20 दिसम्बर, 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था।

श्री मोती लाल बोरा वर्ष 1972 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे 13 मार्च, 1985 को पहली बार तथा 25 जनवरी, 1989 को दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए। वे 12वीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। वे चार बार राज्य सभा के सदस्य तथा राज्य सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। उन्होनें केन्द्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के पद के दायित्व का भी निर्वहन

किया। श्री बोरा 26 मई, 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन हुए और 3 मई, 1996 तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। संसदीय मूल्यों पर परम्पराओं को मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जायेगा। श्री मोती लाल बोरा के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शांति की कामना करता हूं और आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें साथ ही जो हमारे बीच में हमारे सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके बारे में जो हमारे माननीय नेता सदन, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाओं को पहुँचाने की कृपा करें।

[12:51] दिवंगत कोरोना वरियर्स एवं उत्तराखण्ड त्रासदी में मारे गये लोगों के प्रति सदन की ओर से शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

कोरोना महामारी से पीड़ित हुए हमारे अनेकों कोरोना योद्धाओं का जीवन चला गया। इसी प्रकार हमारे पड़ोस के उत्तराखंड में जो हमारा अंग रहा है, वहाँ भयंकर त्रासदी हुई और काफी लोग दिवंगत हुए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कोरोना वॉरियर्स और उत्तराखंड की त्रासदी में जो लोग मारे गये हैं उन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज का यह जो शोक प्रस्ताव है पिछले एक वर्ष के दौरान पूरे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। कोरोना प्रबन्धन के कार्य में स्वंय की चिन्ता न करते हुए हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने और कोरोना वॉरियर्स ने अविस्मरणीय और सराहनीय योगदान किया है। हमारे कई स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना वॉरियर्स इस दौरान इस वायरस की चपेट में आये और असमय उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह अवसर हमारे सामने है जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अंतिम चोट इस वायरस पर कर रहा है, दुनिया के अंदर भारतवर्ष एकमात्र देश है जिसने दो-दो वैक्सीन लांच की है और तेजी के साथ टीकाकरण की कार्यवाही पूरे देश के अंदर चल रही है। उन स्थितियों में एक तरफ पूरे देश को जहाँ सुरक्षा का एक माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में प्राप्त हुआ है वहीं साथ ही साथ अपने उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को भी हम स्मरण करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने देश और प्रदेश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं इस अवसर पर पूरे सदन की ओर से कोराना के खिलाफ इस लड़ाई में योगदान देने वाले सभी स्वास्थ्यर्मियों और कोरोना वारियर्स को नमन करता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं और जिन लोगों ने इस पूरी लड़ाई में अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतृप्त परिजनों के प्रति मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन सभी शोक संतृप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। अभी हाल ही में उत्तराखण्ड के एक स्थल पर ग्लेशियर के फटने से भीषण त्रासदी हुई है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में जनहानि और धनहानि हुई है। जनहानि में उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग थे, जो वहां पर जल विद्युत की परियोजनायें चल रही थीं, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। कुछ लोगों के शव प्राप्त हुए हैं, कुछ के शव अभी तक प्राप्त नहीं हो पाये हैं, कुछ लापता है। प्रदेश सरकार की ओर से एक मंत्री समूह की टीम बनायी गयी है, जो उसकी निगरानी कर रही है। गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी के नेतृत्व में इस टीम ने उत्तराखण्ड का दौरा किया है। वहां के मा0 मुख्य मंत्री जी के साथ इन्होंने बैठक भी की है। वहां की सरकार के साथ संवाद बनाए हुए हैं और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव, गृह के नेतृत्व में एक प्रशासनिक टीम यहां से लगातार उत्तराखण्ड सरकार के साथ और वहां के प्रशासन के साथ संवाद बनाकर उत्तर प्रदेश के पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। जो पीड़ित परिवार हैं, उनको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का काम यह टीमें कर रही हैं और जो लोग उत्तराखण्ड जाना चाहते हैं, उनको वहां के प्रशासन के साथ संवाद बनाने में निरन्तर यह टीमें काम कर रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखण्ड त्रासदी के शिकार हुए उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई है, उन सबके प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो लोग लापता हुए हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें उत्तराखण्ड सरकार और एन0डी0आर0एफ0 के साथ या वहां पर जो भी राहत कार्य में लगी हुई एजेंसियां हैं, उनके साथ संवाद बनाकर उन्हें सुरक्षित ढूंढ़ने में उत्तर प्रदेश सरकार क्या योगदान दे सकती है, इसके लिए निरन्तर हमारा संवाद वहां पर बना हुआ है और पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने अपनी जान उत्तराखण्ड की इस त्रासदी में गंवाई है, ऋषिगंगा के पास ग्लेशियर के फटने से हुई इस त्रासदी में जान गंवाने वाले जितने भी प्रदेश के हमारे नागरिक है, उन सभी के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। सभी को इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ है। राज्य सरकार उन सभी परिवारों की हर सम्भव मदद करेगी। आपसे यही प्रार्थना है कि इस सदन की संवेदना को उन पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना महामारी के समय जिन स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर्स या कोरोना वारियर्स की दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई दूसरों की जान बचाने के लिए उन्होंने हमारी भी जान बचाई ऐसे हमारे बीच में न रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर्स कोरोना वारियर्स को मैं सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने आम जनता और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिजनों को इतनी शक्ति दे कि ऐसे कष्ट और दुख को सहन कर सकें। मैं अपने दल की तरफ से विपक्ष की तरफ से सदन की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

दैवी प्रकोप से जो दैवी आपदा उत्तराखण्ड में आई वह बहुत ही मर्माहत करने वाली थी उसने लोगों को बहुत ही मर्माहत किया इस आपदा में जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो घायल हैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वह जल्दी ठीक हो जाएं। जो लापता हैं उनके बारे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वह मिल जाएं। जीवित मिलें वापस आएं मैं पुनः उत्तराखण्ड त्रासदी में जान गंवाए हुए लोगों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनाएं भिजवाने की कृपा करें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी कोरोना से लड़ रहे कर्मियों एवं उत्तराखण्ड त्रासदी से पीड़ित लोगों के प्रति जो शोक संवेदना माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त की उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह महामारी पूरे विश्व में जिस तरह से भयंकर रूप में आई जब उस महामारी से लोग डर रहे थे उस समय में लोगों को बचाने के लिए जिन भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया ऐसे लोगों के प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हैं आपसे आग्रह है कि हमारी शोक संवेदना उनके परिजनों तक पहुँचाने की कृपा करें। साथ ही साथ जो उत्तराखण्ड की भीषण त्रासदी जिसमें बहुत से लोग अभी लापता भी हैं और बहुत से लोगों की लाशें प्राप्त हुई है उनके प्रति हमारी पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे अपेक्षा है कि हमारी शोक संवेदना उनके परिजनों तक पहुँचाने की कृपा करें। उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ।

श्री मसूद अख्तर-

माननीय अध्यक्ष जी कोरोना महामारी ने जो कोरोना वारियर्स हम लोगों की जान को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी चाहे डाक्टर्स हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मी कोई भी हो सफाई

कर्मचारी हों सभी लोगों ने जान की बाजी लगा दी। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको सलाम करता हूँ और उनके प्रति जो संवेदनायें मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी ने व्यक्त की हैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए सच्ची श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ और साथ ही ईश्वर से, अल्ला से यह दुआ भी करता हूँ कि वह इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करें ताकि वह इस दुख को सहन कर सकें। साथ ही मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और हम सबकी तरफ से दुखी परिजनों तक हमारी संवेदनायें पहुँचाने की कृपा करें। साथ ही मैं उत्तराखण्ड में आई भीषण त्रासदी से शिकार हुए लोग जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं, हमारे जनपद सहारनपुर से भी लगभग 10 लोग लापता है इन सबके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो उद्गार प्रस्तुत किया है उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों को सच्ची श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ और शान्ति की कामना करता हूँ। जो लोग अभी लापता हैं उनके लिए मैं अल्ला से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्दी ही हमारे बीच आ जायें। इसी के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उनके परिजनो को हमारी संवेदनायें पहुँचाने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणव मुखर्जी जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनके प्रति मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी और मा0 नेता कांग्रेस ने जो शोक-संवेदना व्यक्त की है उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणव मुखर्जी जी का 31 अगस्त, 2020 को निधन हो गया वह लगभग 84 वर्ष के थे। श्री प्रणव मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। श्री प्रणव मुखर्जी कुशल राजनेता एवं ओजस्वी वक्ता थे भारतीय राजनीति में उनका 5 दशक से भी अधिक का अनुभव था वे वर्ष 1969 से 1999 तक 5 बार राज्यसभा के सदस्य तथा वर्ष 2004 एवं 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के विभिन्न विभागों सहित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद के दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया, वे राज्यसभा के विभिन्न समितियों के सभापति एवं राज्यसभा और लोकसभा में नेता सदन रहे। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, श्री प्रणव मुखर्जी जी ने अपने राजनैतिक जीवन के शिखर पर 25 जुलाई 2012 को देश के 13 वें राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वे 25 जुलाई 2017 तक इस पर आसीन रहे। राष्ट्र के प्रति श्री प्रणव मुखर्जी जी की सेवाओं एवं योगदान के दृष्टिगत उन्हें पद्मभूषण सर्वोच्च

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सांसद, सर्वोच्च प्रशासक सम्मान तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

श्री प्रणव मुखर्जी जी के राजनैतिक कौशल संसदीय परम्पराओं की गहरी समझ अर्थ नीति और कूट नीति की प्रशंसा सभी राजनीतिक दल करते थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री प्रणव मुखर्जी जी ने देश के राष्ट्रपति एवं मंत्री एवं संसद सदस्य एवं कुशल नेता के रूप में देश की अनुकरणीय सेवा की एवं अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री प्रणव मुखर्जी के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हृदय से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है, दुखी परिवार है उन तक हमारी तरफ से हमारी पार्टी अपना दल की तरफ से एवं इस सदन की तरफ से उन तक शोक संवेदना पहुंचाई जाये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा जी का निधन हो गया वह आज हम लोगों के बीच में नहीं है उनके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस जी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की है, उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा जी का 21 दिसम्बर 2020 को लगभग 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री मोती लाल बोरा का जन्म 20 दिसम्बर 1928 को राजस्थान के नागौढ़ जिले में हुआ था। श्री मोती लाल बोरा वर्ष 1972 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे 13 मार्च 1985 को पहली बार तथा 25 जनवरी 1989 को दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए। वे 12वीं लोक सभा के सदस्य भी रहे वे 4 बार राज्य सभा के सदस्य तथा राज्य सभा के विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे उन्होंने केन्द्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री पद के दायित्वों का भी निर्वहन किया। श्री बोरा 26 मई 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन हुए और 03 मई 1996 तक इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। संसदीय मूल्यों एवं परम्पराओं को मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद रखा जायेगा।

श्री मोतीलाल बोरा के निधन से देश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ से अपना दल पार्टी की तरफ से और इस सदन की तरफ से शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदान पहुंचाई जायें और साथ ही साथ इस सदन में जो हमारे माननीय सदस्य रहे, वे आज नहीं हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चाहूंगा कि उनके परिजनों तक अपना दल पार्टी की तरफ से और इस सदन की तरफ से शोक संतृप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाई जायें साथ ही साथ कोरोना वारियर्स जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपनी

जान को हथेली पर लेकर इस देश के रहने वाले हर नागरिक की उन्होंने रक्षा की और रक्षा करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया उनको भी मैं हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही साथ उत्तराखण्ड में त्रासदी में जो शहीद हुए, मारे गये बेचारे जिन तमाम लोगों का आज पता नहीं है मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो मारे गये उनकी आत्मा को शांति दे और जो लापता हैं उनके लिए मैं बाबा भोले नाथ से कामना करता हूं कि वे सकुशल अपने परिवार तक पहुंचे। माननीय अध्यक्ष जी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा ओम शान्ति।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, माननीय नेता, बसपा, माननीय नेता, कांग्रेस तथा माननीय नेता, अपना दल के विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणव मुखर्जी जी का निधन दिनांक 31 अगस्त, 2020 को हो गया। वह लगभग 84 वर्ष के थे। श्री प्रणव मुखर्जी जी का जन्म दिनांक 11 दिसम्बर, 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के ग्राम मिराती में हुआ था। श्री प्रणव मुखर्जी एक कुशल राजनेता एवं ओजस्वी वक्ता थे। भारतीय राजनीति में उन्हें पांच दशक से भी अधिक का अनुभव था। वह वर्ष 1969 से 1999 तक पांच बार राज्यसभा के सदस्य तथा वर्ष 2004 एवं 2009 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में विभिन्न विभागों सहित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निवर्हन किया। वह राज्यसभा की विभिन्न समितियों के सभापति तथा राज्य सभा एवं लोक सभा के नेता सदन भी रहे। वह योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे। श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर दिनांक 25 जुलाई, 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वह दिनांक 25 जुलाई, 2017 तक इस पद पर आसीन रहे। श्री प्रणव मुखर्जी की राष्ट्र के प्रति सेवाओं एवं योगदान के दृष्टिगत उन्हें पद्म विभूषण, सर्वोच्च सांसद, सर्वोच्च प्रशासक सम्मान तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री प्रणव मुखर्जी जी के राजनीतिक कौशल, संसदीय परम्पराओं की गहरी समझ तथा कूटनीति की प्रशंसा सभी राजनीतिक दल करते थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री प्रणव मुखर्जी ने देश के राष्ट्रपति, एक मंत्री, एक सांसद, एक सदस्य और कुशल नेता के रूप में देश की अनुकरणीय सेवा की और अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निवर्हन किया। श्री प्रणव मुखर्जी के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी शोक संवेदना शोकाकुल परिवार तक पहुंचवाने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल वोरा जी का लगभग 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री मोती लाल वोरा जी का जन्म दिनांक 20 दिसम्बर, 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। श्री मोती लाल वोरा जी वर्ष 1972 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे 13 मार्च 1985 को पहली तथा 25 जनवरी, 1989 को दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए। वह 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। वह चार बार लोकसभा के सदस्य तथा राज्य सभा की विभिन्न समितियों के भी सदस्य रहे। उन्होंने केन्द्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री बोरा 26 मई, 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन हुए और 3 मई, 1996 तक इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। संसदीय मूल्यों एवं परम्पराओं को मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद रखा जाएगा। श्री मोतीलाल बोरा के निधन से देश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवक खो दिया है। मैं मेरी और मेरी पार्टी की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक संतृप्त परिवार को शोक संवेदनाएं भेजने की कृपा करें। साथ ही में हमारे इस सदन के जो पूर्व सदस्य रहे है जो कि हमारे बीच में नहीं है उन परिवारों को हम अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से निवेदन करेंगे कि शोक संवेदना शोकाकुल परिवार को भेजने की कृपा करें। साथ ही हमारे देश में कोरोना की लड़ाई में हमारे जो डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी या वॉरियर्स जो भी लोग हमको बचाते-बचाते हमारे बीच में वह खुद नहीं बच पाये ऐसे परिवारों को हम अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इसके साथ ही उत्तराखण्ड की त्रासदी में जो हमारे बीच में नहीं हैं और जो लोग लापता है उन साथियों को तथा उन शोकाकुल परिवारों को मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता प्रणव जी जो राष्ट्रपति रहे चिंतक, विचारक और श्री मोती लाल बोरा जी, जिनके साथ हम उत्तर प्रदेश के लोगों के बड़े लम्बे समय तक रिश्ते रहे। हमारी विधान सभा के 33 माननीय सदस्य जो अपने-अपने समय में इस आदरणीय सदन की प्रतिभा में निखार लाने में जुटे रहे और उत्तराखण्ड त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले सभी महानुभाव और कोरोना युद्ध को लड़ते हुए तथा हम सबको बचाते हुए स्वयं अपने प्राण गंवा बैठे ऐसे सभी कोरोना के यौद्धा इन सबके प्रति आज आदरणीय सदन ने शोक व्यक्त किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय राम गोविन्द जी ने, माननीय वर्मा जी ने सभी दलीय नेताओं ने अपने-अपने उद्गार व्यक्त किये हैं। मैं इस सदन का शोकोद्गार उनके परिजनों तक पहुंचा दूंगा और प्रार्थना करता हूं कि इन सबकी आत्मा को शांति तथा मुक्ति मिले। आईए उनकी स्मृति के शोक में दो मिनट खड़े होते हैं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

[01:25] केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून के विरोध में आन्दोलनरत किसानों पर पुलिस के दुर्व्यवहार से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, अब हमारे नियम-311 पर चर्चा की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 पर नहीं पहले हमारी बात सुन लीजिए। पहले हम नियम 301 की सूचनायें पढ़ दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैंने नियम-311 में दिया है। पहले उस पर सुन लें। आपसे आग्रह किया गया था कि सभी नियमों को स्थगित करके आप हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आगे हम स्थगित ही तो करेंगे। जो भी याचिकायें लगी हैं सब रोककर आपको सुनेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नियम-311 में जो किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप काहे हठ करते हैं। पहले नियम-301 पढ़ दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप एक-एक करके पढ़ते जायेंगे तो नियम-311 देने का मतलब क्या होगा। आप हमारी भी तो मदद करें। नियम-311 का प्रश्न तभी होता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय और उस विषय के लिए आगे की सभी मदों को स्थगित करके नियम-311 पर सुना जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। हम नियम 301 की सूचनायें पढ़ते हैं। बस इतना है। हम पढ़ दें फिर उसके बाद आप अपना विषय रखिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप पढ़ देंगे तो मैं क्या करूं ? क्योंकि मैंने तो सबसे पहले नियम-311 में दिया हुआ है। मैं केवल 05 मिनट में अपनी बात रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अगर मैं यह पढ़ दूंगा तो पांच मिनट में क्या हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देश में आन्दोलन करने पर प्रतिबन्ध लग गया है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 हमने स्वीकार कहां किया है। हमने तो आपसे सुनने के लिए कहा था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कब सुनेंगे यह तो बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी मुश्किल से 03 मिनट बाद सुनेंगे।

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, कृपा करके यह सदन पहले नियमों से चलता है फिर परम्पराओं से चलता है। मान्यवर, आप कृपापूर्वक एजेण्डे की तरफ देख लें।

एजेण्डे में आज कुछ मदें दी गयी हैं। वैसे तो आपके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। जब चाहें जिसको मौका दे दें। लेकिन एजेण्डे में जो औपचारिक काम है परम्परा यह है कि पहले यह काम हो जाये उसके बाद आप जिसको चाहे सुनने के लिए मौका दे दें। लेकिन पहले एजेण्डे का औपचारिक काम तो पूरा हो जाये। कोई व्यक्ति अगर अपनी तरफ से संचालित करना चाहे तो मान्यवर, यह अधिकार तो केवल आपके पास है। यह अधिकार इनके पास नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना भी कुछ हद तक सही है कि विधान सभा कार्य सूची से चलेगी और विधान सभा की नियमावली से चलेगी। उसी विधान सभा की नियमावली में नियम-311 की व्यवस्था की गयी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी नियम 311 की व्यवस्था इसलिए की गयी है कि जब प्रदेश में ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाये नियम-311 में देकर पहले इस पर चर्चा करायी जाती है और जब आप नेता भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल थे तो नियम-311 की सूचनायें आप बार-बार देते थे। अब वहाँ बैठ गये हैं तो सब भूल गये हैं। किताब उठा रहे हैं। मैं भी बहुत दिन से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। जबानी याद है आपको भी याद होगा, बहुत दिन से सदन में है। लेकिन इस सदन की जो परम्परायें है कि अगर प्रदेश में किसी समस्या को लेकर विकट परिस्थिति पैदा हो जाये तो मा0 अध्यक्ष जी उसको सुनना आपका कर्तव्य होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने दिया है वह नियम-311 में नहीं आता है। लेकिन हम आपको सुनेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, सुनेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब मा0 नेता विरोधी दल ने सदन में प्रवेश किया था तो बहुत खुश थे, उसके बाद भी सदन में हंसते रहे। ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुइ जिससे नियम-311 के बारे में बात हो। ऐसी कोई भी विशेष परिस्थिति विकसिती नहीं हुई, जिससे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब मा0 अध्यक्ष जी ने आज्ञा दे दी है तो आप बतायें कि विशेष परिस्थिति क्या होती है ? मैं जानता हूं कि आप किसान नहीं हैं, लेकिन सदन में बैठे हुए सभी लोग किसान हैं। भले ही पार्टी के अनुशासन को देखते हुए चुप हैं लेकिन पूरे सदन के मा0 सदस्यों के पेट में किसान आंदोलन खुद रहा है। चूंकि पार्टी है, अनुशासन है, इसलिए लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इससे विशेष कुछ हो ही नहीं सकता है।

[01:30] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

आज दिनांक 19-02-2021 को कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं सिमें 20 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनौली को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री उपेन्द्र नाथ पासवान की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अन्तर्गत ग्राम उमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत बहराइच से गोण्डा से ग्राम सोहरियावां तक टूटी सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां अन्तर्गत प्राइवेट बसों पर रोक लगा कर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत सरकारी आवास का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से दातागंज मार्ग पर बिलपुर रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान अन्तर्गत वोजी घाट पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल में कार्यरत श्रमिकों को बकाया वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर अन्तर्गत बादशाहीबाग नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में कपिपय तहसील एवं विकास खण्डों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रुपये दो करोड़ की लागत का डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील प्रशासन टाण्डा अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को आवास मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सैदाबाद अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़वा बसागित से ग्राम घूरेपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के ब्लाक खरखौदा के अन्तर्गत खरखौदा कौल नंगलामल मार्ग से नवनिर्मित राजकीय स्कूल मुण्डाली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठारहवीं श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में 33/11 के0वी0 क्षमता के विद्युत केन्द्र का स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर अन्तर्गत युवा सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाने पर भी बीमा राशि का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में है एवं बीसवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार कर दी गयीं :-

1-श्री विजय कुमार राजभर

2-श्री संजय सिंह गंगवार

3-श्री प्रमोद उटवाल

4-श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया

5-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी

6-श्रीमती सावित्री कठेरिया

7-श्रीमती राजबाला

8-श्री मसूद अख्तर

9-श्री गंगा

10-श्री सुभाष पासी

11-श्री राम अचल राजभर

12-श्री मो0 फईम इरफान

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कानपुर नगर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना डिस्ट्रिक्ट 1 के अन्तर्गत सीवर सुधार के कार्य चल रहे हैं। अक्सर अधिकारी व ठेकेदार जनता की मांग व उपयोगिता को नजरंदाज कर अपनी वरीयता के आधार पर काम करते हैं। अनेक प्रयासों के बाद भी (1) चौबेगोला से मूलगंज, नई सड़क व (2) 14/1 रेलवे लाइन चुन्नीगंज में सीवर लाइन न होने के बाद भी सीवर लाइन डालने सम्बन्धी कार्य नहीं किया जा रहा है। जबकि उक्त कार्य अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोकमहत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त सीवर लाइन डलवाने व नमामि गंगे के अन्तर्गत हुये समस्त कार्यों की सूची उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनौली को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा-

[मान्यवर सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनौली की आबादी लगभग 30,000 (तीस हजार) होने के कारण जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है क्योंकि धनौली ग्राम पंचायत होने के कारण विकास कार्यों सड़क/नाली, पेयजल आदि हेतु समुचित बजट नहीं मिल पाता जिसके कारण गाँव के लोगों में काफी रोष है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त ग्राम पंचायत धनौली को नगर पंचायत बनाये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर अन्तर्गत ग्राम उमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

[मान्यवर सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा घाटमपुर अन्तर्गत ग्राम उमरी एवं आसपास के गाँवों में कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण वहां के निवासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। जिस कारण वह निजी चिकित्सालयों एवं झोला छाप डाक्टरों से महंगा इलाज करवाते हैं। उचित इलाज न मिल पाने के कारण जन एवं धन की हानि होती है। तथा सरकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी कल्याणकारी योजना से वंचित होना पड़ता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त गाँव उमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत बहराइच से गोण्डा के ग्राम सोहरियावां तक टूटी सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

[मान्यवर विधान सभा क्षेत्र-287 पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत बहराइच से गोण्डा से ग्राम सोहरियावां तक लगभग डेढ़ कि0मी0 काफी टूट-फूट गयी है जिस पर आना जाना दूभर हो गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए टूटी सड़क का पुनर्निर्माण विशेष मरम्मत तक का कार्य कराए जानें हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां अन्तर्गत प्राइवेट बसों पर रोक लगा कर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमसागर पटेल-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र सिसवा बाजार जनपद महराजगंज से अवैध रूप से प्राइवेट डग्गामार बसों का संचालन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके संचालन से सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ ही आम जनमानस को बसों में ठूसकर ले जाने से परेशानियाँ हो

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है। जनहित में अवैध प्राइवेट बसों के संचालन पर तत्काल रोक लगाकर सिसवा बाजार से निचलौल, सिसवा बाजार से गोरखपुर तक राजकीय बसों का संचालन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बसों पर रोक लगाकर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत सरकारी आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्रा-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में उप जिलाधिकारी के रहने हेतु कोई सरकारी आवास नहीं है जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उन्हें 40 कि0मी0 दूर जिला मुख्यालय जौनपुर में ठहरना होता है। तहसील परिसर में ठहरने हेतु आवास अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से दातागंज मार्ग पर बिलपुर रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-फरीदपुर में फतेहगंज पूर्वी से दातागंज मार्ग पर बिलपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग बरेली एवं बदायूँ के कई नगरों और लगभग 200 गांवों को जोड़ता है। जनहित में उक्त बिलपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त बिलपुर रेलवे कासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान अन्तर्गत वोझी घाट पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस-

[मान्यवर अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड कलान में वोझी घाट पर पैंटून/पक्का पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वोझी घाट पर पुल न होने से पचासो किलो मीटर की दूरी तय करके जिला मुख्यालय पर जाना पड़ रहा है। इस समस्या के निदान हेतु वोझी घाट पर पैंटून/पक्का पुल के निर्माण के लिए मेरे द्वारा कई बार सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को लिखित रूप में अवगत करा चुका हूँ। फिर भी आज तक इस समस्या का निराकरण नहीं कराया गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल में कार्यरत श्रमिकों को बकाया वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में कार्यरत श्रमिकों का बकाया वेतन, ग्रेजुएटी, पी0एफ0 का पैसा गन्ना ठेकेदारो का बकाया भुगतान, किसानो का मून्य गन्ना का न दिये जाने से किसान मजदूर के मूल्य का भुगतान न किये जाने से क्षेत्रीय किसान मजदूर और ठेकेदार आकोशित है। लोक महत्व एवं जनहित से जुड़ा हुआ विषय है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकषित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर अन्तर्गत बादशाहीबाग नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मायापुर रूपपुर उर्फ बादशाहीबाग व ग्राम फैजाबाद के बीच बादशाहीबाग नदी के पुल का निर्माण कराया जाना अति महत्पूर्ण है। इस पुल के न बनने के कारण उ0प्र0 सहित हिमांचल व हरियाणा के भी लगभग 50 गाँव प्रभावित होते हैं। इस पुल के निर्माण से खारा जल विद्युत परियोजना, हथिनीकुण्ड बैराज तथा हिमांचल प्रदेश व हरियाणा के बीच आवागमन की सुविधा से क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते पुल निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत में कतिपय तहसील एवं विकास खण्डों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत में 94 राजस्व गांव जनपद शाहजहाँपुर से पृथक करके सम्बद्ध किए गए हैं। इस प्रकार जनपद पीलीभीत में 1441 राजस्व गांव है, जिसमें पृथक से 472 तहसील बीसलपुर में, 473 तहसील पीलीभीत में ओर 496 राजस्व गांव पूरनपुर तहसील के अन्तर्गत है। एक तहसील परिक्षेत्र के गठन के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 350 राजस्व गांव होने चाहिए। इस प्रकार जनपद पीलीभीत में एक अन्य तहसील परिक्षेत्र ही गठित किया जाना सम्भव है, जबकि राजनैतिक कारणों से पूरनपुर तहसील को विभाजित कर कली नगर नामक नवीन तहसील परिक्षेत्र और पीलीभीत तहसील को विभाजित कर अमरिया नामक नवीन तहसील परिक्षेत्र गठित किया गया है। इस प्रकार बीसलपुर तहसील सबसे बड़ी तहसील है। यदि गजरौला कला नामक अपेक्षित नवीन तहसील परिक्षेत्र गठित किया जाता तो पूरनपुर-पीलीभीत तथा बीसलपुर तीनों तहसील परिक्षेत्रों से राजस्व गांव पृथक पृथक कर समान राजस्व गांव चारो तहसीलों में सम्भव हो जाते। जनपद पीलीभीत में मात्र 07 क्षेत्र पंचायत गठित है। इस प्रकार बीसलपुर तहसील में दियुरिया कलां नामक पीलीभीत में भमौरा नामक तथा पूरनपुर तहसील में माधौ टाण्डा एवं गजरौला कलां नामक 04 अन्य क्षेत्रपंचायत गठित किए जाने की आवश्यकता है। माधौ टाण्डा नामक क्षेत्र पंचायत की घोषणा भी हुई परन्तु क्रियान्वयन नहीं हुआ। पूरनपुर विकास खण्ड में सम्पूर्ण तहसील परिक्षेत्र सम्मिलित है। इसलिए इस तहसील में 02 नवीन क्षेत्र पंचायत गठित करने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए। तथा नवीन तहसील परिक्षेत्र गजरौला कलां तथा नवीन क्षेत्र पंचायत दियुरिया कला, भमौरा, माधौ टाण्डा एवं गजरौला कला गठित करने तथा तहसील कली नगर एवं अमरिया राजनैतिक कारणों से गठित होने के कारण समाप्त करने की कार्यवाही की जाए।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रुपये दो करोड़ की लागत का डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर कृपया विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत जनहित में शासनादेश संख्या-2064/छियत्तर-1-2020-25 सम/2019 दिनांक 29 अक्टूबर 2020 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रु0 2.00 करोड़ तक की लागत की नवीन योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पेय जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सन्दर्भ में आपको यह भी अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित किया गया है कि कोई भी ग्राम/मजरा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराये जाने आच्छादन से छूटने न पाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उक्त शासनादेश के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम/मजरों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 2.00 करोड़ तक लागत के डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील प्रशासन टाण्डा अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को आवास मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[मान्यवर तहसील प्रशासन टाण्डा, जिला अम्बेडकर नगर के द्वारा ग्राम सलाहपुर रज्जौर, परगना एवं तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकर नगर के श्री विनोद पुत्र राजाराम, श्री राधेश्याम श्री विनोद, पंकज पुत्र श्री विनोद एवं धर्मेन्द्र पुत्र श्री राधेश्याम का मकान बिना मुआवजा दिये ही गिरा दिया गया, जिसके कारण उक्त लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है न ही घर बनाने के लिए कोई भूमि, उक्त लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के तत्कालिक प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त व्यक्तियों को आवास एवं मुआवजा दिलाये जाने जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सैदाबाद अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़वा बसागित से ग्राम घूरेपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वि0ख0-सैदाबाद ग्राम सभा-गढ़वा बसागित राकेश पासी के घर से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम-घूरेपुर तक मार्ग (लम्बाई लगभग 1.5 कि0 मी0) बहुत ही जर्जर है। जिससे लोगों को आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से पत्राचार तथा अनुरोध किया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की माँग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-ठेकमा के ग्राम-हदिसा में रमेश राजभर की पोखरी पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण, वि0ख0-लालगंज के ग्राम-उमरी श्री (महगुपुर) में नहर पर बने जर्जर पुलिया का नव निर्माण, वि0ख0-लालगंज ग्राम चौकी देवगांव में नहर पर बनी पुलिया का नव निर्माण या चौड़ीकरण, वि0ख0 लालगंज के ग्राम रसूलपुर दुधरा (आसूपुर) के पास बनी नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण/नव निर्माण, वि0ख0 लालगंज के ग्राम उपेन्दा में बुद्धुराम के घर के पास नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण, वि0ख0-ठेकमा के ग्राम बहादुरपुर के (चक नोनारी) डीह बाबा के स्थान पर नहर पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पुलिया का नव निर्माण कार्य न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग को अनेको बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के ब्लाक खरखौदा के अन्तर्गत खरखौदा कौल नंगलामल मार्ग से नवनिर्मित राजकीय स्कूल मुण्डाली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर मेरी विधान सभा क्षेत्र 46, किठौर जनपद मेरठ के अन्तर्गत, ब्लॉक खरखौदा में खरखौदा कौल सभा-46, नंगलामल मार्ग से नव निर्मित राजकीय स्कूल मुण्डाली तक लगभग

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

0.700 किमी0 रास्ता की हालत बहुत खराब अवस्था में है। ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का डामरीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती में चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन बस्ती कि ओर से लगातार मिलों पर दबाव बनाने तथा मिल अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद भी चीनी मिलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। भुगतान न होने से किसानों कि मुश्किले बढ़ती जा रही है, शादी विवाह व बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ किसानों कि आगामी फसले धनाभाव के कारण प्रभावित हो रही हैं।

जनपद बस्ती के वाल्टरगंज चीनी मिल पर किसानों का लगभग 42 करोड़ रु0 का बकाया है अगर कर्मचारियों का बकाया रकम जोड़ दिया जाये तो ये रकम लगभग 50 करोड़ रु0 तक पहुंच जायेगी पिछले सत्र से बन्द पड़ी वाल्टरगंज चीनी मिल को नये मिल मालिकों द्वारा चलाये जाने के प्रयासों पर अब तक प्रशासन द्वारा हरी झण्डी न मिल पाने के कारण सवाल खड़ा हो रहा है किसानों का कहना है कि यदि मिल चलती तो बकाया रकम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती मिल न चलने से किसानों का करोड़ों रु0 फंसा पड़ा है इसी प्रकार बस्ती चीनी मिल जो कि वर्तमान में बन्द हो चुकी है उस पर भी किसानों का बकाया था जो भुगतान कर दिया गया है परन्तु मिल नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि से वाल्टरगंज के किसानों का बकाया दिया जाना था। चूकि बस्ती व वाल्टरगंज मिल एक ही मिल मालिक सम्पत्ति है ऐसे में नीलामी से प्राप्त धन से वाल्टरगंज के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया जाना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रूधौली चीनी मिल की भी स्थिति उपरोक्तानुसार है अठदमा चीनी मिल पर भी पिछले पेराई सत्र का लगभग 49 करोड़ बकाया है तथा वर्तमान पेराई सत्र का लगभग 50 करोड़ रु0 हो चुका है इस प्रकार किसानों का कुल बकाया गन्ना मूल्य लगभग लगभग 1 अरब 50 करोड़ रु0 हो चुका है सरकार द्वारा बार-बार मिलों पर कार्यवाही के आदेश अब बेअसर दिखने लगा है। मिलों के द्वारा 14 दिनों के अन्दर भुगतान किये जाने की नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है क्षेत्रीय विधायक होने के नाते किसानों के आकोश का शिकार होना पड़ रहा है। किसान आन्दोलन के चलते किसान भी अब दबाव के मूड में है

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भुगतान न होने की स्थिति में सरकार की छवि धूमिल हो रही है परिस्थितियों को संज्ञान में लेकर चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना किसान हित में अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ,

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में 33/11 के0वी0 क्षमता के विद्युत केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर फिरोजाबाद के बाहरी क्षेत्रों टापाखुर्द, ठारपूठा, सैलई आदि एवं घनी आबादी में मेहनतकश, कमजोर आर्थिक स्थिति के नागरिक निवास करते हैं।

इनके क्षेत्रों में विद्युत अवस्थापना सुविधाओं के पर्याप्त रूप से न होने के कारण क्षेत्रीय निवासियों द्वारा बांस/बल्लियों के सहारे लम्बी दूरी पर स्थित ट्रांसफार्मरों से केबल/डोरी खींच कर विद्युत व्यवस्था करी जाती हैं।

उक्त परिस्थितियों में आये दिन विद्युत दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि होती रहती है। ट्रांसफार्मर आदि फुंकते रहते हैं।

इस क्षेत्र में विद्युत अवस्थापना सुविधाओं के आभाव को दूर कराने हेतु अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, दक्षिणाचंल वितरण निगम लि0, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-2789/वि0वि0सं0/फि0 दिनांक 09-05-2019 के माध्यम से जिलाधिकारी फिरोजाबाद को डी0डी0यू0जी0जे0वाई योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध करा गया है।

उक्त के क्रम में डी0डी0यू0जी0जे0वाई योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद में प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-577/सा0प्र0/जी0आ0-एसटी/2020-21 दिनांक 16-01-2021 के माध्यम से ग्राम टापाखुर्द के गाटा संख्या-255/2/1.026 में से 1712 दिनांक वर्गमीटर भूमि का नगर निगम, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 31-12-2020 में पारित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है।

इस क्रम में जिलाधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा उक्त प्रस्ताव को आयुक्त, आगरा मण्डल को पत्रांक संख्या 1271/भूमि व्यवस्था-5-पुनर्ग्रहण दिनांक 2-2-2021 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्तावित करते हुये प्रेषित कर दिया गया है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अभिलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल प्रभाव से यथा प्रस्तावित भूमि पर 33/11 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूँ।

जनपद सहारनपुर अन्तर्गत युवा सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाने पर भी बीमा राशि का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 27-08-20 को नगर निगम सहारनपुर के सफाई कर्मी रवि पुत्र नरेश, निवासी बी-55 इन्दिरा कालोनी, शारदा नगर, कोरोना की बीमारी से ग्रसित देने के कारण शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उ0प्र0 शासन द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने वाले सभी स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों का 50 लाख रु0 का बीमा कराने की घोषणा की गई थी, परन्तु मृतक के परिवार को कोई बीमा राशि नहीं मिली हैं। मृतक आश्रित परिवार अत्यंत गरीब है तथा बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का संचालन कर रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर जनपद फिरोजाबाद में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दो वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में एक हजार इंजेक्शन (वैक्सीन) भेजे गए थे, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में खत्म हो गये जिसके कारण मरीजों को भटकना पड़ रहा है। इस वैक्सीन के दो टीके नौ से 14 वर्ष की किशोरियों को पांच माह के दौरान लगने होते हैं। अक्टूबर 2019 में वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण जिन किशोरियों को जून, जुलाई, अगस्त में पहला इंजेक्शन लगा था, उनको दूसरा इंजेक्शन न लगने से पहली डोज भी बेकार हो गई है और जिन किशोरियों की मियाद अभी शेष है वे क्लीनिक के चक्कर काट रही हैं। इस टीके की कीमत दो हजार रुपये से भी अधिक है और यह टीका लगभग पांच हजार रुपये में होता है, जिसके कारण गरीब परिवार की किशोरियाँ इस वैक्सीन से वंचित रह जाती हैं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त समस्याओं के निदान की मांग करता हूँ।]

[01:31] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने भी नियम-311 में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास नियम-311 की जो सूचनाएं आई थीं उनको हमने निरस्त कर दिया था, लेकिन हमारे पास नियम 56 की सूचनाएं हैं और नियम-56 में श्रीमती आराधना जी, श्री नरेश जी की सूचनाएं हैं वह किसानों से सम्बन्धित हैं। आप चाहें तो अन्य दलों से एक-एक मा0 सदस्य बोल लेंगे। इसी प्रकार नियम-56 में श्री नरेन्द्र वर्मा जी की सूचना कोरोना महामारी में छूट के सम्बन्ध में है। श्री लाल जी वर्मा जी की सूचना जिला उन्नाव के बारे में है। सबसे पहले किसानों पर कौन बोलेगा ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इस देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अन्नदाता तीन महीने से कड़ाके की ठण्ड में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। किसानों की मांग है कि केन्द्र सरकार ने जो तीन कानून बनाये हैं, एक कानून को संशोधित किया है और दो कानूनों को संशोधित नहीं किया है। उसको केन्द्र सरकार वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कानून बनाये। सरकार जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी चाहे सरकारी एजेंसियां हों, चाहे प्राईवेट एजेंसियां हों, चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे व्यापारी हों, उससे कम पर खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी और उसको दण्ड दिया जायेगा, इसलिए इस बात को किसान कह रहा है। इस बात को न मा0 मुख्य मंत्री जी कहेंगे और न ही सरकार के पक्ष के लोग कहेंगे, लेकिन यह सदन है और सदन में सही बात कही जाती है। श्रीमन् अभी धान की खरीद हुई है। मैं चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी सत्ता पक्ष की ही एक कमेटी बना दें और वह कमेटी जांच कर ले कि एम0एस0पी0 पर कितने किसानों के धान की खरीद हुई है। बिचौलियों ने अधिकांश धान खरीद लिया और उसी किसान की खतौनी जमा करके सरकारी रेट पर धान बेच दिया। सरकार कहती है कि हमारी इतनी खरीद हो गयी है लेकिन किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिला है, इसीलिए वह चाहता है कि एम0एस0पी0 को कानूनी जामा पहनाया जाए। कृषि विषय राज्य का विषय है, केन्द्र का विषय नहीं है।

विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था बनाई गयी है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो केंद्र सरकार भी कृषि पर कानून बना सकती है।

श्री अध्यक्ष-

वह समवर्ती सूची में है इसलिए उसको हमेशा अधिकार रहता है।

श्री रामगोविंद चौधरी-

लेकिन ये तो है कि कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है कि नहीं है, ये बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

स्टेट का सब्जेक्ट है।

श्री रामगोविंद चौधरी-

है, तो जब स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट को कानून बनाना चाहिए। ठीक है समवर्ती सूची में है और...

श्री अध्यक्ष-

समवर्ती सूची में....

श्री रामगोविंद चौधरी-

श्रीमन्, निवेदन है आप केवल सुनिए, टोकिये मत। मैंने कहा भी कि विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए आप सुनिए, कहीं गलती हो तो टोकिये।

श्री अध्यक्ष-

केंद्र नहीं बना सकता है, समवर्ती सूची वाला ही बना सकता है। चलिए, आप बताइए।

श्री रामगोविंद चौधरी-

ये कानून बनाने की विशेष परिस्थिति क्यों आई? किसान कह रहा है कि ये जो कानून बने हैं, वह मेरे डेथ वारंट के समान है और सरकार कह रही है कि ये किसान के भले के लिए हैं। बड़ा द्वंद है, सरकार कह रही है कि किसान के भले के लिए हमने कानून बनाया है और जिसके लिए कानून बना है वह कह रहा है कि मेरे लिए मृत्यु के समान ये कानून है। श्रीमन्, तीन महीने वह धरने पर बैठा है। 200 से अधिक किसान शहीद हो गये हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के दो किसान भी शहीद हो गये है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों ने उत्तराखण्ड की त्रासदी पर, कोरोना वॉरियर्स पर शोक-संवेदना व्यक्त की है, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, चाहे सरकार में हो या सरकार में न हो, एक शोक-संवेदना भी किसी ने व्यक्त नहीं की। मैं आपकी अनुमति से इस किसान आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के बाद उन पर भी आप एक मिनट का मौन जरूर रखवाएंगे।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोंका-टाकी करने पर)

मैं तो चाहता हूं कि आप लोग हल्ला करिए। आप हल्ला करिए, अभी थोड़े दिन बाद ही हमको आपको गांवों में जाना है। आप दिखाइये कि आप किसान विरोधी आदमी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप करिए।

श्री रामगोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के नवनीत सिंह और काश्मीर सिंह शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दें। मान्यवर, इस देश में, प्रदेश में, लोकतंत्र लगभग खत्म-सा हो गया है, जो है वह दिखावटी है। इसको आप जान रहे हैं। हम आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते। किसानों ने आंदोलन की जो-जो डेट आंदोलन की रखी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सड़क पर उतरे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आपराधिक धाराओं पर मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजा गया और ट्रेक्टर रैली निकली, उन ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस भेजा गया। दिल्ली हमारी है...

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए।

श्री रामगोविंद चौधरी-

अब आप ये तो नहीं कह सकते कि समाप्त करिए। दिल्ली हमारी है, किसान दिल्ली अपनी बात कहने प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता, जितना घेराव चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर घेराव नहीं है उतना घेराव कटीले तारों से किया गया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, सड़कों पर बड़े-बड़े नाखूनी कीलें ठोंके गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप राज्य सरकार के बारे में बोलिए, दिल्ली में जो हुआ उस पर नहीं।

श्री रामगोविंद चौधरी-

किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गये और किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नियम-56 के अन्तर्गत अगर हमको सुन रहे हैं तो शेष कार्यवाही को रोक करके इस प्रदेश और देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज किसान आन्दोलन के विषय में मैं आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूं। यह निश्चित घटना है, अविलम्बनीय है और लोक महत्व की है। वह किसान अन्नदाता है, अन्न भगवान का रूप माना गया है। अगर अन्न, भगवान का रूप माना गया है तो किसान में भी एक अंश भगवान का होता है।

श्री अध्यक्ष-

अब वर्मा जी खड़े हो गए हैं, आप समाप्त करिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम, वर्मा जी हैं तो सब एक ही। मैंने कहा, अगर मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं होते तो उधर से अस्सी आदमी बैठे-बैठे कहते कि बहुत ठीक-बहुत ठीक, क्योंकि सभी किसान हैं, आज भले ही आप सत्ता में हैं, मैं विपक्ष में हूं तो मैं कहना चाहता हूं, अन्नदाता की बात को माना जाए। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के कई देश इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। कई बड़े-बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरा हिन्दुस्तान का किसान, अन्न खाने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, लेखक हो, व्यापारी हो, कोई ईंटा, पत्थर, लोहा, लकड़ी, कपड़ा नहीं खायेगा, अध्यक्ष जी, सब को अन्न ही खाना है। भगवान को भी अन्न का ही भोग लगता है और अन्न पैदा करने वाले आदमी के साथ इस तरह का क्रूर मजाक? इसलिए श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान आन्दोलन इस देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सदन की शेष कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने की मैं आपसे मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश और देश एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से कृषि प्रधान देश है। मान्यवर, हर चुनाव के पहले जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो वह सबसे ज्यादा वकालत किसानों की करती है और जब सरकार बनती है तो किसानों को लाभकारी मूल्य न मिल सके, उसके लिए अनेक तरह का षड़यन्त्र करने का काम किया जाता है। मान्यवर, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के उत्पादन की एक गारण्टी है और जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, उसी के बाद से उत्तर प्रदेश के किसान ने अपना उत्पादन बढ़ाने का काम किया। आज सरकार अपनी ख्याति का बढ़ाने के लिए यह दिखाती है कि हमने इतना खाद्यान्न बढ़ा दिया। लेकिन मान्यवर, उस खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले लोगों के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उनकी जो जरूरत है, उसका दाम तो बढ़ेगा, लेकिन किसान को उचित दाम नहीं मिल पायेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक गारण्टी थी, जिसे किसान से क्रय करके और साथ ही साथ जो लाचार और बेचारे लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, उनको सस्ते गल्ले की दुकान से उसकी आपूर्ति भी की जाती है। अगर समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी तो आपूर्ति भी नहीं की जा सकती। इस कानून से केवल किसान ही प्रभावित नहीं हो रहा है। इस कानून से सस्ते गल्ले की दुकान से राशन पाने वाले लोग भी आगे चल कर प्रभावित होंगे। मान्यवर, यह कानून बनाया ही इसलिए गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकार खरीदती है, जो उसका दायित्व है, उस दायित्व को न उठाना पड़े और निश्चित रूप से जिसके कारण किसान चिन्तित हुआ, वह आन्दोलन कर रहा है और शान्तिपूर्ण आन्दोलन करना हमारा अधिकार है। मान्यवर, जिस तरह से 3 महीने से शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो रहा है, गाजीपुर बार्डर पर शान्तिपूर्ण ढंग से बुजुर्ग लोग आन्दोलन पर

बैठे थे, बुजुर्ग किसान आन्दोलन पर बैठे थे, महिलाएं आन्दोलन पर बैठी थीं, सत्तापक्ष के इशारे पर उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। मान्यवर, किसान के ऊपर आक्रमण किया जाता है, उनको पुलिस नहीं रोकती कि पुलिस हटाने का काम करे। किसान कह रहा है कि पुलिस हमें चाहे जिस धारा में गिरफ्तार करे। किसी दूसरे को अधिकार नहीं है कि वह हमें हमारे आंदोलन को रोकने का काम करे। जिस तरह पुलिस के संरक्षण में उनके ऊपर अराजक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वहां पर पुलिस मूक होकर देखती रही। इससे ज्यादा किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। किसान के उत्पादन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे डीजल का दाम आज 81 रुपया पहुंच गया, बिजली का दाम 55 रुपये प्रति हार्ष पॉवर, ट्यूबवेल का बिजली से कनेक्शन का दर 255 रुपये में पहुंच गया और दूसरी तरफ चार साल से जो गन्ना किसानों का लाभकारी मूल्य था और उसका जो समर्थन मूल्य था वह जहां के तहां बना हुआ है। जब धान का उत्पादन हुआ तो वह नौ सौ रूपए में बिक रहा था। किसानों के आंदोलन के कारण आज वह चौदह सौ रुपये, तेरह सौ रूपए और बारह सौ रूपए में बिक रहा है। जिस दिन समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा, समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं रहेगी किसान का जो उत्पादन है वह पूरी तरह से बिचौलियों के हाथ में चला जाएगा। उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाएगा।

श्री अध्यक्ष-

यह समर्थन मूल्य केंद्र का विषय है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिन किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है और आंदोलन के कारण जो उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। यह तो केंद्र का विषय नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की जिम्मेदारी थी कि उनका संरक्षण किया जाए। उनके ऊपर मुकदमा लादा जाता है। जहां तक सवाल है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा महेन्द्र सिंह टिकैत का नाम लिया था कि उनके ऊपर केस लगाया गया। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि श्री महेन्द्र सिंह के ऊपर जो आपराधिक धाराएं थी उसको खत्म करने का काम, उसको वापस लेने का काम बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने किया। हमने किसानों के लिए काम किया है। इसमें बैठे हुए अधिकांश लोग किसान हैं। वह स्वयं अपने घर पर देखते हैं कि अगर समर्थन मूल्य एक आवरण न रहे तो उनकी फसल किस दाम पर बिकेगी यह निश्चित रूप से आप सब लोग जानकारी रखते हैं इसलिए यह मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर सदन के सारे नियमों को शिथिल करते हुए उस पर दो घण्टा, चार घण्टा या पांच घण्टा जितना मा0 नेता सदन चाहें उतने समय की इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री नरेश सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, गन्ना पेराई 2020-2021 का जो सेशन है वह अब खत्म होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है और देश के गन्ने के कुल रकबे का 51 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। चीनी उत्पादन का 38 प्रतिशत यू0पी0 में होता है, देश की कुल 520 चीनी मिलें हैं जिसमें 119 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। पिछले चार वर्षों से गन्ना किसान परेशान है जिसके गन्ने की महंगाई के अनुपात में सरकार द्वारा दाम नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-2021 में गन्ने का सामान्य प्रजाति 315 प्रति प्रजाति 325 पर प्रति कुण्टल यथावत् चल रहा है और जब 2018 में डीजल का दाम 64 रूपए था और दो साल बाद 15 फरवरी 2021 में 81 रुपये हो गया। जिसमें लगभग 22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्य, यूरिया के दामों में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। गन्ना किसानों के उपयोग में आने वाली घरेलू विद्युत संयोजन निजी नलकूप और संयोजन के विद्युत बिलो में पिछले तीन वर्षों में पचास प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और गन्ना किसानों के दाम सरकार ने अभी तक जो चार साल पहले थे जो पूर्व सरकार में थे वही अभी तक चले आ रहे हैं। जो सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करती है वही सरकार गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं करती तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी मांग क्या है ?

श्री नरेश सैनी-

मान्यवर, मेरी मांग यह है कि यह सरकार गन्ना किसानों के दाम बढ़ाए और सदन में इस विषय पर चर्चा कराई जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह है कि जिस विषय पर आपने पहले सुना, किसान आंदोलन पर हमको सुना, नेता बहुजन समाज पार्टी को सुना। उस पर आपने बिना कोई निर्णय दिए फिर दूसरा सुना, ठीक है सुना लेकिन आप उस पर तो निर्णय दीजिए कि इस पर आप चर्चा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

(तत्पश्चात् मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं नियम-311 पर कह रहा हूं कि जो हम लोगों ने अपनी बात रखी कि किसान आंदोलन में जो कुछ किसानों पर हुआ, उस पर आप चर्चा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष-

पहले सत्ता पक्ष को सुन लीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अब कुछ सुनेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अब चूँकि किसानों पर चर्चा नहीं है। इसलिए यह सरकार किसान विरोधी है, यह किसानों को बांटना चाहती है और यह हमको नियम-311 में सुनना नहीं चाहती है। इसलिए हम किसान आंदोलन के समर्थन में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष अपने दल के मा0 सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गए)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन लोगों ने जो बात कही है, अब ये उसका जवाब भी तो सुन लें। मुख्य मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं और ये भाग रहे हैं, ये भाग गए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, यह है वास्तविकता, यह है सच्चाई। यह सच्चाई इस बात को बताती है कि प्रतिपक्ष के हमारे इन मित्रों को अन्नदाता किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। इन्हें केवल हर एक कार्य को राजनीतिक चश्मे से देख करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग करना है और यही होता रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से ले करके वर्ष 2014 तक यही हुआ। मुझे आश्चर्य होता है लेकिन मुझे पता नहीं कि प्रतिपक्ष के हमारे मित्रगण, मा0 सदस्यगण सदन में कोई नोटिस देने से पहले उस विषय का अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने गन्ना के मूल्य में वृद्धि की थी और किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश अपनी 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, वह भी तब जबकि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल खण्ड में देश के अधिकतर राज्यों में आधे से अधिक चीनी मिलें बन्द हो चुकी थीं लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहा था। अगर वर्ष 2004 से ले करके वर्ष 2017 के बीच में गन्ना मूल्य के पूरे भुगतान को जोड़ लिया जाए तो पिछले 13-14 वर्षों में जितने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, उतना भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के अन्दर हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में सीधे भेजने का कार्य किया है। चिन्ता अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है लेकिन हां

अन्नदाता किसान को धोखा दे करके दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि यह पैसा सीधे किसानों के खातों में क्यों जा रहा है? आज तो पर्ची भी उनके स्मार्ट फोन पर प्राप्त हो जा रही है तो यह जो दूषित दलाली का जरिया था, वह भी अब समाप्त हुआ है। इसलिए उसमें इनकी चिन्ता ज्यादा दिखती है, इसके पीछे सद्भावना नहीं, दुर्भावना ज्यादा है। इसलिए दुर्भावना वाली बात पर चूँकि इनके अन्दर सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ये लोग भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए और समाजवादी पार्टी, मुझे आश्चर्य होता है जब समाजवादी पार्टी किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स चलाई, उसे बनाया हुआ है। अब तक हमने 67000 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैण्ड इन भू-माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई है। इन लोगों ने सत्ता में रहने के दौरान ज्यादातर जमीनें किसानों की ही जबरन दबाई थीं या सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा किया था। जिन्हें आज कब्जों से मुक्त करा करके कहीं डिफेंस कॉरीडोर में उसका उपयोग किया जा रहा है तो कहीं प्रदेश में नये निवेश को आमंत्रित करने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा है। और कहीं पर किसानों के हितों के लिए निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल भी उन्हीं भूमि पर बनाने का काम हो रहा है जिसमें 6 लाख से अधिक गोवंश के संरक्षण का कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। अन्नदाता किसान के लिए एम0एस0पी0 की जो बात की जा रही है। एम0एस0पी0 वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया है और प्रदेश के अंदर प्रिक्योरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार 2017 में लेकर आयी है, नहीं तो वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच में आप लोग देखेंगे कि 3 लाख, 5 लाख या 6 लाख क्विंटल तक का ही प्रिक्योरमेंट होता था। इस वर्ष धान के क्रय की बात आप कर रहे हैं। कोरोना के बावजूद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस बार एम0एस0पी0 के आधार पर धान के किसानों से किया गया। चीनी मिलें हमारी संचालित हो रही हैं केवल चीनी मिल ही नहीं, खाण्डसारी के लाइसेंस भी फ्री कर दिये गये। अब उनको ऑन लाइन लाइसेंस मिलेंगे। यह सब किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सारी कार्यवाही सरकार ने की। कोरोना कालखण्ड के दौरान गेहूं की फसल तैयार की, गेहूं की फसल के लिए केन्द्र बनाने थे, उस समय भी प्रदेश सरकार ने जगह-जगह क्रय केन्द्र स्थापित किये। हमें अतिरिक्त व्यवस्था देनी पड़ी लेकिन किसी भी किसान को हम लोगों ने निराश नहीं होने दिया। प्रिक्योरमेंट जितना पिछले साढ़े तीन, पौने चार वर्ष के दौरान हुआ है उसके लिए महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, चाहे वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच में और चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो यह सभी अपने सरकार के कार्यकाल को देखें और तुलना करेंगे इन साढ़े तीन वर्षो के कार्यकाल के दौरान तो इनके पांच वर्ष के कार्यकाल पर यह तीन वर्ष का कार्यकाल कई बार हावी होता हुआ दिखायी देता है, भारी पड़ता है (मेजों की थपथपाहट)। जहां तक केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गये तीन कृषि कानून हैं उनके लिए मैं

विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए किसान संगठनों को बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कई दौर की बातचीत हुई और हरेक स्तर पर केन्द्र सरकार ने इस समस्या का संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखायी। हर स्तर पर संवाद बनाये रखा गया लेकिन महोदय जब देश अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा था। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ लाल किले पर हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ, भारत की आन-मान, सम्मान का अपमान हुआ और यही नहीं जब हम संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करते हैं तो भारत के संविधान का भी अपमान करते हैं और भारत के संविधान के अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान करते हैं। कौन वह लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह साजिश नहीं है, जब भारत दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर भारत एक मात्र देश है जिसने दो-दो कोरोना की वैक्सीन बनायी हैं। इन वैक्सीन को लांच किया है और न केवल अपने देशवासियों को दे रहा है बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी पहुंचाने का काम कर रहा है। वह दिन आप भूले नहीं होंगे जब भारत की वैक्सीन ब्राजील में जाती है तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने संजीवनी बूटी से उसकी तुलना की थी। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आए थे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, ऐसे ही यह कोरोना वैक्सीन जो भारत ने विकसित की है वह हमारे देशवासियों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। जब यह देश दुनिया के अंदर अपनी धमक को बना रहा है। जब दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान बन रही है और जब दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश भारत के अंदर आ रहा है और सबसे अच्छे निवेश के गन्तव्य के रूप में भारत एक नयी धमक के साथ दुनिया में जा रहा है। दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तब भारत की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किस रूप में हो रहे हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो या फिर एम0एस0पी0 लागत का डेढ़ गुना दाम स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर यह 2018 में 24 जींस का किसी ने घोषित किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन को, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देने का काम, 6 हजार रुपये सालाना देने का काम किसी ने किया है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किसानों के हित के लिए इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं! यह तीन कृषि कानून भी उसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं, इसमें से एक कानून मण्डी से सम्बन्धित है-ए0पी0एम0सी0 एक्ट। यह मण्डी की बाध्यता को समाप्त करता है। मैं किसान हूं अगर मेरी मर्जी आएगी तो मैं मण्डी समिति में जाऊंगा, और मेरी मर्जी

आती है कि मैं मण्डी में नहीं जाना चाहता तो मैं कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता हूं। अपने खेत में, अपने खलिहान में या फिर मुझे लगता है कि यू0पी0 में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मुझे यू0पी0 के बाहर अच्छा दाम मिलेगा तो मैं ले कर जाऊंगा। मेरी उपज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारण्टी देश के किसानों को यह कानून देता है लेकिन जो बीच के दलाल हैं, उनको बुरा लग रहा है कि यह लाभ किसान को क्यों मिलेगा? यह लाभ किसान को क्यों देने का प्रयास हो रहा है? एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूं कि अभी डेढ़ महीने पहले उद्यान विभाग ने एक कार्यक्रम के लिए मुझसे अनुरोध किया कि एक स्ट्राबेरी फेस्टिवल झांसी में है, उसका उद्घाटन आपको करना है। महोदय, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए मैं वहां पर प्रदेश के अंदर चल रहे इस आंदोलन के कारण फिज़िकली उपस्थित नहीं हो पाया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं वर्चअुली इसका उद्घाटन कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हां, हम चाहते है कि केवल आप उद्घाटन कर लें तो मैंने वर्चअुली उद्घाटन किया। बुन्देलखण्ड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन! एक नया प्रयोग, एक नया अनुभव! आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसकी चर्चा भी की। मैंने उस परिवार को बुलाया। झांसी में सिक्ख परिवार, चावला की एक युवती ने पहले घर की छत के ऊपर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू किया और बाद में डेढ़ एकड़ खेती में उन्होंने स्ट्राबेरी की खेती प्रारंभ की। एक सामान्य किसान जब अपनी डेढ़ एकड़ खेती में धान या गेहूं की फसल पैदा करता है तो साल में उसको मुश्किल से यदि दोनों फसलों को मिलाकर हम देखेंगे तो उसका कुल लाभ वह 30 से 40 हजार रुपये का ही कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता और डेढ़ एकड़ की खेती में इस परिवार ने चार महीने के अंदर 36 लाख का मुनाफा कमाया। महोदय, यही 36 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान की जेब में डलवाना चाहते हैं कि जैसा लाभ स्ट्रॉबेरी खेती के माध्यम से एक किसान झांसी के अंदर लाभांश पैदा कर सकता है और यह स्ट्राबेरी कहां जा रहा है? कुछ यू0पी0 के मार्केट में और कुछ दिल्ली के मार्केट में। इस पर कोई टैक्स नहीं है। इस कानून ने उस किसान को एक सुरक्षा दी है, एक संरक्षण दिया है और यही बुरा लग रहा है, हमारे विपक्ष के मित्रों को जो वॉक आउट करके भाग कर चले गये हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून क्या है, यह उनको स्वयं भी मालूम नहीं है लेकिन विरोध में बोलना है, इसलिए विरोध में बोलेंगे। गन्ना किसानों को 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। खाण्डसारी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गन्ना किसानों की पर्ची में और घटतोली में पूरी तरह पाबंदी लग गयी है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज किसान चीनी उत्पादन भी कर सकता है, इथेनॉल उत्पादन भी होगा, खाण्डसारी उत्पादन भी होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हो रहा है और किसान को उसका दाम मिल रहा है। यह इनको बुरा लग रहा है कि कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पहले तो पर्ची में दलाली होती थी, इसके बाद खाण्डसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे, फिर चीनी मिलों में अपना खेल अलग-से प्रारंभ होता था। आज जब यह सारी चीजें समाप्त हो गयी

हैं तो विपक्ष के कुछ मित्रों को स्वाभाविक रूप से जो इस खेल में पहले से रमे हुए खिलाड़ी हैं तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? उनकी जो खीझ है, उस खीझ को वह कहीं न कहीं तो उतारने का प्रयास करेंगे ही। दूसरा, महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि एम0एस0पी0 जारी रहेगी, एम0एस0पी0 पर हम आज भी धान का क्रय कर रहे हैं। 28 फरवरी तक धान का क्रय हर उस केन्द्र पर जो धान क्रय के लिए खोले गये हैं, उन सब पर धान क्रय लगातार चल रहा है कहीं कोई समस्या नहीं, वृहद पैमाने पर धान का क्रय प्रदेश के अन्दर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं कि जितना हम एक साल में क्रय कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5-5 सालों का रिकार्ड आप देख लीजिये जितना इन्होंने 5 सालों में नहीं खरीदा हमनें एक साल में उतना धान किसानों से सीधे खरीदा है और सीधे उनके खाते में एम0एस0पी0 भेजा है। एम0एस0पी0 का लाभ किसान को देने की गारण्टी भी प्रधानमंत्री जी बार-बार दे रहे हैं, एम0एस0पी0 जारी रहेगी। अगर एम0एस0पी0 से ज्यादा दाम किसान को मार्केट के बाहर मिलता है तो किसान को यह स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि किसान अपनी उपज को सीधे बेचे और उसका मुनाफा कमाये, तीसरा कांटेक्ट फार्मिंग की जो बात है, यह कांटेक्ट फार्मिंग म्युचुअल अण्डर स्टैण्डिंग से होती है और उसमें किसान के पक्ष में म्युचुअल अण्डर स्टैण्डिंग होना है किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं। इसके लिए तो अब एफ0पी0ओ0 बनाने की दिशा में भी प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। देश के अन्दर 10,000 नये एफ0पी0ओ0 गठन के लिए भारत सरकार सहयोग कर रही है। प्रदेश के अन्दर हमनें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना प्रारम्भ किया है। हर विकास खण्ड में एक किसान उत्पादक संगठन बना करके किसान को अधिक-से-अधिक मुनाफा देने की कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है। एफ0पी0ओ0 का मतलब या कांटेक्ट फार्मिंग का मतलब ही यही है, आप देखेंगे कि पश्चिम में बड़ी जोत के किसान हैं लेकिन अगर आप पूरब में जायेंगे तो पूरब में छोटी जोत के किसान हैं। सभी लोग छोटी-छोटी खेती का काम करते हैं। अगर इसी में कुछ किसान खेती के साथ जुड़े, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जायें, कुछ इथनॉल के साथ जुड़ जायें, कुछ लोग बॉयोफ्यूल के साथ जुड़ जायें, उसी एक खेती को व्यवस्थित रूप से संचालित करके आगे बढ़ा दिया जाय, मैकेनाइज खेती उसमें प्रारम्भ कर दी जाय, मुनाफा तो हर एक किसान का जितना रुपया होगा उसके अनुसार जहां वह रु0 10,000 कमा रहा है अपने खेत के छोटे से टुकड़े में साल में अगर उसी में उसको रु0 1,00,000 या रु0 5,00,000 सालाना मिल जाय तो यह किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास है और किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की प्रक्रिया के हिस्से हैं जिससे उसके चेहरे पर खुशहाली आये। अन्नदाता के हित के लिए बनाये गये कानून का देश के सभी प्रगतिशील किसानों ने सम्मान किया है, स्वागत किया है। लेकिन उसकी आड़ में कुछ निहित तत्वों के द्वारा देश में अराजकता पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तर्कपूर्ण तरीके से

अपनी बात को रखनी चाहिए, गुमराह करके नहीं, अराजकता पैदा करके नहीं, तोड़-फोड़ करके नहीं, भारत के संविधानिक प्रतीकों का अपमान करके नहीं और कॉमन मेन के आवागमन को, सामान्य जन के आवागमन को बाधित करके यह सब कार्य नहीं हो सकते हैं। हम इस समस्या का समाधान, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है समाधान संवाद से होगा, लोकतंत्र संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। यह लोकतंत्र की ताकत है संवाद इसमें सहमति, असहमति होगी, लेकिन सहमति-असहमति के बीच में समन्वयय स्थापित करना यही तो लोकतंत्र का काम है और बार-बार इस चीज के लिए केन्द्र सरकार कह रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि ये तो विकल्प है इस विकल्प पर आप विचार करिये। हर प्रकार के आश्वासन दिये गये हैं और उस आश्वासन के साथ मैं तो फिर भी अपील करूंगा सभी उन संगठनों से यानी जो लोग अराजकता फैलाने पर उतारू हैं, वह पक्ष अलग है, वह तो हर परिस्थिति में करेगा। वह तो तब भी करते थे, तब अयोध्या के लिए भी कहते थे कि परिन्दा पर नहीं मार सकता। अब तो अयोध्या में भव्य राम का मन्दिर बन ही रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा जय श्री राम का उद्घोष किया गया।)

काम तो हो ही रहा है अयोध्या में। कौन सच था यह सबके सामने हैं, हम लोग जो बात उस समय कहते थे, 1990 में कहते थे, 1992 में कहते थे, आज भी हम अपनी बात पर अडिग हैं। हम उससे तनिक भी इधर-उधर नहीं हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि किसानों के हित के लिए हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। अगर यह लोग प्रतिबद्ध होते तो बाणसागर परियोजना का समयबद्ध ढंग से काम पूरा क्यों नहीं कर पाये थे। जनता पार्टी की सरकार में स्वर्गीय मोरार जी देसाई जी ने उस योजना का शिलान्यास किया था और पूरा तो हमने किया 2018 में। यह लोग कभी पूरा क्यों नहीं किये। किसान के लिये उसको तकनीक चाहिये, उसको मार्केट चाहिये, उसको खेत के लिये पानी चाहिये, मनरेगा के माध्यम से कन्वर्जन के माध्यम से उसको शासन का संबल चाहिये, हर स्तर पर उसको समर्थन मूल्य की गारन्टी मिलनी चाहिये। हमारे क्रय केन्द्र इसकी गारन्टी उसको उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर जिन लोगों ने किसानों के हकों पर डकैती डालने का काम किया, जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय किसानों पर जुल्म ढाये। उस समय गन्ना किसान कितना हतप्रभ हो चुका था 2017 में जब हम आये थे तो 2010-2011 से किसान का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था किसकी सरकार थी 2010-11 में ? 2012-17 के बीच में किसकी सरकार थी और उसके बाद हमारी सरकार आई और गन्ना मूल्य का भुगतान करना प्रारम्भ किया है और हम यह भी जानते हैं कि अर्न्तराष्ट्रीय मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के दौरान जब महाराष्ट्र की आधे से अधिक चीनी मिलें बंद हो गयीं, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गयीं, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना विभाग एक-एक चीनी मिल के साथ खड़ा होकर चीनी मिलों को चला रहा था और इस बात की गारन्टी दे रहा था। 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारम्भ हुआ लेकिन चीनी मिलें जून तक यहां चली हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने उस प्रकार के उपाय किये कि चीनी मिलें भी

चलें और किसान को गन्ना पहुॅचाने में दिक्कत न हो। पहली अप्रैल से हमने गेहूं के लिये प्रोक्योरमेंट की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी जब लॉकडाउन था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां पर गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित हो गये थे और किसानों को वहां तक पहुॅचाने वहॉ तक लाने की आवश्यकता पड़ती थी तो खेत में जाकर ही हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं जाकर किसानों से क्रय करते थे ताकि आपको कोई परेशानी न हो। कोरोना संक्रमण को भी रोकना था और मैं यह कह सकता हूॅ कि हमारी टीम ने फिर चाहे वह हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हों, या हमारी प्रशासनिक टीम हो, पुलिस की टीम हो, हमारे स्वास्थ्यकर्मी हों, स्वच्छताकर्मी हों या कोरोना वारियर्स हों इन सबने मिलकर जो कार्य किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबन्धन में सबसे अच्छा परिणाम दिया है और किसानों के हितों के लिये कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिये हर प्रकार से प्रतिबद्व होकर कार्य करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्व है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों के लिये, नौजवानों के लिये, महिलाओं के लिये, मजदूरों के लिये, व्यापारियों के लिये, समाज के प्रत्येक तबके के लिये पूरी प्रतिबद्वता के साथ कार्य करने के लिये हम लोग पूरी तरह ईमानदारीपूर्वक लगे हुये हैं और मुझे लगता है और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी, कि माननीय सदस्यों को बतायें कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिये उस बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिये कि जो खेल की शुरूआत करके अधूरे में छोड़कर भाग खड़े होते हैं और यह समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है यह लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों की कितनी क्षति की है, किसी ने चीनी मिलें बेच दीं, किसी ने कभी किसानों के लिये प्रोक्योरमेंट सेंटर चलाये ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिये इनके पास कोई योजना ही नहीं थी जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिये, तिलहन के लिये, मकई के लिये, आलू के लिये समर्थन मूल्य घोषित किया और आज हर किसान खुशहाल है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब सीधे किसानों के खाते में जा रहा है उनको जरूर परेशानी है सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं है और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेगे और मैं फिर इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं कि सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्व होकर समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी और संवाद से अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो उस समस्या का समाधान करने के लिये हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोक-टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हॉ, कानून को हाथ में ले करके आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को

नहीं दे सकते हैं। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाईं गईं) प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे आपसे यही विनमः प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे, धन्यवाद।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाईं गईं)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ कि इस पर चर्चा की जरूरत है। मान्यवर, आपने बहुत सी बातें कहीं, जैसे आपने कहा कि एम0एस0पी0 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 से लागू किया, जबकि 1967 से न्यूनतम समर्थन मूल्य चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, अब वह चले गये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1967 से चल रहा है और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने लागू किया। तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि आपके अभिभाषण के बाद इसमें बहुत से बिन्दु अपने आप आ गये। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर 5 घंटे, मैं अतिरिक्त नहीं जाना चाहता, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, अगर आप इजाजत दे दें, मान्यवर, इसकी आवश्यकता और अधिक है। यह कहां इजाजत मिल जाती है कि अगर किसान कहीं शान्ति पूर्वक धरने पर बैठा है, पुलिस उसको रोकने की कार्यवाही करे, लेकिन अराजक तत्व उसे रोकने की कोशिश करें, यह कहां से इजाजत मिल जाती है?

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर चर्चा कराने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह ठीक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब देने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, आपने जब कह दिया कि चर्चा नहीं होगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह कहां कहा कि चर्चा नहीं होगी?

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी कह रहा हूं कि चर्चा नहीं होगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने अभी फैसला नहीं दिया है। आपके फैसला देने के बाद बैठ जाऊँगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने अभी कहा, आप कार्यवाही देख लीजिए, यह रिपीटेडली कहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका नियम-56 का नोटिस था औरआपकी नोटिस पर हमने सुना। इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा नियम-311 में था।

श्री अध्यक्ष-

हमने नियम-311 पहले ही खारिज कर दिया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जिसको जितना कहना होगा, कहेंगे।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय एवं श्री राकेश प्रताप सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अभी नियम-56 की और सूचनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग तो सब चले गये थे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा न करिये कि हम लोगों का हक छीन लीजिए। नियम-56 तो अब आयेगा, मान्यवर, नियमों से चलते हुए नियम-56 लीजिए। अभी तो दूसरे कार्य हैं, उसके बाद नियम-56 ले लीजिए। मान्यवर, याचिका प्रस्तुत करा दीजिए, तब सीरियल से नियम-56 ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें। मान्यवर, मैं एक निवेदन कर लूँ, उसके बाद आप जो निर्णय लेना चाहें, लें। मेरा आग्रह यह है मान्यवर, आपने इस विषय को नियम-311 की ग्राह्यता पर सुनने के लिए इजाजत दी और अभी जो छपी हुई हमारी आज की कार्य-सूची है, उसके अनुसार नियम-56 की भी सूचनायें हैं। नियम-56 की तीन सूचनायें आप लेते हैं, जिसकी ग्राह्यता पर सुनते है और दो सूचनाओं को कार्य के लिए भेज देते हैं। तो अभी वह

सूचनायें आयेंगी। इसलिए मान्यवर, आप एजेण्डे के हिसाब से चलिए और जैसे ही नियम-56 आये, उस को ले लें। उन्नाव की बहुत भयंकर की घटना है, कानून-व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, उसको उसमें दिया है। तो निश्चित रूप से यह सारी सूचनायें इसके बाद आयेंगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज की जो कार्य-सूची है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ें। क्योंकि बहुत दिन सदन है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत दिन है। (हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप जानते हैं, कुल 13 दिन का सदन है और 13 दिन चलेगा कि नहीं, इसमें भी शंका है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी संसदीय कार्य मंत्री जी से चलाने की बात हुई थी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक कार्य-स्थगन नहीं लिया जायेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, इसलिए यदि आज आपकी कृपा होगी तो अच्छा होगा, मैं चाहूंगा कि उसको लेने की कृपा करें। पहले आप याचिका ले लीजिये उसके बाद इसको ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसके बाद नियम-56 में आ जायेंगे।

[02:20] भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-4 में कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।

[02:20] श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 11 याचिकायें†

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से-

1. जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नगरा में 132ध्33 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2. जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा नगरा-रसड़ा मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीप्रकाश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा के अन्तर्गत ग्रामसभा-भीमपुरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4. जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत सरयू नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त स्थलों पर बोल्डर युक्त ठोकर बनाने के सम्बन्ध में श्री बलवंत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

5. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा के ग्राम सभा खण्दवा स्थित महात्मा गांधी राजकीय इण्टर कालेज के 75 एकड़ जमीन को अधिकृत कर सैनिक स्कूल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

6. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा खन्दवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के हस्तान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री मीरा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

7. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा मालीपुर छितौना में स्थित सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले के जीर्णोद्धार हेतु धन आवंटित कर निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

8. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा तेलमा शाहपुर, विकास खण्ड सीयर और मलप हरसेनपुर, विकास खण्ड नगरा के अन्तर्गत स्थित शिव मन्दिर एवं पोखरे के सौन्दर्यीकरण तथा जीर्णोद्वार करने के सम्बन्ध में डा0 दयानन्द वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

9. जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत के कोयली मोहान ताल को जल संरक्षण स्रोत के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

10. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के मधुबन ढाला एवं कुण्डैल ढाला पर वाराणसी-गोरखपुर मुख्य रेल मार्ग के मध्य अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका, एवं

11. जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के ग्रामसभा चन्द्राडीह में 50 एकड़ ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर औद्योगिक निवेश क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में श्री सुशील मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित करता हूँ।

(इसी मध्य अपराह 02 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।)

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकायें†

श्री बम्बा लाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम बिरसिंहपुर, ब्लाक नवाबगंज में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत माँ सन्तोषी गैस एजेन्सी चितौली से माँखी बिरसिंहपुर सम्पर्क मार्ग (02 किमी0 लगभग) का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत धौकलखेड़ा से ओगरापुर सम्पर्क मार्ग (900 मी0 लाइन में लगभग) का जिला पंचायत द्वारा इण्टरलॉकिंग/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के (वि0ख0) मियाँगंज के बरहाकला में श्री जयबीर नन्दन की दुकान से रामपुर गहरी पक्की सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत चम्पतपुर से शंकर खेड़ा होते हुए गढ़ी बाजार तक लगभग 03 कि0मी0 सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका एवं

---

† छापी नहीं गयी।

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्रामसभा बीरमपुर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 22 याचिकायें†

(व्यपगत)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री महेश त्रिवेदी अपनी याचिका उपस्थित करें।

(श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा के अनुपस्थित होने पर)

1. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में दक्षिणी क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2. जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में नालों की सफाई व उन्हें सीमेन्ट की चादरों से ढकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3. जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में पीने के पानी हेतु बनाई गयी टंकियों को चालू कराये जाने विषयक श्री रवि पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4. जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में जलभराव की समस्या हेतु जोन-2 में सी0ओ0डी0 नाला अन्तर्गत बाईपास से हमीरपुर रोड तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजू शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

5. जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में सभी 18 बोर्डों के चेम्बरों की डिसिल्टिंग कराये जाने विषयक श्री वेद व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

6. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर वार्ड-48 में जल निगम द्वारा सी0टी0आई0 चौराहे से नंदलाल चौराहा होते हुए पापुलर धर्मकांटा चौराहा तक लगभग 04.00 कि0मी0 गहरी सीवर लाइन को विद्यार्थी मार्केट की लाइन में जोडे जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश बाबू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

7. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में जाटन पुरवा में चन्दन चाय वाले के म0नं0-133/608 सुभाष मूर्ति चौराहे तक नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

8. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में रत्तूपुरवा में सागर वाली गली से विष्णु पेट्रोल पम्प तक नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम किशोर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

9. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में वार्ड-7 के अन्तर्गत राम आसरे (मलिन बस्ती) में सीवर लाइन लगभग 500 मी0 (300मिमी0) सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री सेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

10. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में मकान नं0-127/418, यू-ब्लाक, निराला नगर (विनीत दूबे के मकान) में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

11. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में केनाल पटरी में म0नं-133/208 से श्री राजकुमार जायसवाल के घर तक नई सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

12. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में मकान नं0-127/347 से 127/374, यू-ब्लाक, निराला नगर में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री हरमोहन व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

13. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में ढकनापुरवा की गलियों में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त सीवर लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

14. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में नौरैया खेड़ा से चतुर्वेदी बिल्डिंग तक पड़ने वाली नहर के दोनों तरफ पक्का निर्माण न सुन्दरीकरण, प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

15. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में वार्ड-93 में जल निगम द्वारा चावला मार्केट चौराहे से पापुलर धर्मकांटा चौराहे तक की सीवर लाइन में ब्लाक सी, डी व ई ब्लाक की लाइनों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री विपुल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

16. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में नई सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल जी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

17. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में जल निगम द्वारा वार्ड नं0-36,77,85, 87, 88, 92,100 में बन्द पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

18. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में मकान नं0-127ध्392 से 1271427, यू-ब्लाक, निराला नगर, कानपुर नगर में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

19. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में मा0 मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्तियों की इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य की परियोजनाओं की द्वितीय किस्त की धनराशि निर्गत करने के सम्बन्ध में श्री अंकित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

20. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में वार्ड-51 के अन्तर्गत बर्रा-2 नई बस्ती में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री कपिल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

21. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में वार्ड-7 के अन्तर्गत शिवनगर (मलिन बस्ती), धर्मेन्द्र नगर (मलिन बस्ती), संजय नगर (मलिन बस्ती) में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका एवं

22. जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर में वार्ड-16 के अन्तर्गत जल निगम द्वारा कैंब्रिज स्कूल से हमीरपुर रोड़ तक मेन गहरी सीवर लाइन में गलियों की लाइन जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर बाबू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री मो0 फईम इरफान अपनी याचिका उपस्थित करें।

(श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा के अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। अब मैं अगली मद ले रहा हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 25, जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 02 तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत बकुलारी ड्रेन की खुदाई व पुलियों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री इख्तियार अहमद, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद रायबरेली के ऊंचाहार, इटौरा में 132/33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाठक, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में बाबूगंज से पटेरवा जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री विनय कुमार शुक्ला, जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के अन्तर्गत शहर सिविल लाइन से पी0ए0सी0 कालोनी की ओर जाने वाली सड़क बनाये जाने एवं अमृत योजना की कार्यदायी संस्था के घटिया कार्यों की जांच कराये जाने विषयक श्री महादेव शुक्ला, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के दीनशाह गौरा के ग्राम गौरा हरदों की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अशोक मिश्र, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में नारायणपुर बन्ना से धीरनपुर नाला में नये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सन्तराम यादव निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

7-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड जगतपुर में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुन्ना मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के डलमऊ में गंग नहर दीनगंज व ऊधनपुर के पुल की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री शिवराम यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवराम यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

10-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां में रसूलपुर से उमरन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकत अली निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

11-जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में बन रहे ओवर ब्रिज में अत्यधिक विलम्ब किए जाने विषयक श्री शुभम पाल, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

12-रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के विरुद्ध शहर में बहुउद्देशीय व्यवसायिकध्आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

13-रायबरेली के अन्तर्गत मोहल्ला निरालानगर में एस0जे0एस0 पब्लिक स्कूल के बगल से जाने वाले मार्ग से घरों में जलभराव की समस्या होने विषयक श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

14-जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत इटौरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

15-जनपद रायबरेली में अकोढ़िया से निगोहां जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री पप्पू पाठक, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

16-जनपद रायबरेली के वि0ख0 डलमऊ, वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के ऊंचाहार-कानपुर मार्ग से कोल्ड स्टोरेज के बगल से पखरौली होकर बांसी परान व इलाहाबाद रोड से चांदपुर लूक जाने वाले मार्ग के मरम्मत/नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

17-जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम उण्ड़वा के तिवारीपुर के नाले पर बनी पुलिया के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

18-जनपद रायबरेली वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के मवई, धनेही से सरेनी सम्पर्क मार्ग एवं मायाराम के पुरवा से मतरमपुर तक का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में डा0 हर्षवर्धन द्विवेदी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

19-जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम द्वारा मंगल पाण्डेय पार्क व मूर्ति कीस्थापना कराये जाने के संबंध में श्री बृजेश उपाध्याय, निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

20-जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम उमरन से कमालपुर को जाने वाले मार्ग पर स्थित नाले की पुलिया के मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री छोटेलाल पाण्डेय व अन्य निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

21-जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम आम्बारा मथई सम्पर्क मार्ग पर बने डलमऊ पम्प कैनाल गंग नहर पर व बेहीखोर टीकर आगाचीपुर पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत के संबंध में श्री सुरेन्द्र यादव, निवासी जनपद रायबरेलीकी याचिका,

22-जनपद लखनऊ में श्री रजत बाजपेयी की हत्या के मामले को पुलिस द्वारा दबाये जाने के संबंध में श्रीमती अलका बाजपेयी निवासिनी जनपद रायबरेली की याचिका,

23-जनपद रायबरेली वि0ख0 शिवगढ़ में जूनियर हाई स्कूल ओसाह के नाम दर्ज भूमि गाटा सं0 22 रकबा 0.202 हे0 भाग पर भू-माफिया द्वारा किये गये अवैध निर्माण कब्जा को खाली न कराये जाने हेतु, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

24-जनपद रायबरेली के वि0ख0 शिवगढ़ में ग्राम तिलेन्द्रा से हलोर मार्ग ओसाह कस्बे के अन्दर नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

25-जनपद रायबरेली के वि0स0 ऊंचाहार में उमरी सम्पर्क मार्ग व दौलतपुर से सिंद्यापुर भटौली मार्ग के मरम्मत/नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

26-जनपद फिरोजाबाद के सर्वोदय नगर में भगवान परशुराम जी की क्षतिग्रस्त मूर्ति को पुनः निर्माण कर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश उपाध्याय निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

27-जनपद रायबरेली के वि0स0 ऊंचाहार के ग्राम उमरन गौसपुर मार्ग पर उमरन माइनर पर छोटी नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल यादव निवासी जनपद रायबरेली की याचिका एवं

28-जनपद लखनऊ के पुलिस इंस्पेक्टर श्री शिवमुर्ती मिश्रा द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं भू-माफियाओं के साथ मिलकर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज त्रिवेदी, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री मूलचन्द्र निरंजन, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 14 याचिकायें†

श्री मूलचन्द्र निरंजन-

मान्यवर, आपकी अनुमति से-

1-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच कैलिया रोड से पहाड़गाँव रोड तक बाईपास निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत कुठौंद से वाया उमरी रामपुरा तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार सिंह गौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत नदीगाँव में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम महोई के पास पहूज नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत हीरापुरा व नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पाल सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत जालौन से कोंच मार्ग का अवशेष भाग (6 कि0मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत ग्राम कैलिया में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच में मुन्सिफ कोर्ट भवन का पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमशंकर अग्रवाल 'एड0' व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत सहाव मोड से गोहन तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

10-जनपद जालौन के माधौगढ़ में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज किशोर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

11-जनपद जालौन के ब्लाक केन्द्र कुठोंद से गोहन मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री योगेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

12-जनपद जालौन के माधौगढ़ के अन्तर्गत मीगनी (माधौगढ़) में 132 के0वी0 विद्युत केन्द्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

13-जनपद जालौन के कोंच में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशरीमल तरसौलिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका एवं

14-जनपद जालौन के माधौगढ़ के अन्तर्गत माधौगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट भवन के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र व्यास व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री त्रिवेणी राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 25 याचिकाएं व जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री त्रिवेणी राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

1-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा माखनपुर में नन्दा मौर्या की जमीन से मोहन सिंह का घर होते हुए बेचू गोंड के मकान तक 600 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा अलीपुर मनरा में मंझरिया पंचायत भवन से रामदरश यादव के घर होते हुए विजय यादव के घर तक 400 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम दरश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका, प्रस्तुत करता हूं,

3-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा चलनी में त्रिमुहानी सिकरम यादव के घर से फूलचन्द्र के घर तक 400मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका, प्रस्तुत करता हूँ,

4. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा सदरजहांपुर में हरि मौर्या के घर से नहर शाखा तक 700 मी0 पक्की नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरविन्द मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

5. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा परसपुर में कोमल धोबी के घर से फेक्कन के घर होते हुए उग्रसेन सिंह के घर तक 300 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बंटी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

6. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा माखनपुर के जगदीशपुर गुरूदत्ता ग्राम में कल्पू मौर्या के घर से गोपाल गोंड के घर होते हुए रामनाथ सरोज के घर तक 500मी0 पक्की नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामअवध प्रजापति व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

7. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा इब्राहिमपुर में रामचन्द्र गिरि के खेत से गोपाल यादव के घर तक 1 कि0मी0 डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री गोपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं

8. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा मर्दानपुर में तेजबहादुर के घर से त्रिभुवन यादव के घर तक 400 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विवेक यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं ,

9. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा ऐमा में रामदास राम के घर से भट्ठा पोखरी तक 400मी0 पक्की नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री संतोष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

10. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां की ग्राम सभा जखनियां में वीरेन्द्र चौबे के घर से रामकरन भारद्वाज के घर तक 500 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विक्की सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

11. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत पहेतिया, पोस्ट पहेतिया तिलकारीपुर-पहेतियां सम्पर्क मार्ग रामनाथ यादव के चक से राजकुमार यादव के घर

होते हुए रामअवध के मशीन तक सी0सी0 रोडधपिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

12. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत यूसुफपुर, पोस्ट यूसुफपुर, पिच रोड उमेश सिंह के चक से मेदार राजभर व शिवचरन के मशीन होते हुए अड़िला शरहद तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

13. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत नियांव मौजा बीबीपुर वाजिदपुर, पोस्ट हंसराजपुर भडसर मार्ग पर पी0डब्ल्यू0डी0 रोड बेचन राम के घर के सामने से काली माता मन्दिर होते हुए लल्लन राजभर के घर तक सी0सी0 रोड पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकी राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

14. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत दिलावल पट्टी, पोस्ट बद्धोपुर, बद्धोपुर सिहावारी सम्पर्क मार्ग पी0डब्ल्यू0डी0 रोड श्यामबचन के घर के सामने से श्रीराम राजभर के घर होते हुए जितेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नगीना राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

15. जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम बरचौली में दाउदपुर-रामगंज सम्पर्क मार्ग पर महेन्द्र यादव फौजी के घर से रामगंज राजबहा नहर की पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सालिकराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

16. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के ग्राम पंचायत धर्मागतपुर गैस एजेंसी से पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से रामसुख राजभर के घर होते हुए जागीर राजीर के दुकान तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

17-जनपद गाजीपुर के वि0ख0मनिहारी के ग्राम पंचायत बभनौटी, पोस्ट हंसराजपुर, जगीपुर, बहरियाबाद सम्पर्क मार्ग हंसराजपुर बाजार शीतल मोबाईल सेन्टर के दुकान से राजकुमार वर्मा के घर होते हुए साचू राजभर के घर तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरदेव राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

18-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 मनिहारी के ग्राम पंचायत खुटहन, पोस्ट पथरा परसोतिया छपरा (रसूलपुर) सम्पर्क मार्ग प्रभावती देवी के चक से कैलाश राजभर के घर होते

हुए राजेन्द्र पाण्डेय के चक तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

19-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत करमचन्दपुर में पी0डब्लू0डी0 रोड से त्रिवेणी राम (विधायक) के घर होते हुए मुसाफिर पासवान के घर तक सी0सी0 रोड/पिंचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

20-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 जखनियां के ग्राम पंचायत मरदानपुर रामपुर बलभद्र में देवकली पम्प नहर के पिच रोड से रामबचन यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

21-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 व ग्राम पंचायत मनिहारी मौजा सेमरा में जंगीपुर-बहरियाबाद सम्पर्क मार्ग हनुमान मन्दिर (सेमरा) से महातिम राजभर के घर होते हुए रामकृत राजभर के घर तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

22-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 जखनियां के ग्राम पंचायत भडवा रतनपुरा, पोस्ट नायकडीह, मरदह जलालाबाद सम्पर्क मार्ग ग्राम सभा बहरामपुर दुर्गा मन्दिर के सामने से भडवा रतनपुरा होते हुए जिला मऊ बार्डर तक सी0सी0 रोड/पिचिंग कानिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकज राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

23-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 मनिहारी के ग्राम पंचायत शाहपुर शमशेर खाँ, पोस्ट हंसराजपुर, मनिहारी ब्लाक से पश्चिम खड़बा डीह पिच रोड दशरथ यादव के चक से पारस राजभर के घर होते हुए परशुराम राजभर के घर तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारस राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

24-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 जखनियां के ग्राम पंचायत-मरदानपुर रामपुर बलभद्र में महार पिच रोड से इनरू यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

25-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 मनिहारी के ग्राम पंचायत बल्लीपुर, पोस्ट बल्लीपुर मनिहारी जखनियां सम्पर्क मार्ग ग्राम बल्लीपुर में मग्गू राजभर के घर के पास से इन्दल राजभर के घर होते हुए राधे राजभर के दरवाजे तक सी0सी0 रोड/पिचिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ, एवं

26-जनपद गाजीपुर के वि0ख0 जखनियां के ग्राम कृतसिंहपुर में नीब्बू यादव के चक से गनेश यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य बली यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 35 याचिकायें†

श्री विजय कुमार राजभर-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भीरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सड़क से बुधनारी होते हुए भीरा तक नाली व आर0सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम पंचायत माऊर बोझ में स्थित श्री राम जानकी मन्दिर प्रांगण इण्टरलॉकिंग निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुधनारी में बाल गोविन्द के घर से छोटी सरयू नदी तक नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामवृक्ष व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज में ग्राम पंचायत अलीनगर में मिशन मार्ग का उच्चीकरण कराकर डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री सुमन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड बडरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा भीरा में बोझी मोड़ पर संजय गुप्ता के घर से इशाफील अंसारी के घर तक नाली पटिया निर्माण विषयक श्री संजय व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत ग्रामसभा उमरपुर में पोखरी से शारदा सहायक नहर तक नाला निर्माण के सम्बन्ध में सुश्री शैल कुमारी राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा मसीना में नाली और रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्रामसभा-मुहम्मदपुर में प्राचीन शिव मन्दिर के सुन्दरीकरण, बाउंड्री एवं

† छापी नहीं गयी।

इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा इंदारा में हनुमान मन्दिर से करिमाबाद होकर बबुआपुर की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा इंदारा में श्री रामलीला मेला स्थल की बाउंड्री कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील एवं विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा-सेमरी जमालपुर में मलेरी कोट सड़क से लखनी सड़क के पश्चिम चक मार्ग पर लगभग 1000 मीटर खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मैं श्री भोला राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील एवं विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा मूंगामास में प्राचीन शिव मन्दिर के सुन्दरीकरण, बाउंड्री एवं इण्टरलॉकिंग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा कुर्थीजाफरपुर में टैक्सी स्टैण्ड से आबादी होकर तमसा नदी पुलिया तक नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री दयानन्द आर्य व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील एवं विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा खानपुर खुर्द में प्राचीन शिव मन्दिर के सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील एवं विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा आदमपुर में प्राचीन ठाकुर जी के मन्दिर का सुन्दरीकरण, बाउंड्री एवं पोखरे के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा डंगौली में राजविजय यादव के चक से मदन राजभर के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री मदन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा कोटवा कोपड़ा में दुर्गविजय सिंह के घर से मुसहर बस्ती तक डामरीकरण निर्माण के सम्बन्ध में श्री बब्लू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा अरूसाभार (मूंगमास) में प्राथमिक पाठशाला नेहरू नगर अरूसाभार (मूंगमास) का मुख्य मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमलाकर चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

19-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा कुर्थीजाफरपुर में शिव मंदिर बन्धा के पास से मुख्य सड़क पुल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीनानाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

20-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा निजामुद्दीनपुर में श्री रामलीला स्थल के सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री विरेन्द साहनी व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

21-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा मसीना में बारी घाट से तीघरा घाट पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामनयन व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।,

22-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित मझवारा मोड़ (तिराहे) पर स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सौन्दर्यीकरण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री अतुल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

23-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय शादी में सराय शादी चौराहे पर देश के लिये शहीद बन्धु चौहान की प्रतिमा स्थापित करवाने के सम्बन्ध में श्री गौरव चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

24-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा चमरई में छोटी सरयू व तालनरजा के पास चमरई घाट पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरिन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

25-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्रामसभा नोकहट में श्मशान घाट को जाने हेतु नोकहट घाट पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

26-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के तहसील-शैदपुर के विकास नं0 कच्चे रास्ते पर नाली खण्ड मनिहारी के अन्तर्गत ग्रामसभा बरवांखुर्द में (140) पटिया, इण्टर लांकिग निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री संजय राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

27-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्रामसभा मसीना में बारी घाट से तीघरा घाट पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामनवन व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

28-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील-घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित मझवारा मोड़ (तिराहे) पर स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सौन्दर्यीकरण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री अतुल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

29-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर में मंजीत राजभर के घर से सरकारी नाली तक नाली व सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री मंजीत राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

30-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर में संगम राजभर के घर से नई बस्ती बुटन राजभर के घर तक नाली व सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरिन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

31-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर में लल्लन गिरी के घर से नई जर्नादन खरवार के घर तक नाली व सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री संगम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

32-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटवा कोपड़ा में सरवा मोड़ से प्रा0पा0 कोटवा कोपड़ा तक टूटी सड़क का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री धुरन्दर प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

33-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर में मंजी राजभर के घर से हरिन्द्र राजभर के घर होते हुए डीह स्थान तक सी0सी0 रोड के सम्बन्ध में श्री लल्लन गिरी व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

34-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटवा कोपड़ा में प्रा0पा0 मुस्तफाबाद के पास स्थित नाले पर पुलिया के सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री रामकृत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका एवं

35-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ तहसील-सदर के विकास खण्ड के कोपागंज अन्तर्गत ग्रामसभा कोटवा कोपड़ा में दुर्गा चबूतरे से शिव मंदिर तक के रास्ते पर सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामअवध प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री प्रकाश चन्द द्विवेदी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अजीतपारा, बिलगांव, हिबांव, सौता स्योठा, नाई, इटरा खुर्द, महुआ, जमरेही खुरहण्ड, सहेवा व घुरौडा में राजकीय नलकूप स्थापित कराने के सम्बन्ध मैं श्री महेन्द्र सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित करता हूं एवं

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बांदा के विकास खण्ड बिसण्डा के अमवां, पवई, घूरी, इटरामिलौनी, उमरेहण्डा, सिकलोढ़ी में राजकीय नलकूप स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री विष्णु सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 18 याचिकाएं†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील-बदलापुर के अन्तर्गत घनश्याम गोपालपुर में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के ब्लाक महराजगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय दुबे व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

---

† छापी नहीं गयी।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के बदलापुर में बख्सा से रसिकपुर तथा रसिकापुर से लोहिन्दा (बन्धवा) सड़क मार्गका चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के बदलापुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री अंकुश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के नगर पंचायत बदलापुर के अन्तर्गत फेज-2 सीवर लाइन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा प्रसाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील-बदलापुर अन्तर्गत जौनपुर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रायबरेली को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण व उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के ब्लाक महराजगंज के सई नदी पर बोझनाथ घाट व कारोवीर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में संदीप कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्री जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील एवं विकास खण्ड-बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम बछुवार में मिनी औद्योगिक जमीन पर अमूल प्लांट/औद्योगिक केन्द्र/कारखाना का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर नाथ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील-बदलापुर के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा बाबूगंज में नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील-बदलापुर के विकास खण्ड-बदलापुर के ग्राम सभा रामनगर में नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नु मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, के कुमार पट्टी में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील-बदलापुर के ग्राम सभा बहुर के प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ।,

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील-बदलापुर के ग्रामसभा लच्छी पट्टी में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, वि0ख0 बदलापुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील-बदलापुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम सभा पट्टी दयाल में विद्युत ट्रांसफार्मर वर्कशाप की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ। तथा

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर की तहसील बदलापुर के ग्राम सभा सिंगरामऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत एवं उपकरण उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव बाबा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 25 याचिकायें†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम नेकापुर से काले देव की मठिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेश पाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

2-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत कुदिरना विकरनपुर डामर रोड से नहर पट्टी पर हथगांव तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री बनवारी सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत कुकहा महमदपुर से साधन गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री सुनील पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

4-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत गिरगिचा नहर नेकापुर डामर रोड से कुदिरना नहर पुलिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री बनवारी सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

5-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत सफौरा से ग्राम लोहरगवां तक गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री गणेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

6-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम रंधीपुर चकुलिया से डंडिया निगोही तिलहर रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

7-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर संडा खास चौराहे से बजीरपुर होते हुए ग्राम अजीजपुर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राममूर्ति पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

8-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर पिपरिया उदयभानपुर से ग्राम अंजनिया तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश यादव व अन्य की याचिका उपस्थित करता हूं,

9-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर महुआ तिराहे से ग्राम जठियुरा तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यामीन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

10-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम रामनगर से संडा खास तक खड़ण्जा गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदनलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

11-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम जोगीपुर से बढ़ेपुर पुरायुं मार्ग तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामऔतार पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

12-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत बहादुरिया से ग्राम अजीजपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेंद्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

13-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग से ग्राम पैतापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

14-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत निगोही पुवायां रोड से ग्राम झोतुपूर कटैया उस्मानपुर से होते हुए उदारा तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेंद्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

15-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग से बढेपुर होते हुए पुरायुं तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामऔतार पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

16-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम खडकरी के उत्तर भक्सी नाला पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सीता राम राठौर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

17-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम जोधपुर नवदिया के पूर्व गरई नाला पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुरुद्ध सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

18-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग पर ग्राम जन्युरी से समधाना तिराहे तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

19-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम कलन्दर गंज से ग्राम कुइयाँ कीरतपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

20-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम बाजपुर से ग्राम आलमपुर तक खड़ण्जा गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामा नन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

21-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम बगडेर से ग्राम कलन्दर गंज तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

22-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम उल्लिया से ग्राम रामपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

23-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे धुल्लिया नहर पटरी पर ग्राम लोहरगवां तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यासीन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

24-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर पतराजपुर से रामनगर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं तथा

25-जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम सकुलिया से ग्राम जमालपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ 'बब्बू भईया', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ 'बब्बू भईया'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद बदायूं की नगर पंचायत असहत में इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित करता हूँ,

2-जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनूप कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित करता हूँ,

3-जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज की सी0एच0सी0 समरेर व सी0एच0सी0 ओसावा का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित करता हूँ,

4-जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड समरेर में 232 के0वी0 क्षमता का विद्युत उप केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित करता हूं तथा

5-जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज की ग्राम सभा गौतरापट्टी को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री विजय भान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 23 याचिकाएं†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कसया वाया धुरिया होते हुए बनवारी टोला तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री डेविड राय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कसया विकास खण्ड भवन निर्माण भीड़ क्षेत्र से शहर के बाहर कराये जाने विषयक श्री शम्भू गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बुद्ध के पावन निर्वाण स्थली हवाई पट्टी परिक्षेत्र में सोंदिया से नहर की पट्टी सेखवनिया खुर्द टोला वादेवपुर तक एवं अन्य सम्पर्क मार्ग को पिच मार्ग बनाये जाने विषयक श्री शंकर मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु 11 हजार वोल्ट के जर्जर तार बदले जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बुद्ध के पावन निर्वाण स्थली हवाई पट्टी परिक्षेत्र में कसया तमकुही सम्पर्क मार्ग से नहर की पट्टी होते हुए तुर्कपट्टीफाल तक एवं अन्य सम्पर्क मार्ग को पिच मार्ग बनाये जाने विषयक श्री दिनेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूं,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत शिवपुर चौराहे से नहर की पटरी सखवनिया खुर्द टोला निर्भया सीताराम सिंह के घर तक कुबेरस्थान पडरौना सम्पर्क मार्ग से बेलवनिया चौहान टोला होते हुये अन्हारीबारी बरहज सम्पर्क मार्ग तक व नैकाछापर से जुडवनिया सम्पर्क मार्ग तक पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रीता देवी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित करता हूँ,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा बडहरा लक्ष्मीपुर बनटोला घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत राव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कुशीनगर वाया मुण्डेरा रतनपट्टी होते हुए मंगलपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

---

† छापी नहीं गयी।

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु कसया तहसील को अलग से 33 के0वी0 के लाइन से जोड़ना व भुजौली व हेतिमपुर फीडर को अलग-अलग करने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कस्तूरबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सखवानिया में शिक्षण हेतु आयोग से शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से सपहा, शिवपुर, परवरपार व कुडवा दिलीपनगर में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कुरमौता से नरकटिया जाने वाली पीच से मंझरिया बड़ा टोला तक, रगइगंज सम्पर्क मार्ग से बाबू छकौड़ी सिंह इन्टर कालेज होते हुये टोला इंदरपुर सिधावे तक व बहोरापुर एनएच-28बी से नरसर सम्पर्क मार्ग तक पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लहरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बहोरापुर अर्जुन्हा जानकीनगर सरस्वती चौक धर्मपुर चौराहा नादह व नरसर चौराहों में सोलर हाईमास्क लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् कुशीनगर में स्थित अनियमित रूप से मीट व मछली मण्डी को नियमित रूप से शहर के बाहर स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री राजू मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत अहिरौली बाजार चौराहा, बड़गांव मोड़ चौराहा, शिवपुर चौराहा कुबेरस्थान, कोहरवलिया, बतरौली बाजार, बलखंडी स्थान, होरलापुर, गांगरानी, नवोदय विद्यालय, तुर्कपट्टी फाल व पिपरा जटामपुर चौराहे में सोलर हाईमास्क लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सेवक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत टेकुआटार सिधावे मोड़, मोड, टेकुआटार रामबर मोड़, टेकुआटार सोहसा मोड़

विजयपुर चौराहा, नरकटिया चौराहा, नैकाछापर चौराहा, अहिरौली, अहिरौली बाजार चौराहा, सोहसा चौराहा, रामनगर चौराहे व बनकटा चौराहा में सोलर हाईमास्क लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत सिंचाई हेतु बडहरा लक्ष्मीपुर, दिनापट्टी, धरनी छापर सखवनिया व मैनपुर टोला मुरली पट्टी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में नगरपालिका परिषद् कुशीनगर के नगरपालिका प्रशासनिक/कार्यालय जर्जर जीर्ण-शीर्ण व परित्यक्त अनुकूल भवन के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री राजू मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

19-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के कानपुर शुगर वर्क्स लि0 कठकुइयां पडरौना व गौरीबाजार के मिल मजदूरों के वेतन के प्रतिभूति पर जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिये गये जिसका भुगतान माहवार वेतन से होता था, परन्तु सारे अनुबन्धों को दरकिनार कर राजस्व वसूली की कार्यवाही की जा रही है जिसको समाप्त कराने के सम्बन्ध में श्री उदित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

20-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत सिंचाई हेतु बड़हरा लक्ष्मीपुर, दिनापट्टी, धरनी छापर, सखवनिया व मैनपुर टोला मुरली पट्टी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

21-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामसभा रामबर बुजुर्ग बाजार टोला पर पंचायत भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री रजनीश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

22-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में किसानों की सुगमता हेतु मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 देश दीपक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

23-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामसभा भटवलिया, न्याय पंचायत-सखवनिया, तहसील कसया, ब्लाक पडरौना, जनपद कुशीनगर में पंचायत भवन निर्माण के सम्बन्ध में सुश्री रीता देवी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकायें (व्यपगत)††

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

1. जनपद बस्ती में स्थित रूधौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत करमहिया से अड़वाघाट जाने वाला मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सिंह राहुल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2. जनपद बस्ती में स्थित भानपुर व हरैया तहसील को आपस में जोड़ने वाला बभनान-अयोध्या व गोण्डा जनपद को जाने वाला मार्ग कोठिला ग्राम से 03 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका एवं

3. जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में बस्ती डुमरियागंज मार्ग से शाहपुर जाने वाला 06 किमी0 मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू चौधरी व अन्य निवासीगण बस्ती की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नमक फैक्ट्री चौराहा से मसवानपुर केसा चौराहा तक अत्यन्त जर्जर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री सत्यवीर त्यागी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम बमनपुर ब्लाक-खरखौदा, बमनपुर और खासपुर के बीच भदौली तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री रविदत्त शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित करता हूं।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 13 याचिकायें††

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर कटरा नगर पंचायत के मो0 कोरियान में ईदगाह के पास नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

---

†† छापी नहीं गयीं।

† छापी नहीं गयी।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में ग्राम खुर्रा कुण्डरिया तालुके पेना मजरा नौगवां में डामरीकरण व ऊर्जीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान में ग्राम कुण्डरिया के मजरा नौगवां में डामरीकरण व ऊर्जीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द प्रताप विक्रम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम पंचायत मकरन्दापुर में क्षतिग्रस्त नहर पुलिया का नवनिर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम पंचायत पहाड़ीपुर भोपत के मजरा कंचनपुर में नहर पुलिया का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के खुदागंज नवादा दरोबस्त मार्ग पर ग्राम चरखौला के समीप क्षतिग्रस्त नहर पुलिया का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सेठपाल सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत मीरानपुर कटरा के मोहल्ला कोरियान में 11000 वोल्टेज की विद्युत लाइन को हटाने के सम्बन्ध में श्री गेन्दनलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम बहेड़ से ग्राम खटेली विकास खण्ड फरीदपुर मार्ग पर डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हरिभान सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के कटरा अन्तर्गत कटरा-करकौर मार्ग से नगरिया सम्पर्क मार्ग की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के कटरा अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम पच्चड़ से धूमगढ़ तक डामरीकरण करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के कटरा अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत डभौरा सिमरा के ग्राम सिमरा में राजकीय नलकूप की स्थापना

कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जगतभान मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के कटरा अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी-गढ़ियारंगीन मार्ग से भरतापुर सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं एवं

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत ग्राम रठैली ग्राम पंचायत बैंगनी खेड़ा से बदायूं सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं व जनपद झांसी से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री जवाहर लाल राजपूत-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर के गरीब एवं बेघर लोगों की निःशुल्क आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोबर्धन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर के गरीब एवं बेघर लोगों को निःशुल्क आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यपाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर में ग्राम रम्माखेड़ा के गरीब एवं बेघर लोगों को निःशुल्क आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर के गरीब एवं बेघर लोगों को निःशुल्क आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के गरीब एवं बेघर लोगों को निःशुल्क आवास

† छापी नहीं गयीं।

दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में बड़ी मातन मन्दिर से परगाना तक पक्का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में गुरसराय के ग्राम गुढ़ा में धसान नदी पर तपोभूमि विश्वामित्र की जन्म स्थली तक पहुँच मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झाँसी में पारीक्षा बांध से निकली गुरसराय मुख्य नहर में टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झाँसी के ब्लाक गुरसराय में गुरसराय कस्बे में बाजार के तालाब को खुदवाकर सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के ब्लाक गुरसराय में ब्रिज कम वेन्टेड चेक डैम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका एवं

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में बुडेराघाट सम्पर्क मार्ग से म0प्र0 सीमा तक पक्का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश झा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 04 याचिकायें†

(व्यपगत)

श्री अधिष्ठाता-

श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें। श्री ओम प्रकाश राजभर जी नहीं हैं।

1. जनपद गाजीपुर के ग्राम व पो0 इण्छौर, विकास खण्ड तहसील कासिमाबाद मरदह, अनऊर से बलेसड़ी रोड पर गोधनी नदी पर सेतु निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2. जनपद गाजीपुर के ग्राम सनेहुआ, पो0 सलामतपुर, तहसील कासिमाबाद महादेवा नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामविलास कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3. जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद, पाली से रेता मार्ग पर टोंस नदी के भाखड़ा पर सेतु निर्माण बनाने के सम्बन्ध में श्री रामकरन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका एवं

4. जनपद गाजीपुर के तहसील एवं विकास खण्ड कासिमाबाद, देवकाली बगमरवां बहादुरगंज मार्ग पर भैंसही सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा जनपद मीरजापुर, वि0स0 क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत माइनरों से लीकेज ठीक करने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकायें††

(व्यपगत)

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती सरोज सोनकर जी याचिका प्रस्तुत करें। श्रीमती सरोज सोनकर जी नहीं है।

1. जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड-बेलहा के ग्राम सभा ककरहा से गिरजवा मन्दिर तक लम्बाई 03 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशाराम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2. जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड-बेलहा के ग्राम सभा माधी में तापकराम के घर से केशवापुर गांव तक लम्बाई 03 किमी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3. जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड-बेलहा के ग्राम सभा माधी में धर्मराज के घर से सरैया पुल तक लम्बाई 03 किमी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4. जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड-बेलहा के ग्राम सभा ककरहा लोधनपुरवा में कामता के खेत से लोधनपुरवा गांव तक लम्बाई-2 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री घसीटे लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका एवं

5. जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के विकास खण्ड-बेलहा के ग्राम

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयीं।

सभा चहलवा में कारीकोट काटा से हुसैना तक लम्बाई 04 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका।

डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 20 याचिकाएं†

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

1-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर के वार्ड नं0-51 के नगरिया परीक्षित में शक्तिनगर में सोमपाल के मकान से मुन्ना के मकान होते हुए एयर फोर्स के नाले तक नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के मठ लक्ष्मीपुर में देवेन्द्र सिंह राठी के मकान से दीपक सिंह के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

3-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के मठ लक्ष्मीपुर में बाबा ग्लास हाउस से हरिशंकर गंगवार के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

4-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के नैनीताल मार्ग निकट जी0आर0एम0 स्कूल होते हुए सूद धर्मकांटा से थाना-प्रेमनगर मूर्ति नर्सिंग होम तक सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री गौरव सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

5-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के नैनीताल मार्ग के0डी0ई0एन0 इण्टर कालेज से फैय्याज बिल्डिंग होते हुए संकट मोचन मन्दिर तक और निकट फैय्याज बिल्डिंग से चौधरी तालाब तक सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री प्रवेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

6-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर के सेवाधाम पश्चिम विहार गली नं0-5, 6 दक्षपाल गंगवार के मकान से वीरेन्द्र गंगवार के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री बासु व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

7-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर वार्ड संख्या-55 बालाजी विहार में श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना के मकान से विनोद श्रीवास्तव के मकान तक नाली

† छापी नहीं गयीं।

व सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

8-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर वार्ड संख्या-55 प्रतापनगर गली नं0-2 में श्री महेश वर्मा के मकान से दीपक यादव के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

9-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर वार्ड संख्या-55 प्रतापनगर में श्री ऐवरन कुमार के मकान से डा0 एस0के0 द्विवेदी के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में डा0 कमलेश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

10-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर वार्ड संख्या-46 गांधीपुरम् में दीपक पाण्डेय के मकान से शंकर सक्सेना के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य के संबंध में श्री दक्ष आर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

11-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के वार्ड नं0-51 में झम्मन लाल के मकान से मैकूलाल के मकान तक सड़क व नाली निर्माण के संबंध में श्री महेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

12-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के टियूलिया अड्डे से लेकर सागर के मकान होते हुए प्राइमरी पाठशाला तक सड़क निर्माण कार्य के संबंध में श्री अरविन्द गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

13-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के मथुरापुर से बंडिया होते हुए टियूलिया में शर्मा जी के मकान से नवनिर्मित सड़क तक सड़क निर्माण कार्य के संबंध में श्री धर्मवीर साहू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

14-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर मेगाड्रीम होम गेट से दागुरू स्कूल से नर्सरी रोड होते हुए चौधरी तालाब फाटक तक क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत कार्य के संबंध में श्री दीपक सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

15-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के वार्ड नं0 51 नगरिया परीक्षित शक्तिनगर में अभिनव मौर्य के मकान से पाण्डेय जी के मकान तक सड़क निर्माण कार्य के संबंध में श्री संजय शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

16-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर, त्रिवेणी कालोनी में गेट नं0-2 कौशल के मकान से धुन्धी सिंह के मकान तक सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री कौशल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

17-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर के वार्ड नं0-55 के केसर वाटिका में मयंक शर्मा के मकान से संजय कुमार के मकान तक सड़क व नाली

निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री मयंक शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

18-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर के वार्ड नं0-51 के नगरिया परीक्षित में शक्तिनगर में सोमपाल के मकान से मुन्ना के मकान होते हुए एयर फोर्स के नाले तक नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

19-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर के नगरिया परीक्षित में एस0यू0 रोड में गीत बिष्ट के मकान से अशोक के मकान तक नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

20-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के मठ लक्ष्मीपुर में चन्द्रप्रकाश की दुकान से जे0पी0 गंगवार के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के अन्तर्गत भीटी-महरूआ-मथानी दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(इसी मध्य अपराहन 03 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मद संख्या-8 में मेरी याचिका छूट गई है, उसको लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मद संख्या-8 ले ली जाए।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकायें†

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(1) जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी के अन्तर्गत ग्राम बिचौली, कुन्दरकी को नई ग्राम पंचायत बनाये जाने विषयक श्री माजिद हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

---

† छापी नहीं गयीं।

(2) जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी के अन्तर्गत ग्राम अबूपुर खुर्द को नई ग्राम पंचायत बनाये जाने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

(3) जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर को नई ग्राम पंचायत बनाये जाने विषयक श्री रामौतार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(4) जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी के अन्तर्गत ग्राम अल्हेदापुर देवा को नई ग्राम पंचायत बनाये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† दिनांक 16 मार्च, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021†

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

---

† दिनांक 16 मार्च, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[03:40] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

उन्नाव जिले की थाना असोहा वाली सूचना पर लाल जी वर्मा जी आप बोल दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गयी। मान्यवर, जो सबसे नई शुरूआत हुई है पहले बलात्कार होता था लेकिन अब बलात्कार के साथ उसकी हत्या भी हुई है। एक नई कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई और यह एक जगह नहीं मान्यवर, अनेकों जगह हो रहा है। आये दिन बच्चियों के साथ इस तरह की घटनायें होती हैं। मान्यवर, इसी तरह से इसके एक उदाहरण के रूप में दिनांक 17-02-21 को उन्नाव जिले के बबुरहा गांव में थाना असोहा में एक परिवार की तीन बेटियों में दो बेटियों की हत्या हो गई। तीन बेटियों को बाँधकर एक खेत में रख दिया गया था जिसमें दो मरी पायी गयीं और एक अभी भी जीवन-मरण के बीच संघर्ष कर रही है और दिनांक 15-02-21 को ग्राम-खुन्दनपुर थाना-मेहनगर जिला आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता श्री कलामुद्दीन खाँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी। मान्यवर, इस तरह की घटनायें आए दिन होती हैं और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि सरकार

† दिनांक 16 मार्च, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

अपराधियों को बचाने में अपना जोर लगाती है। मान्यवर, उदाहरण के लिए हाथरस की घटना हुई आज सी0बी0आई0 ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें बलात्कार की पुष्टि की लेकिन उसके पहले...

श्री अध्यक्ष-

आप अपने उन्नाव वाले विषय पर बोले।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी का एक उदाहरण दे रहा हूं कि आखिर यह क्यों बढ़ा है। हाथरस मामले में सी0बी0आई0 की चार्जशीट ने उसकी पुष्टि की लेकिन पहले ही दिन से एस0पी0 कहने लगे थे कि बलात्कार नहीं पाया गया यानि पहले ही पुलिस यह मान लेती है कि यह नहीं हुआ। उसी तरह से उन्नाव में घटना होती है। पहले शुरूआत से ही पुलिस उसमें रिपोर्ट नहीं लिखती दूसरे दिन काफी दबाव डालने के बाद जब पत्रकार और मीडिया आदि के तमाम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तब उसकी रिपोर्ट यानि एफ0आई0आर0 दर्ज होती है उसके पहले एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती अर्थात् पुलिस घटनाओं को छिपाने का प्रयास करती है। इसको हत्या की श्रेणी में न रखा जाये इसे छिपाने के लिए प्रयास करती है और सरकार उसको कहीं न कहीं से प्रोत्साहन देती है। मान्यवर, कई जगह की इस तरह की घटनायें हैं। यदि आप चर्चा स्वीकार करेंगे तो मैं उसको विस्तार से बताने का काम करूँगा लेकिन मान्यवर, मैं इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ कि उस दिन घटना हुई, परिवार के लोगों को ही थाने में ले जाकर बैठा लिया गया। एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई और जब मीडिया तथा अन्य तमाम लोगों के द्वारा वहाँ पहुँचने का काम किया गया तब दूसरे दिन उनके दबाव में एफ0आई0आर0 लिखी गई, पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के पहले ही कहा गया कि लगता है कि जहर दिया गया। यानि पहले ही इस तरह का प्रचार करने का काम किया जाता है जिससे इसको छुपाया जाये। उनके हाथ-पैर बँधे हुए थे, जहर खाकर कोई अपने को बाँध तो नहीं लेगा। इस तरह की एक जघन्य घटना हुई है और प्रदेश के इतिहास में एक ही परिवार की तीन बच्चियाँ हैं जिनको इस तरह से बाँधकर खेत में फेंका गया था, निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ी घटना है यह कानून व्यवस्था की स्थिति को परिलक्षित करती है। इसी तरह से खुन्दनपुर, मेहनगर हमारे मा0 विधायक आजाद अरिमर्दन जी के क्षेत्र का मामला है। इनके क्षेत्र में हमारी पार्टी से दो बार चुनाव लड़ चुके श्री कलामुद्दीन खाँ की हत्या कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में आप सभी घटनाओं का जिक्र नहीं दे सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैने दो ही घटनाओं का जिक्र किया है। श्री कलामुद्दीन खाँ की हत्या 15 तारीख को कर दी जाती है। इस तरह से मैं चाहूँगा कि इन दोनों घटनाओं को ग्राह्य करते हुए आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हम भी बोल दें। हमारी बात भी आ जाए तो साथ ही जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

इनका इस विषय पर नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमारा दूसरा विषय है।

श्री अध्यक्ष-

तो इस पर क्यों बोलेंगे। .....

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, वर्मा जी बहुत वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम सदन के सामने सही तथ्य रखें। यह दिनांक 17-02-2021 की घटना है। यह 3 परिवार हैं परंतु माननीय वर्मा जी ने दो बार कहा कि एक ही परिवार है। काजल, उम्र 14 वर्ष पुत्री सूरजपाल पासी, कोमल उम्र 15 वर्ष पुत्री संतोष पासी और तीसरी लड़की रोशनी उम्र 17 वर्ष पुत्री स्वर्गीय सूरजबली, निवासीगण असोहा थाना क्षेत्र और गांव बबुरहा मजरा पाठकपुरा है। मान्यवर, पब्लिक ने इस घटना के बारे में यह सूचना दी कि तीन लोग वहां पर पड़े हैं। उसके बाद मौके पर पुलिस जाती है और तीनों को उठा कर लाती है। इसमें से 2 लड़कियाँ मृत घोषित की गयी और एक लड़की, रोशनी जीवित है। इसको पहले सी0एच0सी0 में फिर उन्नाव में और फिर उसके बाद कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां हैलट अस्पताल में इसका इलाज हो रहा है। जो मृत पायी गयी थीं, इन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम हुआ। मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है। इसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी, कोई चोट, कोई खरोंच नहीं मिला। मृतका काजल व कोमल उपरोक्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें मृतका काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बन्ध में अध्यक्ष जी यदि आपकी अनुमति हो तो दो लाइन हम पढ़ दें ?

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़ दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नो एक्सटर्नल इन्जुरी प्रेजेन्ट इन जेनेरल रीजन प्लस मिडिल पार्ट ऑफ थाई। नं0-2-नो मार्क ऑफ इन्जुरी प्रेजेन्ट इन दि प्राइवेट पार्ट। मृत्यु का कारण- कुड नॉट बी अ सरटेन हेन्स विसरा प्रिजर्व फार द केमिकल एनालिसिस अंकित किया गया है। यह काजल की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट है और मृतका कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही उल्लेख किया गया है, जो मैंने अभी इसके लिए पढ़ा। मान्यवर, चूंकि किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है और यह एक ही परिवार की कन्याएँ नहीं है, तीन अलग-अलग परिवार हैं, उनकी यह 3 कन्याएँ हैं। पुलिस की 6 टीमें घटना का अनावरण करने के लिए बना दी गयी है। इस प्रकार की घटना में कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में यह कानून व्यवस्था की दृष्टि के अन्तर्गत आता है या नहीं लेकिन किसी न किसी प्रकार से हर बात के लिए यह लोग तो वह है कि अगर ओला बरस जाये या सूखा पड़ जाये तो भी सरकार को दोषी कहेंगे कि ओला पड़ रहा है, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है या सूखा पड़ रहा है, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, एक शायर ने कहा था तो इसकी दो लाइनें हम सुना देते हैं कि ''आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो''। मान्यवर, इनके जमाने में जेल तक में हत्याएँ हुई। रामपुर में सी0आर0पी0एफ0 के कैम्प में हत्या हुई।

मान्यवर, जेल में भी हत्या हुई। हमारे यहां जो हत्यायें हुई उसका जवाब केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में गूंज रहा है। जो हमारे यहां हत्यायें हुई पूरी दुनियां में उसका जवाब गूंजा है। यह हम ही नहीं सब कहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

जेल में आपके समय में हत्या हुई कि नहीं हुई ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्मा जी, जब आपका नम्बर आयेगा तो बोल लीजियेगा। मान्यवर, हमनें कहीं पढ़ा था कि जिनके अपने महल कांच के होते हैं, वो दूसरों पर इस प्रकार से पत्थर नहीं फेंकते हैं। हमारी सरकार का इतना अच्छा ट्रैक रिकार्ड है, इनके जमाने का कहिये तो बता दूं।

श्री लाल जी वर्मा-

बता दीजिये। मान्यवर, मुझे भी बताने का अवसर दे दीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज अपराध कितना कम है। आज की तारीख में डकैती में 19.81 प्रतिशत की कमी आयी है। डकैती की घटनायें वर्ष, 2018 में 144, वर्ष, 2019 में 106 और वर्ष 2020 में 85 हुई। लूट की घटनायें वर्ष, 2018 में 3218, वर्ष, 2019 में 2179 और वर्ष 2020 में 1384 हुई। हत्या की घटनायें वर्ष, 2018 में 4018, वर्ष, 2019 में 3663 और वर्ष 2020 में 3468 हुई। हर क्षेत्र में अपराधों में कमी आयी है। मान्यवर, पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई मानदण्ड नहीं होता। आज पब्लिक परसेप्शन यह है कि पिछली सरकार में 2007 से लेकर 2017 तक (10 साल) का जो रिकार्ड था उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल जर्जर थी। लोग कह रहे हैं कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति पिछली सरकारों के मुकाबले में 100 गुना बेहतर है।

अपराधों के मामलों में हर क्षेत्र में कमी आयी है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से बता दें, आप महिलाओं की अभी बात कर रहे थे। खास तौर से महिलाओं के प्रति जो, महिला सम्बन्धी अपराध, चाहे दहेज मृत्यु हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे शीलभंग हो, चाहे अपहरण हो, चाहे पारिवारिक महिला उत्पीड़न हो, हर क्षेत्र में कमी आयी है। दहेज हत्या की घटनायें वर्ष, 2018 में 2444, वर्ष, 2019 में 2375 और वर्ष 2020 में 2186 हुई। बलात्कार की घटनायें वर्ष, 2018 में 3946, वर्ष, 2019 में 2858 और वर्ष 2020 में 2317 हुई। शीलभंग की घटनायें वर्ष, 2018 में 12555, वर्ष, 2019 में 11861 और वर्ष, 2020 में 9486 हुई। अपहरण की घटनायें वर्ष, 2018 में 16114, वर्ष, 2019 में 11433 और वर्ष 2020 में 8407 हुई। पारिवारिक महिला उत्पीड़न में भी उल्लेखनीय कमी आयी है। पारिवारिक महिला उत्पीड़न वर्ष, 2018 में 16082, वर्ष, 2019 में 18181 और 2020 में 15743 घटनायें हुईं।

मान्यवर, आज आंकड़ों के हिसाब से देख लें, पब्लिक परसेप्शन किसी भी सरकार की कानून व्यवस्था का आंकलन करने के लिए सबसे बड़ा मापदण्ड होता है। हर तरफ इस बात की प्रशंसा भी है कि योगी जी की सरकार में गुण्डों और बदमाशों की नहीं चलेगी, उनका जमाना तो चला गया। कानून व्यवस्था हर प्रकार से अच्छी है। उन्नाव की एक घटना अखबार में पढ़कर यह यहां पर आपके सामने अखबार ले आये। जब उसके ऊपर एक खरोंच नहीं है, उसको किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है और हमने 06 टीमें लगायी हैं, 06 टीमों के माध्यम से जो रिपोर्ट आयेगी हम आपके सामने उसको रखेंगे। कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से घटना का अनावरण हो। जो पीड़ित है, उसके साथ हर तरह से यह सरकार खड़ी हुई है। यह सरकार कभी भी उसके साथ नहीं खड़ी हुई जो अपराधी है या जो अन्याय करता है या अपराध करता है। यह हमारा ट्रैक रिकार्ड होगा। अगर इस सम्बन्ध में कुछ भी होगा तो निश्चित रूप से उसको सजा भी मिलेगी, यह इनको भी मालूम है, लेकिन कुछ-न-कुछ कल अखबार में कैसे छपे ये इसके लिए परेशान हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बहुत सी चीजें इसलिये मान्यवर हाउस में कही जाती हैं कि अखबार में घटना इतनी बड़ी-बड़ी छपी है तुमने क्या किया यह लोग पूछेंगे। तो यह कहेंगे कि हमने विधान सभा में इसे उठाया। इस प्रकार ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। अब फेस सेविंग तो हो गयी मान्यवर, मैं तो आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन करूँगा कि इसको अग्राह्य किया जाय यह नियम-56 में सूचना आती नहीं और किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बनती नहीं। इसलिये इसको अग्राह्य किये जाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई घायल नहीं है और उनके कोई इंजरी नहीं है लेकिन मरी तो। अगर मरी तो बिना अपराध किये हुये तो मरी नहीं, अपने से तो वह

मर नहीं गयी वह बांधी गयी थी, स्वंय जहर लेकर अपने को कोई बांध नहीं लेगा और वह अलग-अलग घरों की आप बता रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

उसी की तो जांच चल रही है।

श्री लालजी वर्मा-

दूसरा जो आपने आकंड़ा प्रस्तुत करने का काम किया। मान्यवर, प्रदेश के अपराध इतिहास का आकंड़ा हर साल नेशनल क्राइम ब्यूरो प्रस्तुत करता है और वह भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। उसके अनुसार आपकी सरकार में वर्ष 2018 में 2017 की तुलना में 12 प्रतिशत अपराध बढ़े। दूसरा प्रदेश के इतिहास में अपराध की दर अगर सबसे कम किसी साल थी तो बी0एस0पी0 की सरकार में वर्ष 2007 से 2012 तक थी। 34वाँ स्थान हमारा था और आप कह रहे हैं कि क्राइम नहीं हुआ। आपका ही आकंड़ा है 01-08-20 से 21-01-2021 तक केवल चार महीने का जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न 9,964 है, बलात्कार की घटना 1285 है, शीलभंग की 4,889 है तो इस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आप स्वंय मुझे इस बात का जवाब दे दें कि प्रदेश के इतिहास में ऐसी घटनायें कब होती है जब बलात्कार के साथ उसकी हत्या भी कर दी जाये। यह नया ट्रेंड आपकी सरकार के समय में शुरू हुआ है और अपराधियों का हौसला बढ़ा है जिसके कारण यह ट्रेंड चला है कि अपराध भी करो और मार डालो। तो निश्चित रूप से आम जनता की नजर में प्रदेश में इस समय अपराध चरम पर है और जो अपराधी है उनका हौसला बुलंद है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या होती है अपराधियों को माला पहनाया जाता है। सहारनपुर में एस0पी0 के घर में लूटपाट की जाती है अपराधियों को माला पहनाया जाता है। बलिया में हत्या होती है उन लोगों का स्वागत किया जाता है तो इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े हैं। आप तो अपराधियों के साथ ही खड़े हैं और अपराधियों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसके कारण यह अपराध की घटनायें बढ़ रही हैं। इसलिये मैं मान्यवर, आपसे चाहूँगा कि इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब इनकी जन्मपत्री सुन लीजिये। वर्ष 2007 में इनकी सरकार थी 23-11-2007 की घटना है बनारस, फैजाबाद, लखनऊ के न्यायालय में लगातार 20 मिनट के अन्तराल पर एक के बाद एक 06 बम विस्फोट हुये और 13 लोगों की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, रामपुर में सी0आर0पी0एफ0 कैम्प में 07 जवानों सहित एक रिक्शा चालक की हत्या कर दी गयी। यह इन्हीं की सरकार का है। अलीगढ़ में किसानों के प्रदर्शन की बात बता रहा हूं यह अभी किसानों पर बोल रहे थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह अब किसान कहाँ से आ गया। अपराध की घटना को और अपराधियों को बचाने का यह प्रयास कर रहे हैं और समस्या से ध्यान हटाने का काम कर रहे है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब मान्यवर, बिना वजह सदन का समय खराब किया जाता है तो इस प्रकार की बात कही जाती है। जिस अवस्था में यह लोग वहाँ पर मिले वह यहाँ बता दिया गया उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी दे दी गयी और जो लड़की बीमार है उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी और हर तरह से कोशिश है कि केस का अनावरण हो जाये। तो उसके बाद तो विधान सभा में यह मैटर आना ही नहीं चाहिये था लेकिन अखबार की छपास की भूख इन लोगों को बहुत है, दरअसल बात यह है।

श्री अध्यक्ष-

मैं उपरोक्त सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस लीपापोती के विरोध में हम और हमारा दल वॉकआउट करता है।

(तत्पश्चात् नेता बहुजन समाज पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, 2010 में इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री के ऊपर सारेआम बम से हमला हुआ था, इन्हें शर्म आनी चाहिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक लोकमहत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूँ कि पूरे विश्व समेत हमारे देश में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19, पिछले एक-डेढ़ वर्ष से प्रभावी रूप से काम कर रहा है और कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण सरकारी कार्य बाधित हुए और रुके। इस बीच में उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान थे, जिनके लिए तमाम भर्तियाँ आनी थी, अपेक्षित थी या प्रतीक्षारत थी, कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण उन काम-काजों को भी रोका गया और उन्हें निरस्त किया गया। अगर आप देखें तो एक्नॉमिक टाइम्स जैसी एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने भी लिखा है कि पिछले एक साल में लगभग 22,732 नये नौजवान बेरोजगार हुए हैं। अब परिस्थितियाँ यह हो गई कि जिन नौजवानों की पढ़-लिख करके ठीक उसी वर्ष में नौकरी के लिए उनकी आयु-सीमा समाप्त हो रही थी, उसी बीच कोविड के चलते भर्तियाँ रुक गईं और वह कोई नये आवेदन नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सरकार से माँग कर लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब वह नौजवान लॉकडाउन के कारण भर्ती में कोई फार्म नहीं भर पाये और उसी वर्ष उनकी आयु सीमा समाप्त होनी थी और वह समाप्त हो गई। तो इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत चिन्ता का विषय है कि कई जनपदों में बेरोजगार नौजवानों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, कई नौजवान डिप्रेशन में चले गये।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका विषय आ गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इन परिस्थितियों में कोविड-19 के उस एक वर्ष को देखते हुए, जिन ऐसे प्रतिभागी नौजवानों की जिनकी आयु-सीमा उसी समय खत्म हुई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि ऐसे नौजवानों को एक साल की आयु-सीमा में छूट दी जाए और उनको दोबारा आने वाली कराने भर्ती में शामिल कराने का सरकार निर्णय ले। यह उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ लोकमहत्व का प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि इसमें पक्ष और विपक्ष न देख करके माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर हैं, यह सबके बच्चों का सवाल है, इस पर निश्चित रूप से सरकार विचार करे और एक साल की समयावधि की छूट दी जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इसको ग्राह्य करने और इस पर चर्चा कराये जाने की मैं आपसे निवेदन करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना की महामारी को हमारे नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है और उसी की वजह से इसके फैलाव को बहुत कुशलतापूर्वक रोका जा सका। हर तरह से मान्यवर, इसमें हमदर्दी और संवेदनशीलता दिखाई गई है। मान्यवर, जहाँ तक उम्र का सवाल है तो हमने तो सभी परीक्षाएँ करवाई है, उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा कोरोना की वजह से स्थगित नहीं हुई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, 19 परीक्षायें हुई हैं, कहिए तो डिटेल पढ़ दूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप बता दीजिएगा। लेकिन फिलहाल बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए 40 साल तक की उम्र है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अगर उसी समय उसकी उम्र इसके लिए पूरी हो रही थी तो वह तो बाहर हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कोई भी परीक्षा इतनी लम्बी नहीं हुई। किसी को न तो फार्म भरने से रोका गया और न ही कोई परीक्षा स्थगित की गई। हम तो सारी परीक्षायें इसी साल करवा रहे है। हम समझते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमदर्दी और संवेदनशीलता का सवाल है, मान्यवर, डब्ल्यू0एच0ओ0 ने और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के मामले में सराहना की है। डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी सराहना की कि हमने बेहतर काम किया। इसलिए जहाँ तक संवेदनशीलता और हमदर्दी का सवाल है, हम लोग उन लोगों से पूरी हमदर्दी रखते हैं। लेकिन कोई परीक्षा इस प्रकार की नहीं है, न ही कहीं से इस प्रकार से माँग आई है। दूसरी बात यह है कि हमने कोई परीक्षा स्थगित ही नहीं की है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, रिकार्ड्स देख लिये जाएं, आठ महीने से कोई भर्ती नहीं निकली और जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने 40 वर्ष की समय-सीमा बतायी तो मान्यवर, हर भर्ती और हर नौकरी के लिए अलग-अलग उम्र का निर्धारण है, कहीं 22 वर्ष है, कहीं 24 वर्ष है, कहीं 32 वर्ष भी हो सकती है और कहीं 40 वर्ष भी हो सकती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम शासनादेश लेकर आये हैं, 40 वर्ष की समय सीमा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सभी भर्तियों के लिए यही समय-सीमा है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप क्लास-3 की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

उसी में आपकी तीन श्रेणियाँ है फर्स्ट है, सेकेण्ड है, थर्ड है और तीनों में यह समय-सीमा नहीं है। सवाल यह है कि जिन बच्चों की उम्र उसी समय पूरी हो रही थी और परीक्षा नहीं हो पायी तो उन्हें समय मिलना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, यह विवाद का विषय नहीं है। 29 फरवरी के आसपास ही कोरोना वायरस नामक बीमारी की शुरूआत हुई थी। हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक वर्ष के लिए बच्चों की उम्र को माइनस करा दें यानी कि एक वर्ष की छूट दे दें ताकि वह भर्तियों में आवेदन कर सकें, इससे सभी बच्चों को लाभ मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब सभी का विषय आ गया। माननीय सदस्य डा0 नीरज बोरा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(सदस्य डा0 नीरज बोरा द्वारा संकल्प प्रस्तुत करना प्रारम्भ करने पर)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस सूचना पर कोई निर्देश नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

उसे अग्राह्य कर दिया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बातें कही कि नौकरियों की आयु सीमा 40 वर्ष है, वह गलत कह रहे हैं। जैसे सिपाही के लिए आयु सीमा 22 वर्ष है उसी प्रकार से अलग-अलग नौकरियों की आयु सीमा अलग-अलग है। सभी नौकरियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष नहीं है और यह बात भी सही है कि पिछले एक साल में नौजवान किसी भी भर्ती में प्रतिभाग नहीं कर पाया है, इस बात को सरकार को और पूरे विपक्ष को मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सरकार के सामने यह विषय आ गया आदरणीय सदन के माध्यम से।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

तो क्या यह माना जाय कि सरकार नौजवानों की नौकरियों को लेकर के संवेदनहीन है या सरकार यह नहीं चाहती कि नौजवानों को रोजगार मिले।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के उत्तर ने इस बात को स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के गरीब नौजवानों के प्रति सरकार की संवेदना नहीं है और उनके प्रति सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी, ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले

लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाय।'' मान्यवर, आजादी से पहले 13 विश्वविद्यालय थे जिसमें से 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गये केवल एक लखनऊ विश्वविद्यालय है जो शेष है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जारी रखा जाय।

डा0 नीरज बोरा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसे आज सदन में पारित करा दें।

श्री अध्यक्ष-

इसको जारी रखने की तो कोई जरूरत है नहीं, तो क्या सरकार को इसमें कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस संकल्प को जारी रखा जाए। हम इस पर रिपोर्ट मंगाकर अगली बार प्रस्तुत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाये।''

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रखना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद में सौ वर्षों से भी अधिक पुराने परंपरागत कांच चूड़ी उद्योग में जो श्रमिक गर्म भट्ठियों एवं बर्नरों के सामने कांच के काम को करने का कार्य करते हैं। लम्बे समय तक कार्य करते-करते उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शायद ही ऐसा कोई श्रमिक परिवार होगा, जो गर्म कांच का काम करते हुए फेफड़ों अथवा टी.बी. रोग से ग्रसित न हुआ हो। जब वह अपने जीवन में काम करते हुए ऐसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित होता है तो आर्थिक रूप से उतने साधन न होने के कारण वह अपना ईलाज नहीं करा पाता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 असीजा जी, इसको भी जारी रखते हैं।

श्रम, सेवायोजन समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसका जवाब दे दूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मनीष असीजा-

मा0 श्रम मंत्री जी का अगर कृपा पूर्वक जवाब आ रहा है, तो मुझे मालूम है कि श्रमिक हित में ही होगा। मैं चाहता भी हूं कि मा0 सदन के सामने उनका कोई सकारात्मक जवाब आ जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 असीजा जी की इस संकल्प के माध्यम से जो वेदना है, सरकार पहले से ही इस पर कार्य कर रही है। विशेष रूप से जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 के अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों में रु0 21000 तक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को बीमा राशि से आच्छादित किया गया है और चूँकि यह भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से आच्छादित है। साथ ही साथ निगम के जो क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके द्वारा इन सबको बीमांकित किया जाता है। इसी के साथ-साथ फिरोजाबाद, जहाँ का आपने इस संकल्प के माध्यम से जिक्र किया है, वहाँ पर काँच एवं चूड़ी उद्योग में कुल लगभग 262 इकाइयाँ पंजीकृत है, जिसमें श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या 19875 है। उक्त श्रमिकों में से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 13064 है, जिन्हें चिकित्सा सुविधा के अलावा अन्य लाभ भी प्राप्त हो रहे है, यानी सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे है। बीमांकित रु0 21000 के नीचे या 21000 तक मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी इससे आच्छादित है। रु0 21000 से ऊपर मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी इस बीमांकित योजना से परे हैं, यानी ई.एस.आई. निगम के द्वारा वह आच्छादित नहीं है। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में जो निर्देश है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका शत-प्रतिशत अक्षरशः अनुपालन कर रही है। मान्यवर, इसलिए संकल्प अग्राह्य है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 असीजा जी जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड माँग रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने पहले बता दिया है कि रु0 21000 तक मासिक वेतन पाने वाले सभी श्रमिकों का कार्ड बना हुआ है, सब बीमांकित है, सभी को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है और जो रु0 21000 से ऊपर मासिक वेतन पाने वाले श्रमिक हैं, वह इसलिए आच्छादित नहीं है, क्योंकि वह भारत सरकार के उस उपक्रम के निर्देश में नहीं आते हैं।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का श्रमिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को हम सब लोग जानते हैं। शायद वह इस तथ्य से भी अवगत होना चाहेंगे कि फिरोजाबाद में 276 इकाइयों में मात्र 21000 या 19000 लोग, जो ई0एस0आई0 में पंजीकृत है, उनके विषय से हटकर बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो काँच की चूड़ी है वह घर-घर में जाकर जोड़ी जाती है। जिसको अधिकांशतः अनुसूचित समाज, अल्पसंख्यक समाज अथवा पिछड़े वर्ग के बहुत कम आयु सीमा के लोग इस काम को करते हैं। वह अपने घर में छोटे-छोटे बरनल लगाते हैं और उस पर जोड़ाई करते है। और बगैर जुड़ाई के चूड़ी बन ही नहीं सकती है। पूरे फिरोजाबाद में इस काम से प्रत्यक्ष रूप से 2 से 3 लाख से ऊपर और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे अगर उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ लें तो 5 से 8 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। माननीय श्रम मंत्री जी मैं जहाँ तक जानता हूं कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनमें चूड़ी मजदूरों को भी आपने अभी दर्जा दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उस क्रम में जब उनको स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी हो जायेंगे तब वास्तव में ऐसे गरीब, मेहनतकश मजदूरों के स्वास्थ्य, उनके जीवन सुरक्षा के साथ न्याय हो सकेगा। तब तक इस संकल्प पर चर्चा जारी रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, असीजा जी बहुत विद्वान साथी हैं और ये जो कहते हैं हम उसे मानते भी हैं। लेकिन जो भारत सरकार का निर्देश है। कर्मचारी बीमा निगम, भारत सरकार का उपक्रम है। भारत सरकार के उस निर्देश के क्रम में हम बॅधे हुए हैं, उस सीमा से परे हम नहीं जा सकते। इसलिए 21 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को ही आच्छादित किए जाने की व्यवस्था है, 21 हजार से ऊपर उच्च वेतन पाने वाले जो लोग हैं वह इससे आच्छादित नहीं होते हैं। जितने लोग आच्छादित हैं उनको हमने स्वास्थ्य बीमा कार्ड दे रखा है, उनको बीमांकित भी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की देय अनुमन्य सुविधायें हैं वह भी दे रहे हैं तो अलग से गोल्डेन कार्ड जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर पर्याप्त है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प इस आधार पर जारी रखा जाये कि 21 हजार से ऊपर की सीमा के ये लोग नहीं हैं। माननीय मंत्री जी से सादर प्रार्थना रहेगी कि अगर वह इसकी स्थलीय जांच करायेंगे तो कोई भी व्यक्ति 5 हजार से लेकर 8 हजार प्रतिमाह से ऊपर वेतन नहीं पा रहा है और वे लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी जांच करा लेंगे।

जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सा सुविधाएं, प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी अनुपस्थित हैं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जिन मा0 सदस्यों के संकल्प हैं उनमें से कई लोग उपस्थित नहीं है तो मेरी समझ से इन पर चर्चा जारी रखें।

श्री संजय गर्ग जी का एक संकल्प है, उसका विषय बहुत अच्छा है लेकिन यह पूरी तरह से केन्द्र सरकार के ऊपर है, यहाँ से इसका कुछ भी नहीं होना है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, यहाँ से एक प्रस्ताव चला जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहाँ से प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो हम विषय-वस्तु रख दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने तो खुद ही कह दिया कि विषय बहुत अच्छा है। सन् 1980 से हम इस विषय को देख रहे है, यह 1980 से चला आ रहा है। जसवन्त सिंह आयोग सन् 1980 में गठित हुआ था और उस जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गयी, उसके बाद यह समय-समय पर विधान सभा में आता रहा लेकिन कभी भी विधान सभा में इस पर बात नहीं हो पायी। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि सभी संकल्पों पर चर्चा जारी रखी जाए।

श्री अध्यक्ष-

हम सभी पर चर्चा जारी रखते है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो मिनट लगेंगे, दो मिनट में मैं अपनी विषय-वस्तु रख दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी तो मा0 खन्ना जी से बातचीत हो गयी।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे याचिकायें पढ़ी गयीं उसी तरह से दो-दो मिनट में संकल्प भी आ जांए।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के संकल्प पर भी सुन लिया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अब मद संख्या-62 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-62 पर श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' जी को संकल्प प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत कर दें।

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

मान्यवर, हमारा 47 पर भी है और 62 पर भी है। किससे शुरू करें।

श्री अध्यक्ष-

आप कौन सा पढ़ रहे हैं। मद संख्या-47 पर आपको क्या कहना है।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापनार्थ कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

मान्यवर, मद संख्या-47 के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना करायी जाय।''

मान्यवर, हमारा क्षेत्र बहुत सुदूर इलाके में पड़ता है और हमारा क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर से लगभग 65-70 किमी0 दूर है। जगह की पर्याप्त उपलब्धता भी है और बहुत कम खर्चे में यह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका संकल्प प्रस्तुत हो गया। जारी रहेगा। आगे के भी सभी संकल्प प्रस्तुत माने जाते हैं और उन पर चर्चा जारी रहेगी। मनीष असीजा जी का भी प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दे दें।

जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री मनीष असीजा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 केवी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका हो गया चर्चा जारी रहेगी।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मेरा सुन लें मैं यह संकल्प समाप्त करा रहा हूं। यह 400 के.वी. क्षमता के विद्युत केन्द्र की स्थापना हो गयी है इसके लिये मैं धन्यवाद सहित अपने संकल्प की चर्चा को वापस लेता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कि इतना महत्वपूर्ण काम इस संकल्प की चर्चा के दौरान सरकार ने संज्ञान लिया और उसको पूरा कराया। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आगे सभी संकल्पों पर चर्चा जारी रहेगी। मद संख्या-49 और मद संख्या-50 पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना की जाय''

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद मद संख्या-51 है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरा मद संख्या-51 पर है एक मिनट सुन लें।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में 31 अगस्त, 2018 को श्री संजय गर्ग के द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

***श्री संजय गर्ग-**

यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा और अपनी संवेदना इस विषय पर प्रकट की। मैं आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि यह इस सदन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी सम्मानित विधायकों के समर्थन में है और 1976 में प्रदेश में मंत्रि मंडल ने भी प्रस्ताव पारित करके और उसके बाद की सरकारों ने भी केन्द्र सरकार को भेजा है इसलिये मौजूदा केन्द्र सरकार के पास इसको भेजने में राज्य सरकार को किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया। अब जिद न करिये। आप सीनियर सदस्य हैं। श्रीमती नीलम करवरिया जी का मद संख्या-52, श्री मनीष असीजा का मद संख्या-53, श्री फतेह बहादुर का मद संख्या-54, श्री जवाहर लाल राजपूत का मद संख्या-55, श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' का मद संख्या-56, श्री जवाहर लाल राजपूत का मद संख्या-57, श्री नीरज बोरा जी का मद संख्या-58, श्री बृजेश कुमार प्रजापति का मद संख्या-59, श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' का मद संख्या-60, श्री जवाहर लाल राजपूत का मद संख्या-61 पर भी चर्चा जारी रहेगी। मद संख्या-62 पर श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स', श्री मनीष असीजा, श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री ब्रज भूषण राजपूत, श्री लाल बहादुर द्वारा संकल्प प्रस्तुत किये माने जायेंगें और उन पर चर्चा जारी रहेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2018 को श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्रीमती नीलम करवरिया-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाये।''

जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2018 को श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री मनीष असीजा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना करायी जाये।''

औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री फतेह बहादुर सिंह-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध करायी जाये।''

जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।''

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08 फरवरी, 2019 को श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप मण्डी की स्थापना कराई जाये।''

प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबन्ध के किसानों की जमीनों से हाईटेंशन लाइनें बिछाकर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबन्ध के किसानों की जमीनों से हाईटेंशन लाइनें बिछाकर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाया जाय।''

जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिठौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को डॉ0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डॉ0 नीरज बोरा-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिठौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाया जाय।''

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी की तहसील पैलानी के ग्राम जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना कराई जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री बृजेश कुमार प्रजापति द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी की तहसील पैलानी के ग्राम जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना कराई जाये।''

जनपद वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गायों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गायों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाये।''

खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल की जाय।''

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय।''

जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी से सटे दरों/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके 'झील का निर्माण' कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री मनीष असीजा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी से सटे दर्रों/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके 'झील का निर्माण' कराया जाय।''

वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करायी जाय।''

जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हास्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का दिनांक श्री ब्रज भूषण राजपूत 'गुड्डू भइया' द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री ब्रज भूषण राजपूत 'गुड्डू भइया'-

''इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हास्पिटल खोला जाय।''

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित संकल्प का श्री लाल बहादुर द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री लाल बहादुर-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असरकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर की छमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री संजय कुमार गुप्ता, श्री लाल बहादुर, डा0 नीरज बोरा एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के संकल्प प्रस्तुत माने गये।

जनपद झांसी में बेतवा नदी के किनारे बसे श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच, जहां भगवान विष्णु के तीन अवतार, बाराह, नृसिंह एवं बामन अवतार हुए हैं, को पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

''इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद झांसी में बेतवा नदी के किनारे बसे श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच, जहां भगवान विष्णु के तीन अवतार, बाराह, नृसिंह एवं बामन अवतार हुए हैं, को पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाय।''

उद्योग विहीन जनपद कौशाम्बी में बढ़ती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र 253-चायल (कौशाम्बी) में UPSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार गुप्ता द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री संजय कुमार गुप्ता-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उद्योग विहीन जनपद कौशाम्बी में बढ़ती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने

वाले विधान सभा क्षेत्र 253-चायल (कौशाम्बी) में UPSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जाये।''

जनपद कौशाम्बी की नवसृजित नगर पालिका मंझनपुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों को शहरी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री लाल बहादुर-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी की नवसृजित नगर पालिका मंझनपुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों को शहरी सुविधायें उपलब्ध करायी जाय।''

पिछले तीन दशकों में बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत लखनऊ के शहरी क्षेत्र में निजी प्लानिंग के तहत बसी आवासीय कालोनियों को वैध कालोनी का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

डॉ0 नीरज बोरा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पिछले तीन दशकों में बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत लखनऊ के शहरी क्षेत्र में निजी प्लानिंग के तहत बसी आवासीय कालोनियों को वैध कालोनी का दर्जा दिया जाय।''

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की भौगोलिक परिस्थितियों के संरक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये महमूदाबाद को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की भौगोलिक परिस्थितियों के संरक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये महमूदाबाद को जिला बनाया जाय।''

श्री संजय कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

सुन लिया जायेगा। अभी तो श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर तीन-चार दिन चर्चा चलेगी।

श्री संजय कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सुन लिया जाए। यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे आग्रह को भी स्वीकार कर लें। आप अगर हम लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। इसको सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुतीकरण के समय बोला नहीं जाता है।

श्री संजय कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट लगेगा बहुत छोटा संकल्प है। आपने याचिकायें बहुत लम्बी-लम्बी सुनी हैं। एक-एक लोगों की 25-25, 30-30 याचिकायें सुनी हैं। हम लोगों का 10-20 सेकेण्ड का संकल्प आप नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

क्या यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है ?

श्री संजय कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बाद में सुनेंगे। अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते है।

[04:24] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-02-2021 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं-

1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ की कार्यकारिणी का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है,

2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊँचाहार का आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में है,

3-श्री राकेश प्रताप सिंह जनपद अयोध्या को पर्यटन नगरी घोषित करने के उपरान्त वहाँ की जमीनों के खरीद में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में है,

4-श्री संजय गर्ग ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर के द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में तथा

5-श्री मनीष असीजा जनपद फिरोजाबाद में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाए जाने एवं कतिपय सुविधाएँ दिए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं-

1-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी जनपद कुशीनगर के कसया नगर में कच्चे नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

2-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' जनपद शाहजहाँपुर में खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम प्रभारी के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं-

1-श्रीमती सुषमा पटेल प्रदेश के सभी महिला हेल्प डेस्क में महिला शौचालयों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है,

2-श्री देवेन्द्र निम जनपद सहारनपुर में कराए जा रहे पुलों के निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

3-श्री रोशन लाल वर्मा जनपद शाहजहाँपुर की कतिपय सरकारी व निजी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने के सम्बन्ध में है,

4-श्री अगयश रामसरन वर्मा कोविड-19 के समय शासन द्वारा जनपद पीलीभीत के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के व्यय की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है,

5-श्री सत्यवीर त्यागी जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के ग्राम गोविन्दपुर में कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,

6-श्री संजय प्रताप जायसवाल जनपद बस्ती में मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

7-श्री मोहम्मद असलम राइनी ष्एडवोकेट सरयू नहर परियोजना में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध मैं है,

8-श्री अमिताभ बाजपेयी कानपुर नगर में के0डी0ए0/नगर निगम की मिलीभगत से 23 परिवारों को बेघर किये जाने व एक व्यक्ति की मृत्यु होने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

9-श्री मसूद अख्तर जनपद सहारनपुर में कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्रम	नाम
1.	श्री संजय सिंह गंगवार
2.	श्री गंगा
3.	श्री सुशील कुमार शाक्य
4.	श्री कैलाश नाथ सोनकर

5. श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''
6. डा0 जमुना प्रसाद सरोज
7. श्री विनय शाक्य
8. श्री सुभाष पासी
9. डा0 अनिल कुमार मौर्या
10. डा0 डी0सी0 वर्मा
11. श्री विजय कुमार राजभर
12. श्री बम्बा लाल
13. श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
14. श्री लाल जी वर्मा
15. श्री उपेन्द्र नाथ पासवान
16. श्री राम अचल राजभर
17. श्री जवाहर लाल राजपूत
18. श्री आजाद अरिमर्दन
19. श्री सुभाष त्रिपाठी
20. श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
21. श्री प्रेमसागर पटेल
22. श्री मोहम्मद फहीम इरफान
23. श्रीमती राजबाला
24. श्री राम नरेश रावत
25. डा0 श्याम बिहारी लाल
26. श्री शैलेन्द्र यादव ललई
27. श्री रमेश चन्द्र मिश्र
28. श्रीमती जयदेवी
29. श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
30. श्री मुकेश चन्द्र वर्मा
31. श्री प्रमोद उटवाल
32. श्री सोबरन सिंह यादव

33. श्री दुर्गा प्रसाद यादव

34. श्री सुभाष राय

35. श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'

36. श्री नरेश सैनी

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, कई मा0 सदस्य ऐसे हैं जो सदन में उपस्थित नहीं हैं और उनकी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना ले ली गयी है।

श्री अध्यक्ष-

पहले दिन मान लीजिए, आगे से हाजिरी कर लेंगे। पहले ही दिन उनको चोट न दी जाए। मद संख्या-65 व मद संख्या-66 स्थगित है।

[04:25] जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2020 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

अब हम दिनांक 22-02-2021 के पूर्वाह 11:00 बजे तक के लिए उठते है।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 26 मिनट पर सोमवार दिनांक 22 फरवरी, 2021 को 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 19 फरवरी, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0... पर)

वित्तीय वर्ष 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 एवं 2020–2021 में जनपदवार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण
(डिस्काम से प्राप्त सूचना के अनुसार)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माहवार औसत विद्युत आपूर्ति (घण्टे/मिनट)			
		वित्तीय वर्ष (2017–2018) औसत आपूर्ति	वित्तीय वर्ष (2018–2019) औसत आपूर्ति	वित्तीय वर्ष (2019–2020) औसत आपूर्ति	वित्तीय वर्ष (2020–2021) (माह अप्रैल 2020 से माह दिसम्बर 2021 तक) औसत आपूर्ति
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	18:36	18:14	18:36	17:54
2	फिरोजाबाद	17:28	16:33	18:40	18:53
3	मैनपुरी	17:33	17:22	18:12	17:09
4	मथुरा	20:04	18:44	20:31	17:46
5	अलीगढ	16:34	16:39	18:03	17:06
6	इटा	18:18	17:57	18:22	17:41
7	कासगंज	16:43	17:00	17:38	15:38
8	हाथरस	19:00	19:04	19:22	18:19
9	कानपुर नगर	17:54	17:08	17:40	17:23
10	कानपुर देहात	17:20	16:30	18:06	15:51
11	इटावा	18:01	17:20	18:08	16:57
12	औरैया	17:29	16:59	17:48	16:57
13	फर्रुखाबाद	17:33	16:56	19:54	16:25
14	कन्नौज	17:52	17:16	17:54	16:32
15	झांसी	18:44	18:34	19:33	17:53
16	ललितपुर	17:51	16:57	18:45	17:38
17	जालौन	18:39	17:59	18:45	18:04
18	बांदा	18:36	18:04	19:38	18:15
19	चित्रकूट	17:58	18:18	19:30	17:13
20	हमीरपुर	19:05	19:08	20:23	19:18
21	महोबा	19:57	18:52	19:43	18:20
40	लेसा/लखनऊ	20:50	22:03	23:19	23:42
39	उन्नाव	16:45	16:34	18:19	17:40
37	हरदोई	16:17	17:11	18:38	16:55
38	रायबरेली	16:27	16:58	17:41	17:03
35	लखीमपुर	17:04	17:35	17:40	17:13
36	सीतापुर	16:50	16:37	17:37	17:10
23	बरेली	17:10	17:23	18:03	17:29
24	पीलीभीत	16:41	17:09	18:03	17:26
25	शाहजहांपुर	16:44	17:01	18:02	17:24
22	बदायूं	17:03	17:07	18:06	17:21
26	बहराइच	17:08	16:51	17:49	17:26
27	बलरामपुर	16:45	16:31	17:37	17:10
28	गोण्डा	16:55	16:57	17:54	17:16
29	श्रावस्ती	17:23	17:25	17:54	17:22
33	अयोध्या	17:43	17:14	18:34	17:27
30	अम्बेडकर नगर	17:26	17:28	17:59	17:19
32	अमेठी	16:15	17:20	18:12	17:32
34	सुलतानपुर	17:19	17:15	17:53	17:17
31	बाराबंकी	18:03	17:38	18:20	17:33

त्तीय वर्ष 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 एवं 2020–2021 में जनपदवार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण
(डिस्काम से प्राप्त सूचना के अनुसार)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माहवार औसत विद्युत आपूर्ति (घण्टे/मिनट)			
		वित्तीय वर्ष (2017–2018) औसत आपूर्ति	वित्तीय वर्ष (2018–2019) औसत आपूर्ति	वित्तीय वर्ष (2019–2020) औसत आपूर्ति	वित्तीय वर्ष (2020–2021) (माह अप्रैल 2020 से माह दिसम्बर 2021 तक) औसत आपूर्ति
1	2	3	4	5	6
41	मेरठ	17:06	16:50	17:55	17:29
42	बागपत	16:53	16:48	17:59	17:55
43	गाजियाबाद	16:51	16:23	17:57	17:31
44	बुलन्दशहर	17:00	16:12	18:37	17:55
45	हापुड़	17:06	16:14	17:42	17:17
46	सहारनपुर	17:45	18:11	18:10	17:22
47	मुजफ्फरनगर	17:26	17:24	17:58	17:26
48	शामली	17:19	17:28	18:01	17:33
49	मुरादाबाद	16:27	15:45	17:28	17:08
50	सम्भल	16:50	16:02	17:29	16:59
51	अमरोहा	16:57	16:18	17:26	17:04
52	बिजनौर	17:04	16:09	18:15	17:35
53	रामपुर	16:29	15:51	17:32	17:29
54	गौतमबुद्ध नगर (गौतमबुद्ध नगर)	17:46	16:18	17:55	17:05
55	वाराणसी	21:52	21:50	22:49	22:51
56	चन्दौली	17:18	18:05	17:36	17:08
57	गाजीपुर	16:54	17:36	17:38	17:20
58	जौनपुर	16:58	17:28	17:41	17:58
59	प्रयागराज	18:15	17:45	18:09	17:34
60	फतेहपुर	18:02	17:50	18:06	16:59
61	कौशाम्बी	17:50	17:57	18:05	17:22
62	प्रतापगढ़	17:50	17:58	18:43	17:28
63	गोरखपुर	21:03	20:45	21:44	22:08
64	महराजगंज	17:57	17:47	18:10	17:29
65	देवरिया	17:29	17:24	18:00	18:20
66	कुशीनगर	18:33	17:14	18:01	17:48
67	सिद्धार्थनगर	17:28	17:24	17:31	17:02
68	संतरविदास नगर	17:24	16:52	17:29	17:02
69	सोनभद्र	17:32	17:38	17:34	17:03
70	आजमगढ़	16:54	17:33	17:33	17:15
71	मऊ	16:58	16:59	17:50	17:04
72	बलिया	16:49	16:54	17:45	16:57
73	बस्ती	17:17	16:54	17:44	17:07
74	संतकबीर नगर	16:58	17:27	18:32	17:10
75	सिद्धार्थनगर	16:28	17:12	17:34	17:07
औसत आपूर्ति (उ0प्र0पा0का0लि0)		17:33	17:22	18:19	17:36

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0... पर)

संलग्नक – क

दिनांक – 06.02.2021

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये संयोजनों का ब्लॉकवार विवरण

ब्लॉक का नाम	संयोजनों की संख्या
बडोखर खुर्द	3924
जसपुरा	4407
तिंदवारी	4353
कुल योग	**12684**

दिनांक – 06.02.2021

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये संयोजनों का उपकेन्द्रवार विवरण

उपकेन्द्र का नाम	संयोजनों की संख्या
अतर्रा	2409
कानाखेड़ा	1991
चिल्ला रोड बांदा	1185
जसपुरा	2520
तिंदवारी	2415
तुलसी नगर	28
नरैनी	246
पालरा	35
बड़गाव	183
बदौसा	8
सिमौनी	1664
कुल योग	**12684**

PMA - Saubhagya

योजना का नाम – सौभाग्य योजना जनपद–बांदा

विकास खण्ड – बड़ोखर खुर्द

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी0पी0एल0 / गरीबों को निर्गत संयोजनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	डूरेंडी	अतर्रा टाउन -1	154977	बजरंग पूर्वा	3
2	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कंवारा	अतर्रा टाउन -1	154917	रघुवंशी पूर्वा	3
3	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	छानेहरा लालपुर	अतर्रा टाउन -1	154942	रामदास का पूर्वा	4
4	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	डूरेंडी	अतर्रा टाउन -1	154977	डूरेंडी	4
5	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गंछा	भदौल पम्पकैनाल	154984	कैथ का पूर्वा	4
6	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कंवारा	अतर्रा टाउन -1	154917	लुधौरा	4
7	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कंवारा	अतर्रा टाउन -1	154917	मुल्लू लोध का डेरा	4
8	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	बक्छा	भदौल पम्पकैनाल	154945	बक्छा	4
9	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गंछा	कैनल फीडर	154984	कैथ का पूर्वा	4
10	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	चटगांव	भदौल पम्पकैनाल	154911	नई बस्ती	5
11	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	दुरेण्डी	अतर्रा टाउन -1	154977	हीरा का डेरा	8
12	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	दुरेण्डी	अतर्रा टाउन -1	154977	इंद्र पूर्वा	8
13	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	हाथोरा	अतर्रा टाउन-4	154936	हाथोरा	9
14	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	झखौरां	अतर्रा टाउन-4	154971	झखौरां	10
15	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	बरोखार खुर्द	भदौल पम्पकैनाल	154956	बालक का पूर्वा	10
16	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	करछा	भदौल पम्पकैनाल	154976	करछा	12
17	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	चिल्ली	अतर्रा टाउन -1	154939	चिल्ली	13
18	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	बरोखार खुर्द	भदौल पम्पकैनाल	154956	बानी का पुरवा	13
19	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	चकचाट्जन	भदौल पम्पकैनाल	154913	चकचाट्जन	15
20	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	लोधौरा	भदौल पम्पकैनाल	155132	लोधौरा	15
21	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	डूरेंडी	अतर्रा टाउन -1	154977	दौलत पूर्वा	16
22	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	त्रिवेणी	अतर्रा टाउन -2	154964	त्रिवेणी	16
23	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	छानेहरा लालपुर	अतर्रा टाउन -1	154942	छानेहरा लालपुर	18
24	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गंछा	भदौल पम्पकैनाल	154984	गंछा	18
25	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गुरहि	अतर्रा टाउन -2	154953	गुरेह	19
26	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	डूरेंडी	अतर्रा टाउन -1	154977	कुम्हार का पूर्वा	23
27	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गुरहि	अतर्रा टाउन -2	154953	रामरतन का पूर्वा	23
28	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	ददरिया	अतर्रा टाउन -1	154930	ददरिया	23
29	[illegible]	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गोरेहा	कैनल फीडर	154953	राम रतन कू पूर्वा	23

क्रम	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी0पी0एल0/गरीबों को निर्गत संयोजनो की संख्या
30	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	गुरहि	अतर्रा टाउन -2	154953	भच्छु का पूर्वा	25
31	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	मदुदाहा	अतर्रा टाउन -2	154934	मदुदाहा	26
32	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	दोहा	अतर्रा टाउन -1	154932	दोहा	28
33	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	भरखरी	अतर्रा टाउन-4	154946	फुल्लापुर्वा	30
34	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	डिंगवाही	अतर्रा टाउन-4	154948	डिंगवाही	31
35	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कंवारा	अतर्रा टाउन -1	154917	टिकरी	32
36	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कुल कुम्हारी	भदौल पम्पकैनाल	154943	कुल कुम्हारी	58
37	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	बड़ोखर खुर्द	भदौल पम्पकैनाल	154956	ब्लॉक परिषद	65
38	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	बड़ोखर खुर्द	बदौल पम्प नहर	154956	बड़ोखर खुर्द	65
39	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कहला	भदौल पम्पकैनाल	155423	हातेति पूर्वा	70
40	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	टिंडवारा	भदौल पम्पकैनाल	154979	टिंडवारा	71
41	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कंवारा	अतर्रा टाउन -1	154917	चमानी	75
42	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कतरवल	अतर्रा टाउन -2	154947	कतरवल	82
43	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	अछरौंद	भदौल पम्पकैनाल	154961	अछरौंद	84
44	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	करबाई	अतर्रा टाउन-4	154940	करबाई	87
45	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	बिलबाई	अतर्रा टाउन-4	154933	बिलबाई	102
46	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	डूरेंडी	अतर्रा टाउन -1	154977	डूरेंडी	105
47	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	कंवारा	अतर्रा टाउन -1	154917	कंवारा	116
48	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	जौराही	अतर्रा टाउन-4	154931	ददरिया	117
49	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	जरी	अतर्रा टाउन-4	154928	जरी	125
50	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	लुकतता	अतर्रा टाउन-4	154909	लुकतारा का पूर्वा	137
51	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	मावई बुजूर्ग	अतर्रा टाउन-4	154916	मावई बुजूर्ग	164
52	बाँदा	अतर्रा	बड़ोखर खुर्द	पाचेनी	भदौल पम्पकैनाल	154920	पाचेनी	331
53	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	महोखर	कालू कुनवा	154923	महोखर	3
54	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	फातपुर्वा	जरी डेहर	154927	फातपुर्वा	12
55	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	भूरेण्डी	जरी डेहर	154966	भूरागढ़ पहाड़िया	20
56	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	लामा	कालू कुनवा	154919	लामा	20
57	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	उजरेहटा	कंवारा	154960	उजरेहटा	23
58	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	अरबाई	जरी डेहर	154937	अरबाई	33
59	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	भूरेण्डी	जरी डेहर	154966	भूरेण्डी	35
60	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	साइमरा	कंवारा	154925	साइमरा	35
61	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	रेवना	बांबेश्वर	154876	रेवना	42

क्र0	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी0पी0एल0/गरीबों को निर्गत संयोजनों की संख्या
62	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	मरौली	कालू कुनवा	154959	केवटन का पूर्वा	43
63	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	करहिया	कुनवा	154918	करहिया	45
64	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	जमालपुर	कालू कुनवा	154987	जमालपुर	47
65	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	मोहन पूर्वा	बांबेश्वर	154963	मोहन पूर्वा	63
66	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	पचुल्ला	बांबेश्वर	154912	पचुल्ला	64
67	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	मरौली	कालू कुनवा	154959	मरौली	69
68	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	पाथरी	कंवारा	154908	पाथरी	82
69	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	पंडुई	कंवारा	154981	पंडुई	88
70	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	कुरौली	कालू कुनवा	154944	कुरौली	97
71	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	गोरा मोंगली	गरिदेरी फीडर	154968	गोरा मोंगली	104
72	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	गोयरा मुगली	जरी डेहरी फीडर	154968	गोयरा मुगली	104
73	बाँदा	चिल्ला रोड बांदा	बड़ोखर खुर्द	गोयरा मुगली	जरी डेहर	154968	गोयरा मुगली	156
74	बाँदा	जसपुरा	बड़ोखर खुर्द	चमराहा गांव	इसुली	154973	चमराहा	5
75	बाँदा	तुलसी नगर	बड़ोखर खुर्द	दोहा	जरी डेहरी फीडर	154932	दोहा	28
76	बाँदा	नरैनी	बड़ोखर खुर्द	जमुनीपुर	नरैनी	154929	जमुनीपुर	26
77	बाँदा	नरैनी	बड़ोखर खुर्द	पिपरी	करतल	154914	पिपरी (गातकुंड)	35
78	बाँदा	नरैनी	बड़ोखर खुर्द	मताउँद (ग्रामीण)	करतल	154970	झींगा खोड़	62
79	बाँदा	पालरा	बड़ोखर खुर्द	साइमरा	चिल्ला	154850	साइगरा	35
80	बाँदा	बड़गाव	बड़ोखर खुर्द	बड़गाव	बड़गाव	154793	बड़गाव	183
81	बाँदा	बदौसा	बड़ोखर खुर्द	एतवान	फतेहगंज	154975	एतवान	8
							TOTAL	3924

योजना का नाम – सौभाग्य योजना जनपद–बांदा

विकास खण्ड – जसपुरा

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी0पी0एल0/गरीबों को निर्गत संयोजनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	मवई घाट	गलौली	154776	मवई घाट	13
2	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	बड़ा गांव	गलौली	155064	बड़ागाव	22
3	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	नरायारह	गलौली	154774	नरायारह	24
4	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	बड़ा गांव	गलौली	155064	महादेवन डेरा	58
5	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	सबादा	गलौली	154790	सबादा	129
6	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	झंझारी	झाझरी	154806	झंझारी पूर्वा	140
7	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	महाबरा	गलौली	154791	महाबरा	144
8	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	बड़ा गांव	गलौली	155064	बड़ागाव	183
9	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	पिपरोधार	गलौति	154794	बुद्ध डेरा	9
10	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	मदौली कलन	गलौली	154792	मदौली कलन	9
11	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	काना खेड़ा	काना खेड़ा टाउन	154786	भुइया रानी का डेरा	10
12	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	पिपरोदार	गलौली	154794	पिपरोदार	13
13	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	शेखुपुर	झाझरी	154795	शेखुपुर	16
14	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	सोना मऊ	गलौली	154785	सोना मऊ	18
15	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	बसधारी	कानाखेड़ा टाउन	154800	बसधारी	29
16	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	बुधेड़ा	गलौली	154775	बुधेड़ा	29
17	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	गादोला	गलौली	154781	गादोला	30
18	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	गलौली	गलौली	154780	गलौली	30
19	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	इछावर	गलौली	154789	जुला डेरा	33
20	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	झंझारी	झाझरी	154806	झंझारी	39
21	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	इछावर	गलौली	154789	धरी खेड़ा	42
22	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	काना खेड़ा	कानाखेड़ा टाउन	154786	कानाखेड़ा	50
23	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	ददमाऊ	गलौली	154807	ददमाऊ	65
24	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	गाजीपुर	गलौली	154778	गाज़ी पूर्वा	66
25	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	तंगमाऊ	गलौली	154784	तंगमाऊ	74
26	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	नारौली	गलौली	154787	नरौली	111
27	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	इछावर	गलौली	154789	इछावर	124
28	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	खपटिआह खुर्द	गलौली	154777	खपटिआह खुर्द	183
29	बाँदा	कानाखेड़ा	जसपुरा	चंदवारा	गलौली	154788	चंदवारा-II	199
30	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	नरायारह	रामपुर	154774	बायरन डेरा	5

क्र	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी०पी०एल० / गरीबों को निर्गत संयोजनों की संख्या
31	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	अमरा	बरेठा	154816	घीयन पूर्वा	10
32	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	अमरा	बरेठा	154816	अमरा	26
33	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	अमरा	बरेठा	154816	खेता पूर्वा	29
34	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	बाहुंडरी	रइपुरा	154815	कुंदाडोल	32
35	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	बड़गाव	इसुली	154793	बड़ेवान डेरा	58
36	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	अमरा	बरेठा	154816	अमरा	102
37	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	मरझा	कानाखेड़ा	154796	मरझा	134
38	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	लसदा	कानाखेड़ा	154801	लसदा	163
39	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	बड़गाव	इसुली	154793	बदरगाव	183
40	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	सिकाहुला	कानाखेड़ा	155371	सिकाहुला	258
41	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	नर्जिता	इसुली	154811	नर्जिता	12
42	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	बरेहता	बरेठा	154818	बरेहता	17
43	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	अमरा	बरेठा	154816	मरहोला पूर्वा	23
44	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	पड़ेरी	कानाखेड़ा	154797	पड़ेरी	25
45	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	सिकाहुला	इसुली	154812	सिकाहुला	26
46	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	जसपुरा	जसपुरा टाउन	154805	महिला पूर्वा	36
47	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	बाहुंडरी	रइपुरा	154815	बाहुंडरी	43
48	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	सिंधन कलन	कानाखेड़ा	154802	हरवंश पूर्वा	49
49	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	अमरा	बरेठा	154816	कुटी का पूर्वा	50
50	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	जसपुरा	जसपुरा टाउन	154805	जसपुरा	61
51	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	पादोहरा	कानाखेड़ा	154810	पादोहरा	86
52	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	गड़रिया	रइपुरा	154814	गड़रिया	145
53	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	नाडा डीईओ	कानाखेड़ा	154809	नन्दादेओ	152
54	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	गौरी कलन	बरेठा	154804	गौरी कलन	166
55	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	सिंधन कलन	कानाखेड़ा	154802	सिंधन कलन	177
56	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	रामपुर	रामपुर	154779	रामपुर	189
57	बाँदा	जसपुरा	जसपुरा	सिखुला	इसुली	154812	सिखुला	258
							TOTAL	4407

योजना का नाम – सौभाग्य योजना जनपद–बांदा

विकास खण्ड – तिंदवारी

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी0पी0एल0 / गरीबों को निर्गत संयोजनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	अतर्रा	तिंदवारी	बियूंगा	बबेरु	154899	बेवज्जा	52
2	बाँदा	कानाखेड़ा	तिंदवारी	नारी	गलौली	154829	बंसी देआ	4
3	बाँदा	कानाखेड़ा	तिंदवारी	लोमर	गलौली	154833	सादीपुर	17
4	बाँदा	कानाखेड़ा	तिंदवारी	अमलौर	गलौली	154825	कासिअल डेरा	23
5	बाँदा	कानाखेड़ा	तिंदवारी	मिरगानी	गलौली	154832	नई बस्ती	55
6	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	राज बहादुर का डेरा	2
7	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	कुरसेजा	तिंदवारी	154895	कुरसेजा	4
8	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	संदी	जौहरपुर	154819	बगीचा डेरा	4
9	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	बड़कू पाल का डेरा	4
10	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	राम राजीवन का डेरा	4
11	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	संकेर चौकीदार का डेरा	4
12	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	जग मोहन का डेरा	6
13	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	भरतन डेरा	8
14	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	लहरि यादव का डेरा	8
15	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	अमीकौरे	सिंहपुर	154868	अमीकौरे	8
16	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	टोलिया	सिंहपुर	154880	टोलिया	9
17	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	खौंदा	सिंहपुर	154845	खौंदा	10
18	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	संदी	जौहरपुर	154819	मांझा डेरा	11
19	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	संदी	जौहरपुर	154819	अमन डेरा	13
20	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	तारा	सिंहपुर	154835	तारा	14
21	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	भवानीपुर	सिंहपुर	154840	भवानीपुर	17
22	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	वसिलपुर	तिंदवारी	154903	वसिलपुर	21
23	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	माचा	तिंदवारी	154849	माचा	23
24	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	पदारथपुर	सिंहपुर	154841	पदारथपुर	23
25	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	चिल्ला	सिंहपुर	154834	चिल्ला	24
26	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	भुजौली	सिंहपुर	154906	भुजौली	25
27	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	खगैटल	25
28	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	बाघा डेरा	26
29	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	संदी	जौहरपुर	154819	संदी	26
30	[illegible]	तिंदवारी	तिंदवारी	माता	तिंदवारी	154872	माता	29

क्र.	जनपद का नाम	उपखण्ड का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरे का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	दीनदयाल योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये मुक्त संयोजनो की संख्या
								दीनदयाल/गरीबों को निर्मित संयोजनो की संख्या
31	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	अमरइया	जौहरपुर	154868	अमरइया	32
32	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	महेंद्र	तिंदवारी	154858	महेंद्र	36
33	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	शिवाला डेरा	37
34	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	छापर	जौहरपुर	154871	छापर	38
35	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	तिंदवारी (ग्रामीण)	सिंहपुर	154885	तिंदवारी (ग्रामीण)	38
36	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	अलीना	सिंहपुर	154821	अलीना	44
37	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	अमली डेरा	46
38	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	गजनी	सिंहपुर	154869	गजनी	49
39	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	परसौदा	तिंदवारी	154867	परसौदा	51
40	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	ब्योंजा	सिंहपुर	155028	ब्योंजा	52
41	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	खेरई	जौहरपुर	154020	खैरी	53
42	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	कुकुरवा खास	सिंहपुर	154826	कुकुरवा खास	57
43	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बिछवाही	तिंदवारी	154860	बिछवाही	60
44	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	सिंहपुर	तिंदवारी	154881	फतेह बहादुर का डेरा	65
45	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	गढ़ैराम पूर्वी	73
46	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	बेंदा	82
47	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	सिंघौली	सिंहपुर	154856	सिंघौली	88
48	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	नारी	तिंदवारी	154829	नारी	90
49	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	पिपरागवान	जौहरपुर	154904	पिपरागवान	98
50	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	पाथरिया	जौहरपुर	154863	पाथरेश्या	153
51	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	भिंडोरा	जौहरपुर	154861	भिंडोरा	155
52	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	धौसार	सिंहपुर	154877	धौसार	167
53	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	बेंदा	जौहरपुर	154847	अमलीसर	183
54	बाँदा	तिंदवारी	तिंदवारी	सेमारी	सिंहपुर	154902	सेमारी	320
55	बाँदा	नरैनी	तिंदवारी	मझुई	गिरवा	154893	मझुई	123
56	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	तेरही माफि	सिंहपुर	154889	तेरही माफि	2
57	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	अयोध्या कलन	सिंहपुर	154822	शुनि का डेरा	2
58	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	अमलौर	मुरवल	154825	अमलौर	3
59	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जौहरपुर	मुरवल	154843	चारकुरा	5
60	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जौहरपुर	मुरवल	154843	बसही डेरा	5
61	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	पीपराहरी	मुरवल	154830	पीपराहरी	5
62	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जौहरपुर	मुरवल	154843	देउरा	9
63	बाँ	सिमौनी	तिंदवारी	गिरगहनी	सिंहपुर	154898	गिरगहनी	10

क्र0	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	पोषक का नाम	सेन्सस कोड (2011)	मजरों का नाम (राजस्व ग्राम सम्मिलित)	सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये मुक्त संयोजनों की संख्या
								बी0पी0एल0/गरीबों को निर्गत संयोजनों की संख्या
64	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	अरसौंदा	मुरवल	154891	अरसौंदा	12
65	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जोहरपुर	मुरवल	154843	महाजिटिया डेरा	13
66	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	पैलानी	सिंहपुर	154828	पैलानी डेरा	13
67	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	खपटिहा कलन	सिंहपुर	154822	नया डेरा	13
68	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	पालरा	सिंहपुर	154851	पालरा	15
69	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	खपटिया कलन	सिंहपुर	154822	खपटिया कलन	17
70	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जोहरपुर	मुरवल	154843	कैतनि डेरा	19
71	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जोहरपुर	मुरवल	154843	परिहरण डेरा	20
72	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	तेरही माफ़ि	सिंहपुर	154889	तेरही माफ़ि	24
73	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	अतराहट	मुरवल	154862	अतराहट	29
74	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	डिघवट	मुरवल	154837	डिघवट	30
75	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जामुवा	मुरवल	154882	जामुवा	32
76	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जोहरपुर	मुरवल	154843	खेरी क्योंटरा	32
77	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जोहरपुर	मुरवल	154843	पूर्वा	32
78	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	गोगोली	मुरवल	154907	गोगोली	34
79	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	बहिंगा	मुरवल	154890	बहिंगा	38
80	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जोहरपुर	मुरवल	154843	हवलदार का डेरा	45
81	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	जसईपुर	सिंहपुर	154873	जसईपुर	54
82	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	सदी मदनपुर	मुरवल	154832	सदी मदनपुर	65
83	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	सादी मदनपुर	मुरवल	154832	सादी मदनपुर	65
84	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	रहुता	मुरवल	154823	रहुता	68
85	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	लोहारी	सिंहपुर	154878	लोहारी	77
86	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	मूंगुस	सिंहपुर	154886	मूंगुस	83
87	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	निवाइच	सिंहपुर	154831	निवाच	85
88	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	पलाइनि	सिंहपुर	154828	पलाइनि	122
89	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	गोधनी	मुरवल	154907	गोधनी	142
90	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	गोखरही	मुरवल	154823	गोखरही	206
91	बाँदा	सिमौनी	तिंदवारी	भुजरख	सिंहपुर	154874	भुजरख	238
							TOTAL	4353

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-61 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0... पर)

अनुपूरक 'क'

ट्रान्सफार्मरों की क्षमतावृद्धि का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड	ग्राम	पूर्व स्थापित परिवर्तक	वर्तमान क्षमतावृद्धि
1	बिलरियागंज	पदवध	25 के0वी0ए0	63 के0वी0ए0
2	बिलरियागंज	रौनापार (सोनबुजुर्ग)	25 के0वी0	63 के0वी0
3	बिलरियागंज	पदवध (असरफपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
4	बिलरियागंज	पदवध (भावा रायपुर बड़ोखर)	25 के0वी0	63 के0वी0
5	बिलरियागंज	बिलरियागंज (ऊँचाडीह सलेमपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
6	बिलरियागंज	बिलरियागंज (नसीरपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
7	बिलरियागंज	पदवध (गुलउर)	25 के0वी0	63 के0वी0
8	बिलरियागंज	पदवध (बगहींडॉठ)	25 के0वी0	63 के0वी0
9	बिलरियागंज	पदवध (खालिसपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
10	बिलरियागंज	मक़ कुतुबपुर (बीबीपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
11	बिलरियागंज	बिलरियागंज (शान्तीपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
12	बिलरियागंज	रौनापार (मानिकपुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
13	बिलरियागंज	रौनापार (सोनबुजुर्ग-2)	25 के0वी0	63 के0वी0
14	बिलरियागंज	रौनापार (सोनबुजुर्ग)	63 के0वी0	100 के0वी0
15	महराजगंज	हमीरपुर	25 के0वी0	63 के0वी0
16	महराजगंज	बॉसथान	10 के0वी0	25 के0वी0
17	महराजगंज	सिकन्दरपुर	25 के0वी0	63 के0वी0
18	महराजगंज	रघुनाथपुर (मोलनापुर)	25 के0वी0	63 के0वी0
19	महराजगंज	देवा बिन्दवल	25 के0वी0	63 के0वी0
20	महराजगंज	बाबू सलार-1	63 के0वी0	100 के0वी0
21	महराजगंज	हरखपुर खास	25 के0वी0	63 के0वी0
22	महराजगंज	देवारा कादीम नहरूमपुर	25 के0वी0	63 के0वी0

(राजेश रंजन सिंह)
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

पी0एस0यू0पी0-एल0-107 विधान सभा (187)-04-08-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।